द्वितीय माला, खण्ड २०—अंक २९

१८ सितम्बर १९५८ (गुरुवार)

लोक-सभा वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fifth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २० में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) २ शिलिंग (विदेश में)

208A LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड २०—अंक २१ से ३०—८ सितम्बर से १९ सितम्बर १९५८)

पृष्ठ

अंक २१ सोमवार, ८ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००९, १०११ से १०१७ और १०१९ से १०२२ . . . . २४९१—२५१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१०, १०१८ और १०२३ से १०५४ . २५१३—२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३२ से १६९६ . . . २५२७—५३

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश में कथित खाद्य संकट . . . २५५३—५९

दो सदस्यों की गिरफ्तारी २५५९

दो सदस्यों को सजा . . . . २५५९—६०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २५६०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २५६०

तारांकित प्रश्न संख्या ८० के उत्तर की शुद्धि . . २५६१

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—पुरःस्थापित २५६१

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (पद उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) विधेयक—पुःरस्थापित २५६२

सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २५६२—९७

खण्ड २ और ३ . . . . . २५८९—९७

खाद्य स्थिति पर विचार करने के लिये अनौपचारिक बैठक के सम्बन्ध में वक्तव्य . . . . . २५९७—२६००

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २६०१—०६

पृष्ठ

अंक २२—मंगलवार, ६ सितम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५५, १०५६, १०५८, १०५६, १०६१, १०६३, १०६५, १०६७ से १०६६, १०७१ से १०७४, १०७६, १०७८ और १०७६ . . . . . २६०७—३१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . . २६३१—३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५७, १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०७०, १०७५, १०७७, १०८० से १०८६ और ५६५ . . २६३३—४१

अतारांकित प्रश्न संख्या १६६७ से १७५५ . . . २६४१—६८

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश विधान सभा में शान्ति स्थापित करने के लिये सशस्त्र सिपाहियों का बुलाया जाना . . . . २६६८—७४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . २६७४—७६

श्री शि० ला० सक्सेना द्वारा वक्तव्य २६७५

राज्य सभा से सन्देश २६७६

लोक लेखा समिति—

६वीं रिपोर्ट २६७६

सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—

खण्ड ४ से १४ और १ . . . . . २६७७—६५

पारित करने के लिये प्रस्ताव . . . २६६४–६५

केरल तथा मद्रास राज्य में विषाक्त खाद्यपदार्थों से हुई घटनाओं के बारे मे प्रस्ताव . . . . . २६६५—२७०४

दैनिक संक्षेपिका . . . २७०५–०६

अंक २३—बुधवार, १० सितम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६० से ११०० और ११०३ से ११०८ २७११—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०१, ११०२, ११०६ से ११३७, ६३१ और ६७४ . . . . . २७३४—४६

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५६ से १८१४ और १८१६ से १८३० २७४६—८१

पृष्ठ

सदस्य द्वारा पद-त्याग २७८१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सत्र में विरोधी दल के सदस्यों द्वारा भाग न लिया जाना . . . . २७८१—८४, २७८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन . . २७८४

भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . २७८६—९५

खण्ड २ और १ . . २७९३–९४

पारित करने का प्रस्ताव . २७९५

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . २७९५—२८०५

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में चर्चा २८०६—१६

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . २०१६

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन . . २८१६

दैनिक संक्षेपिका . . २८१७—२१

अंक २४—गुरुवार, ११ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४० से ११४५, ११४७, ११५०, ११८३, ११५१ से ११५४, ११५६ से ११५९, ११६२ से ११६४, ११६६, ११६८, ११६९, ११७१ और ११७२ . . . . २८२३—४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११३८, ११३९, ११४६, ११४८, ११४९, ११५५, ११६०, ११६१, ११६५, ११६७, ११७०, ११७३ से ११८२ और ११८४ . . . . . २८४९—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८३१ से १९०३, १९०५ से १९१३ और १९१५ से १९१८ . . . . . २८५९—९२

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव के बारे में प्रश्न . . .	२८९२
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	२८९२–९३
राज्य-सभा से सन्देश . . .	२८९३
याचिका का उपस्थापन	२८९३
पठानकोट में गोला-बारूद की पेटियों में विस्फोट के बारे में वक्तव्य .	२८९३–९४
कार्य मंत्रणा समिति--	
उनतीसवां प्रतिवेदन .	२८९५
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	२८९५--२९३२
दैनिक संक्षेपिका . . .	२९३३--३९

अंक २५--शुक्रवार, १२ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८५ से ११८८, ११९० से ११९६, ११९८ से १२०३, १२०७ और १२०८ . . .	२९४१--६६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० .	२९६६--७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८९, ११९७, १२०४ से १२०६ और १२०९ से १२२२	२९७०--७७
अतारांकित प्रश्न संख्या १९१९ से १९७२ और १९७४ से १९९९	२९७७--३०१०
सरदार सम्पूर्ण सिंह का निधन	३०१०
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३०१०–११
राज्य सभा से सन्देश	३०११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
भारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के परिणाम .	३०११--१६
तारांकित प्रश्न संख्या ९१३ के उत्तर की शुद्धि .	३०१६–१७
तारांकित प्रश्न संख्या २३२ के उत्तर की शुद्धि . .	३०१७
सभा का कार्य . .	३०१७
तेल की खोज के बारे में वक्तव्य . .	३०१८
समिति के लिये निर्वाचन--	
प्राक्कलन समिति . .	३०१८–१९

पृष्ठ

उच्चन्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक—

पुरःस्थापित . . ३०१९

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ३०१९—२५

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३०२५—३१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन . ३०३१—३२

राष्ट्रीय भारतीय युवक परिषद् बनाने के बारे में संकल्प—

वापिस लिया गया ३०३२—३४

कुछ न्यायाधिकरणों को उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से हटाने के बारे में संकल्प—

अस्वीकृत . . . . ३०३५—४८

उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा संबंधी झगड़ों का निर्णय करने के लिये एक आयोग की स्थापना के बारे में संकल्प . . ३०४८

दैनिक संक्षेपिका . . ३०४९—५५

अंक २६—सोमवार, १५ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२३ से १२२५, १२२७, १२२८, १२३०, १२३२ से १२३५, १२३७ से १२४१, १२४३ से १२४८ और १२५३ . ३०५७—८३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ और १२ ३०८३—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२६, १२२९, १२३१, १२३६, १२४२, १२४९ से १२५२ और १२५४ से १२६३ . . . ३०८६—९४

अतारांकित प्रश्न संख्या २००० से २०८९ . ३०९५—३१३२

स्थगन प्रस्ताव—

किमाय और माट्सू द्वीप के संबंध में वाशिंगटन में वित्त मंत्री का वक्तव्य . . . . ३१३२—३५

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३१३६—३८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ३१३८—३९

राज्य-सभा से सन्देश ३१३९

पृष्ठ

एक सदस्य को गिरफ्तारी तथा सजा . . . ३१३६

एक सदस्य की गिरफ्तारी ३१३६

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक--

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव-- ३१३६--५४

गन्दी बस्तियाँ हटाने के बारे में मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन के संबंध में चर्चा ३१५४--७७

दैनिक संक्षेपिका ३१७८--८४

अंक २७--मंगलवार, १६ सितम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६५ से १२६७, १२६६, १२७१ से १२७६, १२७८ से १२८१, १२८३, १२८४, १२८७ और १२८८ . ३१८५--३२०६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ ३२०६--११

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२,६४, १२६८, १२७०, १२७७, १२८२, १२८५, १२६६, और १२८६ से १३०५ . ३२११--२०

अतारांकित प्रश्न संख्या २०६० से २१७६ ३२२०--५३

दो सदस्यों की गिरफ्तारी . ३२५३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३२५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

बीमा एजेन्टों को दिये जाने वाले कमीशन में कमी ३२५५-५६

वाणिज्यक नौवहन विधेयक--

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३२५६--६५

दैनिक संक्षेपिका ३२६६--३३०२

अंक २८--बुधवार, १७ सितम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६ से १३१०, १३१२, १३१५ से १३१७, १३२१ से १३२८ और १३३० . . . . ३३०३--२६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . ३३३०-३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर --

तारांकित प्रश्न संख्या १३११, १३१३, १३१४, १३१८ से १३२०, १३२६ और १३३१ से १३४६ . . . . ३३३१--४१

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या २१७७ से २२६३	३३४१—७९
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	३३७९–८०
जानकारी का प्रश्न	३३८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३३८०–८१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन .	३३८१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में हैजे का प्रकोप	३३८१
विष (संशोधन) विधेयक—	
पुरस्थापित .	३३८१–८२
वाणिज्यिक नौवहन विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार .	
खण्ड २ से २० , २२ से १००, १०२ से १४९, २१, १०१, १०३ से ४६१, अनुसूची और खंड १ .	३३८२–३४१६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . .	३४१३–१६
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव .	३४१६–२८
दैनिक संक्षेपिका .	३४२९–३४
अंक २९—गुरुवार, १८ सितम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३५०, १३५१, १३५४, १३५६ से १३६५ और १३६७ . . .	३४३५–५७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३५२, १३५३, १३५५, १३६६, १३६८ से १३७९ और १३८१ से १३९५ . .	३४५७–६९
अतारांकित प्रश्न संख्या २२६४ से २३७६	३४६९–३५१९
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३५२०
एक सदस्य का अपराधी ठहराया जाना . . .	३५२१
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव .	३५२१–६१
दैनिक संक्षेपिका	३५६२–६९

अंक ३०—शुक्रवार, १९ सितम्बर, १९५८

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९६, १३९८ से १४००, १४०२, १४०४, १४०५, १४०८, १४०९, १४११, १४१२ और १४१४ . ३५७१—९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९७, १४०१, १४०३, १४०७, १४१०, १४१३ और १४१५ से १४२६ . ३५९५—३६०१

अतारांकित प्रश्न संख्या २३७७ से २४३६ ३६०२—२६

डा० भगवान दास का निधन ३६२६—३०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६३०—३१

राज्य सभा से सन्देश ३६३१

सभा का कार्य . . ३६३१—३२

समितियों के लिये निर्वाचन . ३६३२—३३

१. प्राक्कलन समिति; और

२. लोक लेखा समिति ?

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ३६३३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव . . . ३६३३—४७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्ताइसवां प्रतिवेदन ३६४७

अयोग्य व्यक्ति बन्ध्यीकरण विधेयक—

पुरःस्थापित . ३६४८

छावनी (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ३६४८—५९

समवाय (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ३६५९—६३

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . . ३६६३

सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . ३६६३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३६६४—७०

नोट:— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

गुरुवार, १८ सितम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पंजाब के लिये राज्य विद्युत बोर्ड

†*१३५०. { श्री राम कृष्ण :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री १७ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने अब एक विद्युत् बोर्ड स्थापित कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पंजाब सरकार ने अभी तक विद्युत् बोर्ड की स्थापना नहीं की है क्योंकि भाखड़ा नंगल परियोजना से बोर्ड को यह कार्य हस्तान्तरित करने में राज्य सरकार की सामर्थ्य के सम्बन्ध में कुछ शंकायें प्रकट की गई है। इन पर पंजाब और राजस्थान सरकारों का संयुक्त स्वामित्व है। इस बात की जांच की जा रही है।

†श्री राम कृष्ण : क्या यह सच है कि बोर्ड के चैयरमेन और एक सदस्य की नियुक्ति कर दी गई है और यदि हां, तो क्यों ऐसा किया गया है ?

†श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि उन्होंने बोर्ड स्थापित किया है। वे इसकी स्थापना का विचार कर रहे थे। इसी बीच यह कानूनी बाधा उनके मार्ग में उपस्थित हो गई ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम कृष्ण** : इस विषय पर कब तक अन्तिम निर्णय होगा ?

†**श्री हाथी** : इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। किन्तु इसके लिये राजस्थान और पंजाब सरकारों में बातचीत तथा संशोधन प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जब राजस्थान और पंजाब सरकारों के बीच कोई विवाद है तो क्या इस विषय पर ज़ोनल कौंसिल में विचार किया जायेगा अथवा किसी अन्य उपाय से इस गत्यावरोध को हल किया जायेगा ?

†**श्री हाथी** : सिंचाई मंत्रालय पंजाब और राजस्थान के प्रतिनिधियों की शीघ्र ही एक मीटिंग बुला रहा है और हमें आशा है कि वह विषय शीघ्र हल हो जायेगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को यह परामश दिया है कि राज्य सरकार का दृष्टिकोण व्यावहारिक नहीं है।

†**श्री हाथी** : कानूनी आपत्ति यह है कि पंजाब राज्य सम्पूर्ण आस्तियां विद्युत् बोर्ड को स्थानान्तरित करेगी। अब राजस्थान सरकार इस परियोजना में हिस्सेदार है। इस कानूनी पहलू का परीक्षण करना है कि क्या पंजाब सरकार राजस्थान सरकार की सम्मति बिना इसे स्थानान्तरित कर सकती है। अतः राजस्थान और पंजाब सरकार के बीच एक करार किया जायेगा। इसके लिये हम एक मीटिंग आयोजित कर रहे हैं।

†**श्री दासप्पा**: क्या विद्युत् बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार में उद्भत हुआ था अथवा पंजाब सरकार ने इसे प्रारम्भ किया है ?

†**श्री हाथी** : यह संसद् द्वारा पारित अधिनियम के उपबन्धों में है।

†**श्री विश्व नाथ रेड्डी**: क्या सब राज्य सरकारों ने विद्युत बोर्ड की स्थापना का विरोध मुख्यतः इस आधार पर किया है कि इसमें अपने-अपने राज्यों के अल्प विकसित क्षेत्रों में बिजली फैलाने का कार्य उनके विवेक पर आश्रित है ?

†**श्री हाथी** : किसी राज्य ने इस आधार पर आपत्ति नहीं की है वस्तुतः जम्मू और काश्मीर को मिला कर चौदह में से नौ राज्यों ने पहले ही बोर्ड स्थापित कर दिये हैं। केवल चार राज्यों ने इसको स्थापना नहीं की है। किसी ने इस आधार पर आपत्ति नहीं की है।

†**श्री विश्व नाथ रेड्डी** : क्योंकि केन्द्र ने इसे राज्यों पर थोप दिया है।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या उड़ीसा का विद्युत् बोर्ड हीराकुड विद्युत् परियोजना का कार्यभार संभालेगा।

†**श्री हाथी** : उसका निर्माण होने पर वह कार्यभार संभालेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि केन्द्रीय सरकार भाखड़ा नंगल के लिये वित्त का उपबन्ध कर रही है तब क्या केन्द्रीय सरकार के पास यह अधिकार नहीं है वह पंजाब और राजस्थान सरकार को शीघ्र ही बोर्ड की स्थापना के लिये सहमत करे ?

†**श्री हाथी** : इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। प्रश्न यह है। ऋण राजस्थान और पंजाब दोनों राज्यों को दिये गये हैं। पंजाब सरकार द्वारा पंजाब विद्युत् बोर्ड को आस्तियां

†मूल अंग्रेजी में

स्थानान्तरित करने के पूर्व राजस्थान सरकार के हितों का भी ध्यान देना होगा। अतः इसके लिये दोनों राज्य सरकारों में समझौता होना आवश्यक है।

†**श्री राम कृष्ण** : इस कठिन स्थिति को ध्यान में रखते हुये क्या पंजाब और राजस्थान के लिये एक संयुक्त बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव है ?

†**श्री हाथी** : यह सारा प्रश्न विचाराधीन है कि क्या संयुक्त बोर्ड इस रीति से निर्मित किया जाये अथवा नहीं। इस सबका परीक्षण किया जा रहा है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को इस दिशा में कोई परामर्श दिया है ?

†**श्री हाथी** : जी हां, हमने परामर्श दिया है। अतः हम एक मीटिंग की आयोजना कर रहे हैं।

पालम हवाई अड्डा

†*१३५१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : जक्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस प्रकार का निर्णय किया है कि पालम विमान अड्डा असैनिक उड्डयन विभाग के अधीन रहेगा अथवा भारतीय विमान बल के अधीन रहेगा ;

(ख) क्या विमान अड्डे के सुधार की सब योजनायें उसके स्वामित्व का निर्णय होने तक रोक दी गई हैं ;

(ग) सुधार सम्बन्धी इन योजनाओं का क्या स्वरूप है; और

(घ) क्या उसके स्वामित्व का निर्णय होने के पहले उन पर विचार करने के लिये कुछ कदम उठाये गये है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहोउद्दीन)** : (क) आज कल पालम हवाई अड्डे का प्रयोग असैनिक उड्डयन विभाग और भारतीय विमान बल दोनों संयुक्त रूप से कर रहे हैं निकट भविष्य में इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

(ख) से (घ): जेट विमान परिवहन के लिये पालम हवाई अड्डे के विकास की योजना सरकार के विचाराधीन है। पालम हवाई अड्डे के स्वामित्व के बारे में कोई भी अन्तिम निर्णय हो, विकास योजनायें भी कार्यान्वित करने की आशा है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : हमें शीघ्र ही जेट विमान मिलने वाले हैं। क्या इन जेट विमानों और इनसे भारी विमानों को लेने के लिये उस समय तक हवाई अड्डे की मरम्मत कर दी जायेगी ? इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री मुहोउद्दीन** : यह प्रश्न केवल मरम्मत का ही नहीं परन्तु निर्माण से भी सम्बन्धित है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मैंने "मरम्मत" नहीं किन्तु 'विकास' शब्द का प्रयोग किया था ।

†**श्री मुहीउद्दीन :** जेट विमानों के लिये हवाई अड्डे को पर्याप्त रूप से लम्बा करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और आशा है कि जेट विमानों के संचालन के पहले ही यह तैयार हो जायेगी ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या यह सच है कि असैनिक प्रयोजन के लिये एक अलग हवाई अड्डे का एक निश्चित प्रस्ताव था और इसके लिये कुछ उपकरणों का आर्डर दिया गया था जो यहां आ गये हैं । इस प्रस्ताव का क्या हुआ है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** पालम हवाई अड्डा स्थानीय रूप से भारतीय विमान बल के अधीन हो या उसे असैनिक कार्यों के लिये इसे नियत कर दिया जाये इस प्रश्न पर पर्याप्त समय से चर्चा चल रही है । इस कार्य के लिये उपकरण नहीं मंगाये गये थे ; किन्तु असैनिक कार्यों के लिये उपकरण सदा ही आते रहते हैं ?

†**श्री हेम बरूआ :** इस बात पर ध्यान देते हुए कि पालम हवाई अड्डे पर भारतीय विमान बल और असैनिक उड्डयन विभाग की दोहरी व्यवस्था के अन्तर्गत है क्या वहां इतनी गहन क्षति है कि हाल ही में एक एटोफ्लोट वहां नहीं उतर सका और उसे उत्तर प्रदेश के दूसरे हवाई अड्डे की ओर भेजना पड़ा ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** यह सच है कि एक विमान को अन्यत्र भेजना पड़ा था । इसका कारण किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है । यह धावन-मार्ग की दरारों के फलस्वरूप है । उनकी मरम्मत कराई जाती है । मुझे बताया गया है कि एक सप्ताह की अवधि में इसे सीमित प्रयोग के लिये नियत कर दिया जायेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या पालम हवाई अड्डे पर तेज प्रकाश की व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन द्वारा निर्धारित प्रमाप के अनुरूप है ?

†**श्री मुरीउद्दीन :** यह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** इस हवाई अड्डे की संयुक्त व्यवस्था के लिये कौनसी प्रशासनिक युक्ति है ? दोनों सैक्शनों का अलग-अलग क्या उत्तर दायित्व है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** प्रशासन की दृष्टि से यह भारतीय विमान बल के अधीन है और असैनिक विमानों के लिये निर्धारित नियमों के अनुसार ही वे वहां उतरते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** दूसरा प्रश्न ।

†**श्री प्र० चं० बरूआ :** एक और प्रश्न है, श्रीमान् ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने अनेक प्रश्नों की अनुमति दे दी है पहले आने वाले प्रश्नों पर अधिक ध्यान दिया जाता है भले ही बाद के प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हों । दूसरा प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्योनखाली में सहायक पत्तन की स्थापना[1]

+

†*१३५४. श्री स० चं० सामन्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्योनखलि में सहायक पत्तन की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं। टेक्नीकल विशेषज्ञों की राय में नवीन पत्तन की स्थापना के लिये ग्योनखाली उपयुक्त स्थान नहीं है ।

(ख) कलकत्ता के सहायक पत्तन की स्थापना के लिये वैकल्पिक स्थान के चुनाव का प्रश्न विचाराधीन है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि डायमंड हार्बर से परे मिट्टी का जमाव होने के अतिरिक्त ग्योनखाली में सहायक पत्तन की स्थापना के लिये सभी आवश्यक बातें विद्यमान हैं ? यदि हां, तो क्या डायमण्ड हार्बर से आगे ड्रेजिंग किया गया था ?

†**श्री राज बहादुर** : विश्व बैंक टेक्नीकल मिशन के विशेषज्ञ अक्टूबर-नवम्बर, १९५७ में भारत आये थे और उनकी सम्मति थी कि कलकत्ता के निकट एक ऐसे गहरे हार्बर की आवश्यकता है जिसमें भावी स्टीमर अर्थात ४० फुट ड्राफ्ट वाले स्टीमरों को रखने में समर्थ गहरा ड्राफ्ट हो । ग्योनखाली में यह स्थिति उपलब्ध नहीं है; विशेषज्ञों की राय के अनुसार निचले ज्वार में हम वहां २६ फुट से आगे नहीं जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि हम ग्योनखाली में पत्तन की स्थापना भी करें तो आगे एक बाधा पार करना पड़ेगा—वह है बलदारी ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या माननीय मंत्री यह मालूम करेंगे कि ग्योनखाली में पानी की गहराई २६ फुट है ? यह ६० फुट से भी अधिक है।

†**श्री राज बहादुर** : हमने विशेषज्ञों की राय प्राप्त की है। किन्तु मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे दूं कि कलकत्ता के समीप सहायक पत्तन की स्थापना के बारे में मतभेद नहीं है । विशेषज्ञों की सम्मति पर ही यह संकल्प आश्रित है । मतभेद केवल स्थान के बारे में है—यह "टफ्ट" स्थान पर हो, ग्यानखाली में हो या हलदिया अथवा अन्यत्र । इस पर विशेषज्ञ विचार कर रहे हैं । और इसके निर्णय के लिये हम विशेषज्ञों की राय की प्रतीक्षा करेंगे ।

†**श्री विमल घोष** : यदि यह ग्योनखाली में न हो फिर भी माननीय मंत्री के कथन से यह तो स्पष्ट हो गया है कि कलकत्ता पत्तन के लिये एक सहायक पत्तन आवश्यक है । प्रश्न यह है कि ग्योनखाली नहीं परन्तु उसके निकट एक स्थान है । क्या सरकार वहां पर पत्तन की स्थापना का विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Establishment of a subsidiary Port at Geonkhali.

†**श्री राज बहादुर :** जैसा मैंने अभी कहा था स्थान के चुनाव के बारे में कदम उठाये जा रहे हैं। हमने श्री पोस्तुमा की सेवायें मांगी हैं कि वह यहां पुनः आ कर हमें परामर्श दें। श्री पोस्तुमा गत वर्ष विश्व बैंक टेक्नीकल मिशन के नेता के रूप में भारत आये थे। हमने एक और विदेशी विशेषज्ञ की सेवायें मांगी हैं। और इस समय वे स्वयं भी एक फ्रांसीसी विशेषज्ञ, प्रोफेसर लेटास की रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कुछ आंकडे मांगे थे हम उन्हें एकत्र कर रहे हैं।

राजस्व तथा खण्ड विकास अधिकारी

†*१३५६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व और खण्ड विकास अधिकारियों के कार्यों को पृथक् करने की वाञ्छनीयता राज्यों को बताने में सरकार सफल हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में दोनों कार्यों के पथक्करण में बम्बई राज्य का अनुसरण किया है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) :** (क) जी हां, अधिकांश राज्यों ने यह बात समझ ली है।

(ख) बिहार के अतिरिक्त सब राज्य।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** किन-किन राज्यों ने उक्त कार्यों को अब तक पृथक् कर दिया है तथा इन्हें पृथक् करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

†**श्री सु० कु० डे :** अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की स्थिति कुछ भिन्न है। अन्य स्थानों की भांति बिहार में ग्राम और तहसील के स्तर पर राजस्व सेवा नहीं है। दूसरे, राज्य-क्षेत्र के अल्प-विकसित होने के कारण बिहार में शिक्षित व्यक्तियों की बहुत कमी है। राज्य सरकार ने यही तर्क उपस्थित किया था। फिर भी हम राज्य सरकार के साथ इस विषय पर आगे विचार कर रहे हैं और उन्होंने स्थिति पर पुनर्विचार करने का वायदा किया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री का अभिप्राय है कि बिहार के सब पढ़े लिखे लोग पार्लियामेंट में आ गये हैं ?

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि बिहार के अनेक ग्रेजुएट यत्रतत्र रोजगार की तलाश में चक्कर लगा रहे हैं ; बिहार में शिक्षित व्यक्तियों की कमी नहीं है और यह अभिव्यक्ति ठीक नहीं है कि बिहार में शिक्षित व्यक्तियों की कमी है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो राज्य सरकार से पूछना चाहिये।

†**श्री तंगामणि :** क्या सब राज्यों ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है कि गैर-सरकारी व्यक्ति ही खण्ड विकास समिति के अध्यक्ष रहें और यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने इसे कार्यान्वित कर दिया है ?

†**श्री सु० कु० डे :** यह सर्वथा पृथक् प्रश्न है। राज्य सरकारों को यह प्रस्ताव संप्रेषित कर दिया गया है और वे शनैः शनैः इसे क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या खण्ड विकास अधिकारियों से पश्चिम बंगाल में सर्कल अधिकारियों की भांति अपने अपने क्षेत्र में मेजिस्ट्रेट के अधिकार दे दिये हैं ?

†**श्री सु० कु० डे** : जहां तक मुझे मालूम है पश्चिम बंगाल में खण्ड विकास अधिकारियों को मैजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त नहीं हैं किन्तु उन से यह आशा की जाती है कि भूतकाल में सर्कल अधिकारियों की भांति वे भी सहायता तथा अन्य कार्य करें। पश्चिम बंगाल सरकार ने हमें यही बताया है।

†**श्री सुब्बया अम्बलम** : क्या राजस्व अधिकारियों को खण्ड विकास अधिकारियों के रूप में भरती करने के बारे में केन्द्र ने राज्य सरकार को कोई अनुदेश दिये हैं ?

†**श्री सु० कु० डे** : हमने राज्य सरकारों से कह दिया है कि वे खुले बाजार से खण्ड विकास अधिकारियों की भरती कर सकते हैं। विभिन्न टेक्नीकल विभागों के वर्तमान कर्मचारियों की पदोन्नति तथा विभिन्न राजस्व सेवाओं से समुचित व्यक्तियों को लेकर भी इन अधिकारियों की पूर्ति कर सकते हैं।

†**श्री बासप्पा** : मेरे राज्य में परियोजना अधिकारी सब-डिवीजनल अधिकारी भी हैं। क्या इन सब-डिवीजनल अधिकारियों को इस कार्य की भी अनुमति इसलिये दी जाती है कि यह राजस्व अधिकारी भी हैं ? वे परियोजना अधिकारी बने हुए हैं तथा वे खण्ड विकास की मीटिंग की अध्यक्षता में उप आयुक्तों को वैयक्तिक सहायता भी प्रदान करते हैं। इस विषय में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री सु० कु० डे : परियोजना अधिकारी एक पुराना पद था जो अब समाप्त कर दिया गया है। सब-डिवीजनल अधिकारी केवल खण्ड विकास अधिकारी के कार्यों का निरीक्षण करता है।

सहायक स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण[1]

+

†*१३५७. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायक स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण की योजना प्रारम्भ हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों के अधीन आज तक ऐसे कितने प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं; और

(ग) इन प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रारम्भ करने के लिये कितनी रकम खर्च की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) निम्न स्थानों पर तीन केन्द्र प्रारम्भ किये गये हैं :—

(१) पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट, पटना

(२) आंन्ध्र मेडीकल कालेज, विशाखपत्तनम्

(३) सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज, जयपुर

(ग) १९५७-५८ में १५,१८१ रुपये और १९५८-५९ में ४,८११ रुपये क्रमशः बिहार और आंध्र प्रदेश सरकार को सहायक स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिये दिये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Training of Auxiliary Health workers.

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में वर्तमान स्कूलों में यह ट्रेनिंग दी जाती है। द्वित्तीय पंच वर्षीय योजना में इस प्रयोजन में लिये कितने स्कूल खोले गये हैं ?

†**श्री करमरकर** : १९५५ में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् द्वारा पारित संकल्प के अनुसरण में ही यह योजना बनाई गई थी। मैं ने अभी कहा था कि यह तीन राज्य ही इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। ऐसी कुछ योजनाऐं पश्चिम बंगाल सरकार के विचाराधीन हैं। किन्तु उन के प्रस्ताव अभी हमें नहीं मिले हैं। अन्य राज्यों से हमारे पास कोई योजनाऐं नहीं आई हैं।

सेठ गोविन्द दास : जिन जिन राज्यों में अभी तक इस प्रकार के केन्द्र नहीं खुले हैं, उन उन राज्यों से क्या केन्द्र की कोई लिखा पढ़ी हो रही है, और क्या जिन राज्यों में अभी तक केन्द्र नहीं खुले हैं क्या वहां शीघ्र इस तरह के केन्द्र खुलने वाले हैं, यदि खुलने वाले हैं तो कब तक ?

श्री करमरकर : हम स्टेट गवर्नमेंट्स से लिखा पढ़ी करते हैं और उन के पास से जब प्रपोजल्स आते हैं तो उन पर सोचते हैं और उन को मुनासिब सहायता देते हैं। आज तक जो प्रपोजल सफल हुए हैं उनकी फेहरिस्त मैं ने बतायी है। अगर बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स से स्कीम्स आ जायेंगी तो हम उन पर विचार करेंगे।

डा० सुशीला नायर : जब यह योजना बनायी गयी थी तो कुछ ऐसा विचार था कि जो लोग गांवों में बैठ कर काम कर रहे हैं या थोड़ी बहुत हिकमत सीख कर काम कर रहे हैं उनको थोड़ी सी और शिक्षा देकर डाक्टरों की सहायता में लगा दिया जाये। तो अभी तक जो आग्जिलरी परसोनल तैयार किया गया है उस में ऐसे लोगों की संख्या कितनी होगी क्या मंत्री महोदय बतला सकेंगे ?

श्री करमरकर : जनाब, इस वक्त मेरे पास इन्फ़र्मेशन मौजूद नहीं है, जो कि मैं हाउस के सामने रखूं।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इस योजना के अन्तर्गत नर्सों और दाइयों को दी जाने वाली ट्रेनिंग केवल सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिये है अथवा यह सामान्य ट्रेनिंग है ?

†**श्री करमरकर** : इन सहायक चिकित्सा कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने का विचार इसलिये किया गया था कि वे चिकित्सा का विश्लेषण और निदान ही न करें, वे सामान्य प्रथमोपचार के अतिरिक्त कुछ नहीं करें। उनकी ट्रेनिंग इस प्रकार हो कि वे विरोधक उपायों में स्वास्थ्य अधिकारियों की सहायता कर सकें। जिन में स्वच्छता, सार्वजनिक शिक्षा इत्यादि सम्मिलित हैं। अतः पाठ्यक्रम भी इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि उन्हें शरीर-रचना, शरीर विज्ञान, खाद्य तथा पोषण माइक्रोबायलाजी, उन्मुक्तिकरण[1] टीके सीरम स्टोरेज इत्यादि विषयों का शिक्षण मिल सके ताकि वे योग्य डाक्टरों के उपयुक्त सहायक सिद्ध हो सकें। अतः वे डाक्टरों का स्थान नहीं ले रहे हैं; वे उन के कार्य में सहायता प्रदान करेंगे।

श्री पद्म देव : क्या यूनियन टेरीटरीज़ के अन्दर भी इस किस्म के केन्द्र खुले हैं जहां इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है।

श्री करमरकर : अभी तक तो नहीं खुले हैं। अगर वहां से प्रोपोज़ल्स आ जायेंग तो खुलेंगे।

श्री ब्रजराज सिंह : वहां तक आप ही करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Immunisation.

†श्री मेलकोटे : ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या और ट्रेनिंग की अवधि कितनी है ?

†श्री करमरकर : सवाई मानसिंह मेडिकल कालज जयपुर के ट्रेनिंग केन्द्र में १९५७-५८ में ३३ उम्मीदवार थे ; १९५८-५९ में ५० उम्मीदवार और भरती किय जायेंगे । पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट पटना के ट्रेनिंग केन्द्र में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या हर वर्ष ५० है । और विशाखपत्तनम् कालज के बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । यह पाठ्य क्रम दो वर्ष के लिये है ।

†श्री कोडियान : द्वितीय पंच वर्षीय योजना अवधि में कितन सहायक स्वास्थ्य कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जायगी ?

†श्री करमरकर: मेरे पास इस समय कोई जानकारी नहीं है किन्तु यदि माननीय सदस्य ने पूर्व सूचना दी तो मैं इस दिशा की ओर ध्यान दूंगा ।

†श्री ब्रजराज सिंह : पर तब किसे देंगे ?

भारतीय रेलों में डकैतियां

+

†*१३५८. { **श्री दलजीत सिंह :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री २५ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चलती गाड़ियों में चोरी तथा डकैतियों की घटनायें रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२३]

†सरदार इकबाल सिंह : विवरण में उल्लिखित सम्पूर्ण उपाय कर लेने पर भी १९५६, १९५७ और १९५८ में चोरी की कितनी घटनायें घटी थीं ?

†श्री शाहनवाज खां : आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं । इसके लिये पृथक सूचना चाहिये ।

†सरदार इकबाल सिंह : क्या यह सब उपाय करने पर भी १९५६ की अपेक्षा १९५७ में और १९५७ की तुलना करते हुये १९५८ में अपराधों की संख्या बढ़ी है ?

†श्री शाहनवाज खां : मैंने पूर्व सूचना मांगी है । मैं आंकड़ों के अभाव में उत्तर नहीं दे सकता हूं ।

श्री भक्त दर्शन : रेलवे मंत्री जी ने यह जो विवरण दिया है, उससे यह ज्ञात होता है कि रेलवे की रक्षा की व्यवस्था प्रान्तीय सरकारों के ऊपर है । मैं यह जानना चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय इस महत्वपूर्ण विषय की सीधी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं लेता, जिसकी आये दिन यहां पर चर्चा होती रहती है, और यह काम रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स को क्यों नहीं सौंपता ।

श्री शाहनवाज खां : यह ज़िम्मेदारी दो किस्म की है । रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स की ज़िम्मेदारी रेलवे की प्रापर्टी की हिफ़ाजत करना है । जो मुसाफ़िर रेलवे में सफ़र करते हैं, उनकी और चलती गाड़ियों पर जो डकैतियां वगैरह होती हैं, उनकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है, चूंकि यह ला एंड आर्डर का प्रोबलम है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरूआ** : विवरण में बताया गया है कि रेलवे यार्ड और रेलवे से सम्बद्ध अन्य जमीन में प्रवेश करने वालों तथा सन्देहास्पद व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और उन पर भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा १२२ के अधीन मुकदमा चलाने के लिये विशेष आन्दोलन का सूत्रपात किया गया है । यार्डों में अनुचित प्रवेश करने वाले और सन्देहास्पद व्यक्ति कितनी संख्या में आन्दोलन प्रारम्भ करने के बाद गिरफ्तार किये गये हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि सब से ज्यादा चोरी किस रेलवे में हुई है ?

श्री शाहनवाज खां : सब से ज्यादा चोरी तो ईस्टर्न रेलवे में हुई है और दूसरे नम्बर पर साउथ ईस्टर्न रेलवे है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या इसका कोई कारण पता लगा है कि वहां पर सब से ज्यादा चोरी क्यों हुई और दूसरी जगह कम क्यों हुई ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जो लोग चोरी करते हैं, ग़ालिबन वहा उनकी तादाद ज्यादा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री तंगामणि !

†**श्री विमल घोष** : जब माननीय मंत्री के पास आंकड़े ही नहीं हैं तो वह उत्तर क्या देंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब मैंने एक माननीय सदस्य का नाम पुकारा है तो फिर अन्य सदस्य को खड़ा नहीं होना चाहिये ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह बात सरकार की जानकारी में लाई गई है कि गत ८ सितम्बर को मद्रास में कोदम्बकम पर डाका डाला गया जिसमें स्वयं स्टेशन मास्टर को छरा भोंक दिया गया था और उस समय घटना स्थल पर न तो पहरा तथा प्रतिरक्षा कर्मचारी थे और न रेलवे पुलिस की थी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : पहरा तथा प्रतिरक्षा कर्मचारी प्रत्येक स्टेशन पर नहीं रहते हैं । वे मुख्य-मुख्य स्टेशनों पर रहते हैं । उक्त घटना में कुछ व्यक्तियों का एक गिरोह सम्मिलित था । उन्होंने शराब पी कर स्टेशन में उत्पात खड़ा कर दिया था ।

†**श्री प० ला० बारूपाल** : माननीय मंत्री जी ने बताया है कि सब से ज्यादा चोरी ईस्टर्न रेलवे में हुई । मैं यह जानना चाहता हूं कि रेलवे वर्कशाप्स में जो चोरियां होती हैं, क्या वे भी इसमें शामिल हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जो सवाल पूछा गया है, वह रनिंग ट्रेन्ज़––चलती गाड़ियों––में होने वाली चोरियों और डकैतियों के बारे में है । वर्कशाप्स में होने वाली चोरियां इसमें शामिल नहीं हैं ।

†**श्री प० ला० बारूपाल** : वर्कशाप्स में जो चोरियां होती हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी वाच एण्ड वार्ड स्टाफ पर नहीं है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : बिल्कुल नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गोरे** : कुछ दिन पहले रेलवे मंत्री ने बताया था कि बिना टिकट यात्रियों की सब से अधिक संख्या पूर्वी रेलवे में है। आज उपमंत्री जी ने कहा है कि चोरी की सब से अधिक घटनायें पूर्वी रेलवे में हैं। क्या दोनों में कोई सम्बन्ध है ?

† **श्री शाहनवाज खां** : यह मेरे कहने से बहुत अधिक है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उस दिन मैंने यह सुझाव दिया था कि रेलवे की सुविधायें और अन्य विषयों पर वर्ष में एक बार चर्चा होने के स्थान पर, यदि माननीय मंत्री को आपत्ति न हो तो वह सभा भवन के भीतर अथवा बाहर माननीय सदस्यों के साथ चर्चा कर सकते हैं। यदि यह सभा भवन में ही हुई तो मैं इसके लिये समय निर्धारित कर दूंगा।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : जी हां, आपने सुझाव दिया था। उसके पश्चात् हमने लोक-सभा सचिवालय को लिख दिया था। हम इस विचार का स्वागत करते हैं कि बजट सम्बन्धी चर्चा से पृथक, दो या तीन घंटे की चर्चा और हो जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि सम्पत्ति की सुरक्षा ही नहीं वरन् रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले और यात्रियों की प्राण रक्षा के लिये अधिक जोर दिया जाये। हम एक विषय पर चर्चा को केन्द्रित करने के पश्चात् अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे क्योंकि सब विषयों पर चर्चा करने के लिये दो या तीन घंटे पर्याप्त नहीं हैं।

†**श्री जगजीवन राम** : मुझे कोई आपत्ति नहीं है मैं सदैव इस बात के लिये तैयार हूं कि इन विषयों पर लोक-सभा में चर्चा हो। किन्तु इसके लिये समय तो आप ही निर्धारित करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं विचार करूंगा।

†**श्री जगजीवन राम** : जहां तक रेलवे मंत्रालय अथवा मेरा सम्बन्ध है मैं लोक-सभा में चर्चा का स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यों के सुझावों से हमें लाभ ही होगा। हमें लोक-सभा से कोई बात छुपाना नहीं है। कई ऐसी घटनायें हैं जिन से हम चिन्तित हो उठे हैं। किन्तु आप यह बात अनुभव करेंगे कि संविधान के अनुसार विधि तथा व्यवस्था का विषय राज्य के क्षेत्राधिकार में है। यदि हम किसी बात का पता लगायें तो पहरा तथा प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा रेलवे पुलिस इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। वे राज्य की सरकारों को रिपोर्ट करेंगे और फिर वे जांच इत्यादि प्रारम्भ करेंगे। रेलवे के कर्मचारी केवल राज्य पुलिस की सहायता करते हैं। हमारे सामने यही कठिनाई है और सम्पूर्ण उत्तरदायित्व वहन करना केन्द्रीय सरकार के लिये सम्भव नहीं है। किन्तु मैंने अभी कहा है कि मैं लोक सभा में बार-बार होने वाली चर्चा का स्वागत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी कोई ग़लती नहीं करनी चाहिये जिसका कोई उपाय न हो सके। मैं नहीं समझता कि संवैधानिक दृष्टि से इसमें कोई कठिनाई आयेगी। मैं चाहता यह हूं कि इस बारे में अवश्य चर्चा की जाये। कोई ऐसा उपाय अवश्य सोचा जाये जिससे यात्रा करने वाले लोगों के मन में सुरक्षा का भाव उत्पन्न किया जा सके। माननीय मंत्री को यह नहीं समझना चाहिये कि राज्य सरकारें सहयोग नहीं देंगी। माननीय मंत्री को स्वयं यह चर्चा चलानी चाहिये और सभा में बताना चाहिये कि उनके मार्ग में क्या-क्या कठिनाइयां हैं ताकि सभासद उनके बारे में अपना सुझाव दे सकें। माननीय मंत्री को स्वयं ही इस चर्चा के लिये कुछ समय मांगना चाहिये अथवा किसी गैर-सरकारी संकल्प के लिये भी कुछ समय निर्धारित किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बोस** : गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की क्या स्थिति है ?

†**श्री जगजीवन राम** : वह तो राज्य सरकारों के अधीन है ।

जैसा मैंने कहा है, मैं तो आयव्ययक सम्बन्धी चर्चा के अतिरिक्त अन्य अवसरों पर भी सभा में खुली चर्चा करने के लिये तैयार हूं । जैसा आपने सुझाव दिया है, प्रत्येक सत्र में रेलवे के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिये कुछ समय निर्धारित किया जाये । मैं आपके इस सुझाव से सहमत हूं ।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : रेलवे दुर्घटनाओं के सम्बन्ध रखने वाला यह संकल्प सभा के सामने बहुत समय से पड़ा है, और आपने इसे प्रस्तुत करने की स्वीकृति भी दे दी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके लिये मैं कोई समय निश्चित करूंगा ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : प्रस्ताव चर्चा के लिये स्वीकार किया जा चुका है । रेलवे स्टेशनों पर चोरियां और डाके पड़ रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसके लिये शीघ्र ही कोई समय निश्चित करूंगा ।

टेल्को के रेल इंजन

\+

†*१३५९. **श्री जगन्नाथ राव** :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री वारियर :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स टेल्को ने प्रति इंजन का मूल्य ३.९३ लाख रुपया बताया है जब कि रेलवे बोर्ड ने १ अप्रैल, १९५८ से प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिये एक-एक इंजन के लिये केवल ३.७५ लाख रुपये निर्धारित किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) क्योंकि कम्पनी ने ३.७५ लाख रुपये प्रति इंजन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है, इसलिये अब वह मामला एक मध्यस्थ के हवाले कर दिया गया है ।

†**श्री जगन्नाथ राव** : यह मामला किस मध्यस्थ को सौंपा गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : श्री मजूमदार जो कि बंगाल उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश हैं ।

†**श्री जगन्नाथ राव** : उन्हें कब तक अपना निर्णय दे देने के लिये कहा गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : आशा है कि वे अपना कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर देंगे । वे इसके लिये अधिक समय नहीं लेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या फर्म द्वारा बतायी गयी कीमत और सरकार द्वारा प्रस्तावित की गयी कीमत के बीच जो १८,००० रुपयों का अन्तर है, वह प्रत्येक इंजन पर आने वाले सम्पूर्ण खर्च के कारण है ? इन इंजनों की कीमत चित्तरंजन के इंजनों की कीमत की तुलना में कैसी है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : चित्तरंजन का इंजन तो बड़ी लाइन का इंजन है जिस पर ४.७७ लाख रुपयों का कुल खर्च आता है। परन्तु इस चीज का मुकाबला नहीं है।

†**श्री प्रभात कार** : मध्यस्थ के निर्देश पद क्या-क्या हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : निर्देश पद यह है कि क्या मैसर्स टाटा लोकोमोटिव एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटड द्वारा १-४-५८ से ३१-३-१९६० तक की अवधि में संभरित किये जा चुके अथवा संभरित किये जा रहे २०० इंजनों की कीमत ३,९२,८६१ रुपये प्रति इंजन होनी चाहिये अथवा जैसे सरकार ने प्रस्तावित किया है, ३,७४,९९४ रुपये प्रति इंजन होनी चाहिये ?

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : अन्य देशों जैसे कि जापान से आयात किये जाने वाले उसी प्रकार के इंजन की क्या कीमत है ?

†**श्री शाहनवाज खां** १९५५ से हमने कोई भी मीटर लाइन का इंजन आयात नहीं किया है।

†**श्री सिंहासन सिंह** : सरकार द्वारा प्रस्तावित की गयी कीमत और कम्पनी द्वारा मांगी गयी कीमत में इतना अन्तर क्यों है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : इस अन्तर के कई आधार हैं। और क्योंकि उन कीमतों में अन्तर है इसीलिये हमने वह मामला एक मध्यस्थ को सौंप दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मामला इस समय मध्यस्थ के हाथ में है।

†**श्री विमल घोष** : इसे प्रशुल्क आयोग को क्यों नहीं सौंप दिया जाता ?

†**श्री जगजीवन राम** : पिछली बार मामला प्रशुल्क आयोग को सौंपा गया था। परन्तु इस बार हमने यही सोचा था कि क्योंकि यहां कीमत का कोई अधिक अन्तर नहीं है इसलिये यह मध्यस्थ के रूप में एक वकील के हवाले कर दिया जाये, ताकि मामला जल्दी से सुधर जाये।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†*१३६०. **श्री तंगामणि** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक्टरों तथा चिकित्सा कर्मचारियों की कमी के कारण अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के मार्ग में कई कठिनाइयां आ रही हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त डाक्टरों से भी शिकायतें आ रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार स्थिति के सुधार के लिये क्या-क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२४**]

---

†पूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : विवरण में यह लिखा हुआ है कि इस योजना के अन्तर्गत लगभग ४ लाख व्यक्ति आते हैं, जब कि उन के लिये केवल ४० डाक्टर नियुक्त हैं। इसका अर्थ यह है कि १०,००० व्यक्तियों के लिये केवल एक ही डाक्टर है। मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष और कितने डाक्टर नियुक्त किये जायेंगे ?

†**श्री करमरकर** : ये ४० डाक्टर, जिन में ११ विशेषज्ञ भी सम्मिलित हैं, १९५४ में जब यह योजना प्रारम्भ की गयी थी, उस समय नियुक्त किये गये थे। परन्तु उस समय तो योजना में केवल २,२३,००० व्यक्ति सम्मिलित थे। परन्तु इस समय तो १८१ डाक्टर हैं, जिन में ३० विशेषज्ञ हैं। ४४ और डाक्टर भी नियुक्त करने का विचार है।

†**श्री तंगामणि** : क्या एक हज़ार व्यक्तियों के लिये एक डाक्टर नियुक्त करने का विचार है ?

†**श्री करमरकर** : हम तो अधिक से अधिक सेवा प्रदान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वैसे कोई प्रतिशतता तो निश्चित नहीं है, परन्तु यदि हम यह अनुभव करेंगे कि किसी चिकित्सालय में अधिक भीड़ रहती है तो वहां पर हम अतिरिक्त डाक्टर भी नियुक्त कर सकते हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा असैनिक कर्मचारियों को जिनकी संख्य लगभग ८,००० है, इस योजना से इसलिये वंचित रखा जा रहा है कि उन के काम करने का स्थान दिल्ली छावनी और शकूरबस्ती है। ऐसा भेदभाव क्यों रखा जा रहा है ?

†**श्री करमरकर** : भारत सरकार के असैनिक कर्मचारी ?

†**श्री स० म० बनर्जी** : जी हां। भारत सरकार के असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारी। वे काम तो दिल्ली छावनी या शकूरबस्ती में करते हैं, परन्तु वे दिल्ली और नई दिल्ली में रह रहे हैं ?

†**श्री करमरकर** : मुझे इस बारे में शान नहीं है। इस सम्बन्ध में मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है। परन्तु हम तो इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के लगभग सभी कर्मचारियों को लाना चाहते हैं।

†**डा० सुशीला नायर** : अब प्रति व्यक्ति पर आने वाला खर्च इस समय के प्रति व्यक्ति के खर्च की तुलना में कैसा है, जब कि यह योजना प्रारम्भ हुई थी ?

†**श्री करमरकर** : इस के अन्तर्गत व्यक्तियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ खर्च भी बढ़ता जा रहा है। जैसा कि मैं ने पहले बताया है १९५४-५५ में योजना के अन्तर्गत २,२३,००० व्यक्ति थे और कुल १५,८७,८०५ रुपयों का खर्च था। इस समय उसके अन्तर्गत ४ लाख व्यक्ति सम्मिलित हैं और उन पर गत वर्ष —१९५७-५८ में —४०,७३,७५० रुपयों का खर्च आया था। अब प्राप्त होने वाली धन राशि भी बढ़ती जा रही है। १९५५-५६ में २७,३२,३४२ रुपयों का खर्च आया था और १६,५५,६०१ रुपयों की राशि प्राप्त हुई थी। १९५७–५८ में ४०,७३,७५० रुपयों का खर्च आया था और २३,४६,४४४ रुपयों की प्राप्ति हुई थी।

†**श्री दासप्पा** : अतिरिक्त ४४ स्थान कब मंजूर किये गये थे और उन में से कितने व्यक्ति नियुक्त किये जा चुके हैं ?

†**श्री करमरकर** : इन डाक्टरों को नियुक्त करने का विचार है और जिस समय आवश्यकता होगी उन्हें नियुक्त कर लिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री हेम बरूआ** : प्रतिदिन औसत कितने व्यक्ति चिकित्सालयों में आते हैं और कितने डाक्टर उनका इलाज करते हैं ?

†**श्री करमरकर** : डाक्टरों की संख्या तो मैंने पहले बता दी है। सभी चिकित्सालयों में प्रतिदिन लगभग १०,६७६ व्यक्ति आते हैं। गत वर्ष कुल ३२,५०,९३० व्यक्तियों ने लाभ उठाया था।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है कि पहाड़गंज में जहां चार सरकारी बस्तियां हैं, केवल एक ही चिकित्सालय है और सदर बाज़ार के चिकित्सालय को बन्द कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी कर्मचारियों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है और बहुत से कर्मचारियों को तो प्राइवेट डाक्टरों से इलाज कराना पड़ता है ?

†**श्री करमरकर** : इस विशेष बात की जांच के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है। परन्तु कई बार होता यह है कि व्यक्ति को चिकित्सालय एलाट करते समय बराबर बटवारे के नियम को ध्यान में नहीं रखा जाता और इसी कारण किन्हीं चिकित्सालयों में अधिक भीड़ भाड़ हो जाती है। अन्य स्थानों पर जहां सरकारी कर्मचारी बहुत पास पास रहते हैं, वहां कर्मचारियों की अच्छी सहायता की जा रही है। परन्तु जहां कर्मचारी दूर दूर रहते हैं, वहां हम मजबूर हैं।

चावल का आयात

+

†*१३६१. **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री सूपकार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५८ से अभी तक कुल कितने चावल का आयात किया गया है ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में कितना चावल आयात किया जायेगा ; और

(ग) आयात किये गये अथवा किये जाने वाले चावल की कुल कितनी कीमत है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). आयात कार्य-क्रम के सम्बन्ध में जानकारी देना लोक हित में नहीं है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या थाईलैंड की सरकार ने भारत को चावल देने का प्रस्ताव किया है, और क्या वह स्वीकार कर लिया गया है ?

†**श्री अ० म० थामस** : मैंने पहले ही कह दिया है कि सभा का आयात कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी पूछने के लिये आग्रह करना उचित नहीं है। इसका अन्न के सम्बन्ध में देश के अन्दर और बाहिर हो रही बातचीत पर बुरा असर पड़ेगा। सभी पार्टियों के सभा-सदस्यों की एक अनौपचारिक बैठक में यह निर्णय किया गया था कि माननीय सदस्यों को अन्न के आयात कार्यक्रमों तथा स्टाक की स्थिति के बारे में प्रश्न पूछने के लिये जिद्द नहीं करनी चाहिये।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या यह सच है कि पहले तो सरकार बर्मा तथा अन्य देशों से चावल के आयात के सम्बन्ध में जानकारी दिया करती थी। परन्तु अब जानकारी देने में क्या कठिनाई है ?

---

† मूल अंग्रज़ी में

†**श्री अ० म० थामस :** हम पहले तो इस प्रकार की जानकारी देते रहे हैं, परन्तु जानकारी न देने का निर्णय उस समिति में किया गया था। जिसमें श्री अशोक मेहता, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती तथा अन्य माननीय सदस्य थे।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या उस बैठक में इस विषय पर चर्चा की गयी थी ?

†**श्री अ० म० थामस** : इस बारे में मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि करार की शर्तों के अनुसार इस सभा से पूछे बिना एक पाई भी नहीं खर्च की जायेगी। सभा ने ५·३ लाख टन चावल के आयात के लिये २२·७९ करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं, परन्तु मैं समझता हूं कि यह बताना आवश्यक नहीं है कि अभी तक कितनी मात्रा मंगायी जा चुकी है और क्या क्या वस्तुयें मंगवायी जायेंगी।

†**श्री रंगा** : विदेशों से चावल किस मूल्य पर मंगवाया जा रहा है ? क्या इस चावल का मूल्य इस देश के मूल्यों की अपेक्षा अधिक है ?

†**श्री अ० म० थामस** : अब हम केवल बर्मा से ही आयात कर रहे हैं और वहां के एस० एम० एस० किस्म के चावल का दर ३२ पाउंड है और पूरे उबाले हुए चावल का दर ३२·११ पाउंड है।

दिल्ली में नर्सों की कमी

†*१३६२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नर्सों की बहुत कमी है ;

(ख) यदि हां तो इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) उन कार्यवाहियों से अभी तक क्या क्या परिणाम निकला है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) दिल्ली में नर्सों की कोई कमी नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

प्रश्न (क) भाग के सम्बन्ध में मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के अधीन आने वाले अस्पतालों में, अर्थात् सफदरजंग और विलिंगडन अस्पताल में, नर्सों की कमी है क्योंकि इन अस्पतालों का अभी अभी विकास किया गया है और वे इस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र भी नहीं हैं जैसे कि दिल्ली प्रशासन का इर्विन अस्पताल और दिल्ली नगर निगम का विक्टोरिया जनाना अस्पताल। दिल्ली में नर्सों की संख्या स्वीकृत संख्या से १६ प्रतिशत कम है। दिल्ली के अस्पतालों में कुल ७५१ नर्सों के लिये मंजूरी की है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : माननीय मंत्री का यह कहना है कि नर्सों की कोई अधिक कमी नहीं है। क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् अथवा नर्सिंग कौंसिल द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि कितनी शैय्याओं पर एक नर्स नियुक्त की जानी चाहिये, और क्या इस रूल के अनुसार दिल्ली में नर्सों की संख्या पर्याप्त है ?

†**श्री करमरकर** : दिल्ली प्रशासन के अधीन चलरहे अस्पतालों में नर्सों की संख्या के सम्बन्ध में निर्धारित किया गया रूल यह है : पांच शैय्याओं के लिये एक छात्र नर्स, दस शैय्या ओं के लिये एक स्टाफ नर्स, और ३० से ५० शैय्याओं के एक वार्ड के लिये एक सिस्टर। उनकी संख्या तो उसी हिसाब से मंजूर की गयी है परन्तु वास्तव में १६ प्रतिशत नर्सों की कमी है। केन्द्रीय सरकार

---

† मूल अंग्रजी में

के अधीन चल रहे दो अस्पतालों में तो हम स्वीकृत संख्या के अनुसार ही नर्सें नियुक्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम नर्सों के लिये समाचार पत्रों में विज्ञापन तो निकालते हैं, परन्तु उनका प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं मिलता। मैं समझता हूं कि अब तो हमें अस्पतालों में नर्सों के प्रशिक्षण के लिये कक्षाएं प्रारम्भ करनी चाहियें।

†**श्री थानू पिल्ले**: क्या यह सच है कि देश के अन्य भागों में प्रशिक्षित और अर्हता प्राप्त नर्सें बेरोजगार हैं।

†**श्री करमरकर**: इस सम्बन्ध में यद्यपि विभिन्न राज्यों की विभिन्न स्थिति है तो भी मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य का कथन ठीक है। उदाहरणार्थ, आसाम के अस्पतालों में तो बहुत सी नर्सें हैं, परन्तु दिल्ली में नर्सों की कमी है।

†**डा० सुशीला नायर**: माननीय मंत्री ने यह कहा था कि दिल्ली में नर्सों की बहुत अधिक कमी नहीं है। क्या यह सच है कि दिल्ली में निगम तथा केन्द्रीय सरकार दोनों के अधीन चल रहे अस्पतालों में ——जिनमें विलिंगडन अस्पताल और तपेदिक अस्पताल भी सम्मिलित हैं——नर्सों की कमी के कारण सैंकड़ों शैय्याएं महीनों तक खाली पड़ी रहती हैं?

†**श्री करमरकर**: मैं तो इस सम्बन्ध में यही कह सकता हूं कि माननीय सदस्या का कथन बिल्कुल गल्त है। अस्पतालों में तो शैय्याओं की इतनी अधिक कमी है कि हम रोगियों को बड़ी कठिनाई से स्थान दे पाते हैं। जहां तक दिल्ली प्रशासन का सम्बन्ध है, उसके अस्पतालों के सम्बन्ध में मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है, परन्तु जहां तक मुझे ज्ञात है, वहां पर भी शैय्याओं की कमी है।

दामोदर घाटी परियोजना

+

†*१३६३. { **सरदार इकबाल सिंह**:
श्री साधन गुप्त:
श्री सिद्धनंजप्पा:
श्री रामम्: }

क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** २८ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस प्रस्थापना को स्वीकार कर लिया गया है कि दामोदर घाटी परियोजना की सारी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार ले ले और पश्चिमी बंगाल तथा बिहार को दिये गये ऋण अपलिखित कर दिये जायें; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) जी, नहीं।

(ख) भारत सरकार द्वारा इस प्रस्थापना पर अच्छी प्रकार से विचार किया गया था, परन्तु वह प्रस्थापना स्वीकार न की जा सकी, क्योंकि पश्चिमी बंगाल की सरकार द्वारा उठाये गये प्रश्न का संबंध केवल उसी राज्य से न था। पश्चिमी बंगाल की प्रस्थापना को स्वीकार करने पर कई वित्तीय उलझनों का सामना करना पड़ता क्योंकि बहुत से राज्यों में ऐसी नदी घाटी विकास योजनायें प्रारम्भ की गयी हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार सहायता दे रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार इकबाल सिंह** : ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे बाध्य हो कर पश्चिमी बंगाल सरकार इस परियोजना को केन्द्रीय सरकार के हवाले कर रही है ?

†**श्री हाथी** : पश्चिमी बंगाल सरकार ने मुख्य कारण यही बताया है कि वह केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋणों को वापस अदा न कर सकेगी।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सच है कि इसका एक कारण यह भी है कि दामोदर घाटी के लिये निर्धारित लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है ?

†**श्री हाथी** : जहां तक मुझे ज्ञात है, इसका मुख्य कारण यह नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि प्रथम वर्ष में ही दामोदर घाटी परियोजना से जल संभरण की स्थिति लगभग असंतोषजनक रही है, इसीलिये पश्चिमी बंगाल की सरकार ने यह अनुभव किया है कि वह दामोदर घाटी परियोजना का पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार उपभोग न कर सकेगी ?

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या सरकार ने दामोदर घाटी परियोजना के लेखा-परीक्षण-प्रतिवेदन में की गयी आलोचना की ओर ध्यान दिया है और क्या वह दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां तो केवल जिम्मेवारी सौंपने और लेने का प्रश्न है। दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में हर प्रकार का प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है ?

निमतीता और तिलडांगा स्टेशनों के बीच बी० ए० के० लप लाइन

†*१३६४. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निमतीता स्टेशन और तिलडांगा और बरहरवा जंक्शन स्टेशनों के बीच एक नयी बी० ए० के० लूप लाइन लगाने अथवा निमतीता स्टेशन के बाद की बी० ए० के० लूप लाइन को पाकुड़ स्टेशन पर अथवा उसके बाद साहिबगंज लूप से मिलाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो नयी लाइन के साथ साथ बी० ए० के० लूप पर निमतीता और तिलडांगा के बीच धुलियां गंगा के स्थान पर टूटी हुई लाइन की मरम्मत का वास्तविक कार्य कब प्रारम्भ होगा ; और

(ग) क्या चालू वर्ष में इस कार्य के लिये कोई राशि निर्धारित की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) बी० ए० के० लूप लाइन के नये एलाइनमेंट पर निमतीता और तिलडांगा स्टेशनों के बीच सीधा यातायात पुनः चालू करने के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरिंग सर्वे किया जा चुका है ।

(ख) प्रतिवेदन की जांच से यह ज्ञात हुआ है कि ९ मील लाइन के मार्ग को बदलने का जिस पर लगभग आधा करोड़ रुपये खर्च आ जायेंगे, कोई विशेष लाभ न होगा। प्रस्थापित फरक्का नहर के पश्चिमी तट के साथ साथ जंगीपुर रोड और तिलडांगा के बीच २५ मील लाइन के मार्ग को बदलने का अधिक लाभ हो सकता है । दूसरी योजना के बारे में अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी**: क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा है कि यह लाइन उत्तरी बंगाल, आसाम और उत्तरी बिहार के कलकत्ता आने जाने के लिये एक नया मार्ग प्रदान करेगी और इसलिये क्या सरकार इस कार्य को शीघ्रता से पूरा करने का प्रयत्न करेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हमें तो यह पता है कि वह लाइन कितनी महत्वपूर्ण है, परन्तु ज्ञात यह है कि ९ मील लाइन की उस योजना से समस्या तो हल नहीं होती।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : मेरा मतलब केवल इसी ९ मील की योजना से नहीं है। वास्तव में मैं जानना यह चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई नयी लाइन तैयार की जायेगी।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जैसाकि पहले ही बताया जा चुका है इसका हल यही है कि फरक्का नहर के पश्चिमी तट के साथ साथ तक लाइन बनायी जाये। फरक्का नहर के बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया है। केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने नहर की योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : तो क्या इसका यह अर्थ निकलता है कि न तो ९ मील वाली लाइन बनेगी और न ही दूसरी लाइन प्रारम्भ की जायेगी ?

†**श्री सें ०वें० रामस्वामी** : इस में इस प्रकार से तो कोई वैकल्पिक लाइन प्रारम्भ करने का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। वास्तविक बात यह है कि २५ मील वाली लाइन का निर्माण नहर निर्माण पर निर्भर करता है, और इसलिये हमें नहर निर्माण के कार्य को शीघ्रता से पूरा करना चाहिये ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : : यह नई लाइन---९ मील वाली लाइन अथवा २५ मील वाली लाइन फरक्का नहर पर कैसे निर्भर करती है, क्योंकि वहां पर पुरानी लाइन तो पहले से ही थी जबकि नहर का अभी कुछ पता ही नहीं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे फरक्का नहर के सम्बन्ध में सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय से प्रश्न पूछें और इस बारे में निश्चित उत्तर प्राप्त करने के बाद ही हम इस बारे में निर्णय कर सकेंगे।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या इस बारे में छोटे छोटे प्रबन्धों के सम्बन्ध में भी निर्णय करना फरक्का नहर की योजना पर ही पूर्ण रुपेण निर्भर करता है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिंचाई मंत्रालय ने उस नहर का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की अभी तिथि भी निश्चित नहीं की है, क्या माननीय मंत्री हमें यह बता सकेंगे कि क्या इसी वर्ष के अन्दर ९ मील लाइन अथवा २५ मील वाली लाइन का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। यदि नहीं तो क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि वह कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्या यह जानना चाहती हैं कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सिंचाई मंत्रालय ने अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया है, क्या किसी भी वैकल्पिक लाइन को बनाने के कार्य के लिये शीघ्रता प्रदान की जायेगी।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यदि हम ९ मील वाली इस लाइन का निर्माण करते हैं तो वह बिल्कुल व्यर्थ होगी। इसीलिये हम दूसरी लाइन बनाना चाहते हैं, और इसके लिये हम सिंचाई मंत्रालय की योजना पर निर्भर कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या मैं रेलवे मंत्रालय से यह जान सकती हूं कि वे उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल को जोड़ने के लिये कौन सा रेल मार्ग बना रहे हैं। क्योंकि विभाजन के बाद से दोनों के बीच कोई आवागमन का साधन नहीं रह गया है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : दोनों के बीच काफी सड़कें हैं और सड़कों का यातायात बढ़ रहा है। रेलवे लाइन के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार ने सुझाव दिया है कि पाकुड़ और तिलडांगा के बीच एक रेलवे लाइन बनाई जाये। परन्तु यह भी एक अल्प कालीन साधन है। और हम निश्चय ही एक दीर्घकालीन साधन तथा उस समस्या के संतोषप्रद हल के लिये विचार कर रहे हैं।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या मैं जान सकता हूं कि रेलवे मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित दीर्घकालीन रेलवे सम्पर्क की व्यवस्था फरक्का नहर के निर्माण पर किस प्रकार अवलम्बित है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्योंकि यह दोनों साथ ही साथ चलेंगी। जैसाकि मैं कह चुका हूं, यह फरक्का नहर के पश्चिम में उसी के किनारे किनारे बनायी जायेगी।

†**श्री अ० चं० गुह**: क्या रेलवे मंत्रालय का यह विचार है कि कलकत्ता को उत्तर बंगाल और बिहार से यातायात की समस्या सड़क-यातायात के द्वारा हल हो जायेगी और इसलिये उचित रेलवे लाइन नहीं बनाई जायेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह विचार नहीं है।

†**श्री अ० चं० गुह** : माननीय उपमंत्री जी ने यही कहा था।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जब तक हम स्थायी हल का निर्णय नहीं कर लेते तब तक तुरन्त तथा अस्थायी हल के लिए यही संभव हो सकता है।

सार्वजनिक टेलीफोनों की मशीनों में डालने के लिये दशमिक प्रणाली के सिक्कों का प्रयोग

+

†*१३६५. { **श्री नौशीर भरूचा** :
श्री पांगरकर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २६ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८७५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस समय तक सार्वजनिक टेलीफोन की मशीनों में ऐसे उपयुक्त परिवर्त्तन कर दिये जायेंगे जिससे जनता उनमें दशमिक प्रणाली के सिक्के डाल सके ;

(ख) उस प्रयोजन के लिये दशमिक प्रणाली के नये सिक्कों में से कौनसा सिक्का काम में लाने का निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) लगभग ६ महीनों में।

(ख) वर्त्तमान निर्णय यह है कि १५ नये पैसे लिए जाएंगे।

†**श्री नौशीर भरूचा** : क्या मैं जान सकता हूं कि टेलीफोन मशीन के खांचे में १५ नये पैसे किस प्रकार डाले जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल :** हम एक ऐसा उपाय सोच रहे है जिससे १० नये पैसे और ५ नये पैसों के दो सिक्के एक के बाद एक मशीन में डाले जा सकें और इस प्रकार अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सके ।

†**श्री नौशीर भरूचा :** यदि दो नये सिक्कों से अपेक्षित परिणाम निकल सकता है तो सरकार दूसरा सिक्का २ नये पैसों का क्यों नहीं रखती ; वह लाभ क्यों उठाना चाहती है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** यह वास्तव में ठीक ठीक १२½ नये पैसे होता है परन्तु चूंकि अब सिक्के १० नये पैसे और ५ नये पैसे के हैं और टेलीफोनों का विकास जरूरी है तथा इसके लिए पैसे की जरूरत है अतएव हमने यह दर १५ नये पैसे कर दी है ।

विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स लिमिटेड, खड्डा

+

†*१३६७. { **श्री सिंहासन सिंह :**
श्री रामजी वर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विष्ण प्रताप शुगर वर्क्स लिमिटेड, खड्डा के सरकारी नियंत्रक ने कोई लाभ बताया है और क्या उन्होंने कारखाने की मशीनरी को बढ़ाया है ;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी बकाया रकमों आदि की वसूली के लिये उक्त मिल को नीलाम करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो जब कारखाने पर कब्जा किया गया था तब उससे कितनी रकम वसूल करनी थी और अब कुल कितनी रकम वसूल करनी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) कारखाने का वित्तीय वर्ष ३० सितम्बर १९५८ को समाप्त होगा और यह आशा है कि कारखाने को १ लाख रुपयों का लाभ होगा निधियों के अभाव के कारण मशीनरी में कोई सुधार नहीं किया जा सका ।

(ख) जी, हां । राज्य सरकार ने सरकार की बकाया रकमों के न चुकाये जाने के कारण मिल को नीलाम करने का निर्णय कर लिया है ।

(ग) जब सितम्बर, १९५५ में कारखाने पर सरकार ने कब्जा किया था तब सरकार की बकाया रकमें और कुल दायित्व क्रमश: १०·४० लाख रुपये और २७·८२ लाख रुपये थीं और अब वे क्रमश: १९·०६ लाख रुपये और २७·०९ लाख रुपये हैं। १९५५ के दायित्वों में गन्ने के मूल्य की बकाया और सहकारी समिति के कमीशन की रकम के ५·९४ लाख रुपये तथा बैंक के कर्जे की रकम के ४·९५ लाख रुपये शामिल हैं। अब गन्ने की कीमत की कोई बकाया रकम नहीं है और न ही बैंक का कोई ऋण देय है ।

†**श्री सिंहासन सिंह :** क्या मैं यह जान सकता हूं कि जब सरकार ने कम्पनी का नियंत्रण अपने हाथ में लिया था तब मूलत: कितनी बकाया रकमें देय थीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस :** पहली बार १४–७–१९५४ में कम्पनी पर कब्जा किया गया था। उस समय अत्यावश्यक संभरण (अस्थायी शक्तियां) विधेयक, १९४६ के अधीन देवरिया के दंडाधीश को उस पर नियंत्रण करने का प्राधिकार दिया गया था। मैं १९५५ की स्थिति का उल्लेख पहले ही कर चुका हूं।

†**श्री सिंहासन सिंह :** कारखाने के सरकार के, प्रत्यक्ष रूप से या अन्य किसी के जरिये, नियंत्रण में आ जाने के बाद क्या सरकारी बकाया रकमों में कोई कमी हुई है ?

†**श्री अ० म० थामस :** सरकारी बकाया रकमों में कोई कमी नहीं हुई। १९५०–५१ से १९५६–५८ तक का गन्ना उपकर तथा आयकर बकाया है और उसे चुकाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

†**श्री विश्वनाथ राय :** क्या कारखाने का कोई व्यवस्थापक अब कारखाने को लेने के लिये तथा बकाया रकमों को किश्तों में चुकाने के लिये तैयार है ?

†**श्री अ० म० थामस :** इस बारे में हमारा पिछला अनुभव वास्तव में दुःखद ही रहा है। हमने इस कम्पनी के प्रबंध का भार उसके सबसे बड़े हिस्सेदार रानी राबादी देवी को सौंपा था परन्तु मिल ठीक से न चल सकी। इसके पश्चात् राज्य सरकार की सिफारिश पर हमने मिल की जिम्मेदारी एक अन्य व्यक्ति को सौंप दी परन्तु फिर भी मिल ठीक से न चल पाई। अब श्री के० पी० जैन को प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिया गया है और मिल बहुत कुछ संतोषपूर्ण ढंग से चल रही है।

†**श्री च० द० पांडे :** क्या सरकार को यह मालूम है कि इस प्रकार की नियंत्रित कम्पनियों जैसे, दोईवाला, मुहीउद्दीनपुर तथा खज्जा के प्रबंध की जिम्मेदारी विभाग के उन कार्यकर्त्ताओं को सौंप देने के फलस्वरूप इसी व्यापार में निरत अन्य कम्पनियों को शिकायत है जो कि चीनी से संबंधित नीति बनाने के लिये उत्तरदायी हैं।

†**श्री अ० म० थामस :** जैसा मैं बता चुका हूं कि प्राधिकृत नियंत्रक सरकार द्वारा अब नियुक्त किये गये हैं। जहां तक गैर-सरकारी व्यक्तियों का संबंध है, उनके विषय में हमारा अनुभव असंतोषप्रद रहा है। जब प्राधिकृत नियंत्रक ने कम्पनी का कार्य भार संभाला था तब व्यवहार्य रूप से कम्पनी के पास कोई निधि नहीं थी और वह बहुत बुरी तरह से कर्जे में डूबी हुई थी। हम इन चीजों को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री च० द० पांडे :** क्या यह स्वस्थ प्रथा है कि चीनी के कारखानों का नियंत्रण, उन विभागीय कार्यकर्त्ताओं को सौंप दिया जाये जो चीनी संबंधी नीति बनाते हैं।

†**श्री अ० म० थामस :** इस विशेष मामले में हमें केवल अन्तिम उपाय के बतौर ही ऐसा करना पड़ा है। इसके पूर्व दो गैर-सरकारी व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था और जैसा कि मैंने बताया हामारा अनुभव दुःखद रहा है।

†**श्री मुरारका :** सन् १९५५ में सरकार द्वारा उस कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेने के बाद उसके दायित्व कितने बढ़े अथवा घटे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस :** वास्तव में कुछ सीमा तक कुछ अधिक दायित्व बढ़ गये हैं अतएव आंकड़ों में कोई खास कमी नहीं हुई । जैसा कि मैंने बताया है १९५५ के आंकड़े क्रमशः १०·४० लाख और २७·८२ लाख थे और अब वे क्रमशः १९·०६ लाख और २७·०९ लाख हैं।

†**श्री जाधव :** इस चीनी-कारखाने की गन्ना-पेरने की क्षमता क्या है और वहां की मशीनों की हालत क्या है ?

†**श्री अ० म० थामस :** प्राधिकृत नियंत्रक के कार्यभार संभालने के बाद मशीनों का पुनर्नवन किया गया था और अब मशीनरी में कोई सुधार करने के लिये विधियां उपलब्ध नहीं हैं। कारखाने की क्षमता की जानकारी के लिये मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

†**श्री सिंहासन सिंह :** नीलाम के बारे में आपका क्या कहना है ? क्या नीलाम किया जायेगा अथवा सरकार मिल चलायेगी ?

श्री अ० म० थामस : ११ अगस्त को नीलाम रखा गया था । कुछ हिस्सेदारों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक लेख-याचिका दी थी और इससे नीलाम रोक दिया गया है ?

श्री मुरारका : सरकार के द्वारा प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिये जाने के बाद यदि किसी कम्पनी के दायित्व बढ़ जाते हैं तो क्या सरकार ने अन्य किसी व्यक्ति की सम्पत्ति का नीलाम करने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

†**श्री अ० म० थामस :** इस रकम का अधिकांश भाग ऐसा है जिसका खर्च सरकार द्वारा कब्ज़ा किये जाने के पहले हो चुका है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हवाई जहाज में तेल भरने की मशीन (एयरक्राफ्ट रीफ्यूलर) का निर्माण[1]

†*१३५२. **श्री दामानी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेंडर्ड वेक्यूम आइल कम्पनी भारत म हवाई जहाज़ में तेल भरने की मशीन (एयरक्राफ्ट रीफ्यूलर) बनाने में सफल हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बनाने में कितने देशी पुर्ज़े लगाये गये हैं ;

(ग) जहां तक इसके कार्य और कीमत का सम्बन्ध है, यह आयात की जाने वाली मशीनों (रीफ्यूलस) की अपेक्षा कैसी हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) जी, हां ।

(ख) ऐसा बताया जाता है कि इस तेल भरने की मशीन (रीफ्यूलर) को बनाने में जितनी लागत लगी है, उसका लगभग ५० प्रतिशत कीमत के पुर्ज़े देशी हैं ।

(ग) स्टेंडर्ड वेक्यूम आइल कम्पनी द्वारा निर्मित तेल भरने की मशीन (अंडर विंग टर्बो रीफ्यूलर २४०० इम्पीरियल गैलन क्षमतावाला) की लागत लगभग ९०,००० रुपये है जब कि इसी प्रकार की और इसी नमूने की आयात की गई मशीन की लागत लगभग १,४०,००० रुपये है । जहां तक इसके कार्य करने का सम्बन्ध है, आइल कम्पनी का दावा है कि वह आयात की जाने वाली मशीन की तुलना में ठीक उतरती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Manufacture of Aircraft Refueller.

दिल्ली में भूमि का कटाव

*१३५३. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में भूमि का कटाव रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) और (ख). कन्टर बंडिंग गल्ली प्लगिंग और वनरोपण जैसे भूमि संरक्षण के उपाय सन् १९५०–५१ से दिल्ली राज्य में किये जा रहे हैं।

सन् १९५१ से, लगभग १,१७७ एकड़ में, वनरोपण कर दिया गया है और दिल्ली के दक्षिण में महरौली के पहाड़ी क्षेत्रों में गल्ली प्लगिंग का काम कर दिया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ये काम अन्य १,४०० एकड़ों में करने का प्रस्ताव है।

मिट्टी को जमाने और हवा की रुकावट पैदा करने के लिये नजफ़गढ़ क्षेत्र में सड़क के दोनों तरफ़ २२ मील तक, सिंचाई नालों के साथ, तथा २९८ एकड़ में जमुना नदी के किनारों के साथ पेड़ लगाये जा चुके हैं।

हिमाचल प्रदेश में वैद्य

*१३५५. **श्री पद्म देव :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में वैद्यों के पदों को अब तक स्थायी नहीं किया गया है ; और

(ख) इन पदों को कब तक स्थायी किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) सभी आयुर्वेदिक संस्थायें क्षेत्रीय-परिषद को सौंप दी गयी हैं। इसलिये आयुर्वेदिक कर्मचारियों को स्थायी करने या न करने के सवाल का निपटारा क्षेत्रीय परिषद् द्वारा ही किया जाना है।

रसायनों का जहाज से उतारा जाना

†*१३६६. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन के बलार्ड पायर के मोले स्टेशन पर ३१ जुलाई, १९५८ को कुछ रसायनों में जहाज़ से उतारने के समय आग लग गई थी और उनका विस्फोट हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो कौन से रसायन थे ;

(ग) किन परिस्थितियों में उनका विस्फोट हुआ था ; और

(घ) इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये भविष्य में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**. (क) से (घ): लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२५**]

पत्तन मजदूरों की मजूरी

†*१३६८. **श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के पत्तन अधिकारियों द्वारा जो अप्रवीण मज़दूर स्थायी रूप से रखे जाते हैं उनको दी जाने वाली मजदूरी दैनिक हिसाब से कितनी पड़ती है और इसकी तुलना में अस्थायी रूप से समय समय पर रखे गये मजदूरों को दी जाने वाली अल्पतम दैनिक मजदूरी कितनी है ; और

(ख) क्या इन्हें बराबर करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जानकारी बताने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या १२६**]

(ख) वर्तमान स्थिति में परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है ।

'लार्ड विलिंगडन'—ड्रेजर

†*१३६९. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ५ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १९९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन पत्तन के 'एस० डी० लार्ड विलिंगडन' ड्रेज़र के बायलरों को जो क्षति हुई है क्या उसके कारणों की जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच से क्या बातें मालूम हुई हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां । कोचीन पत्तन के उप-संरक्षक ने इंजीनियर तथा जहाज-सर्वेक्षक, वाणिज्यिक नौपोत विभाग, कोचीन की सहायता से जांच की थी ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

आफ्ट स्टारबोर्ड बायलर की केवल केन्द्रीय फरनेस बुरी तरह खराब हो गई है । दूसरे फरनेस को थोड़ा सा ही नुकसान पहुंचा है । केन्द्रीय फरनेस में तेल जमा होने तथा अत्याधिक कार्बन हो जाने के फलस्वरूप वह ज्यादा गर्म हो गई थी और उससे यह दुर्घटना हो गई । प्राधिकारियों द्वारा स्थिति को सुधारने के लिये उस पहलू पर आवश्यक छानबीन करने के प्रयत्न किये जाने चाहियें ।

नौटघाट (उत्तर प्रदेश) में पुल

†*१३७०. **डा० सुशीला नायर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले में बेतवा नदी पर नौटघाट में पुल बनाने के काम की अवस्था क्या है और उसमें कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस पुल को बनाने के लिये राज्य को कितनी सहायता दी गई है या देने का विचार है ; और

(ग) यदि कोई सहायता नहीं दी गई तो उसका क्या कारण है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) अभी तक पुल बनाने का काम शुरू नहीं किया गया ।

(ख) और (ग). उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों के बीच पुल के प्रकार तथा लागत के सम्बन्ध में पत्र व्यवहार चल रहा है । उन बातों के तय हो जाने पर पुल के कुल खर्च का १ $^{१}/_{३}$ भाग, अधिक से अधिक ८ लाख तक की सीमा तक अनुदान के रूप में दिया जायेगा । शेष लागत का खर्च उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारें बराबर बराबर उठायेंगी ।

बैल गाड़ियां

†*१३७१. **श्री चांडक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, १९५१ में परिवहन मंत्रणा परिषद् के केन्द्रीय सड़क निधि से बैलगाड़ियों के पहियों में सुधार करने के लिये ५०,००० रुपये मंजूर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस रक़म का किस प्रकार उपयोग किया गया है और इस राशि से बैल-गाड़ी के कितने पहियों में सुधार किया गया है ;

(ग) क्या जनवरी १९५६ में योजना आयोग ने यह सुझाव दिया था कि बैलगाड़ियों के सुधार के लिये केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान दिये जा सकते हैं ।

(घ) योजना आयोग के सुझावों को अपनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) बैलगाड़ियों के सुधार के लिये क्या वर्तमान कार्यक्रम है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ङ). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२७]**

हिमाचल प्रदेश में डेरी फार्म

†*१३७२. **श्री अ० गोपालन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश मंडी ज़िले के कांतिधी कातालां का सरकारी डेरी फार्म चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितना मासिक घाटा होता है ; और

(ग) कितना रुपया हर माह खर्च किया जाता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) कांतिधी कातालां में डेरी फार्म नहीं है, वह एक पशु-अभिजनन क्षेत्र (कैटलब्रीडिंग फार्म) है जिसे हाल ही में बढ़िया नस्ल वाले सांड पैदा करने के लिये खोला गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) चूंकि योजना गवेषणा तथा परीक्षा से सम्बन्धित है अतएव नफा-नुकसान का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) ३१-७-१९५८ तक कुल २,१६,९३१ रुपये खर्च किये गये हैं ।

सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड

†*१३७३. **श्री रघुवीर सिंह :** क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह माप-दंड बताने की कृपा करेंगे जिसके आधार पर ज़िलों में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोले जाते हैं ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) :** राज्य सरकारों द्वारा विशेष रूप से निम्न-लिखित माप-दंड को ध्यान में रखकर क्षेत्रों का चुनाव किया जाता है :—

(१) कृषि विकास की गुंजाइश ।

(२) वर्तमान खंडों की संस्पर्शिता ।

(३) पिछड़े क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व ;

(४) ग्राम दान के गांवों को अधिमान देना ।

(५) विस्तार प्रशिक्षण और गवेषणा केन्द्रों का सामीप्य ।

रेल मार्ग की मीलों में लम्बाई

†*१३७४. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) स्लीपरों को बदलने का काम पूरा न किये जाने के कारण जिन रेल मार्गों पर गाड़ियों के चलने की रफ्तार पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, उनकी मीलों में कितनी लम्बाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस काम को जल्दी करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी :** (क) ३१ मार्च, को केवल स्लीपरों के बदलने का काम पूरा न हो सकने के कारण लगभग २४० मील लम्बी लाइन पर गाड़ियों के चलने की रफ्तार पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था । इसके अतिरिक्त रेल की पटरियां / स्लीपर बदलने का काम पूरा न हो सकने के कारण लगभग १५०० मीलों में भी रफ्तार पर रोक लगा दी गई है ।

(ख) १०० मीलों में स्लीपरों को बदलने का काम चल रहा है । शेष मीलों में पुनर्नवन का कार्य धन, सामग्री की प्राप्यता तथा सम्बन्धित सेक्शनों की प्राथमिकता पर निर्भर रहेगा ।

त्रिपुरा को रेलवे लाइन

†*१३७५. **श्री दशरथ देब :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अखिल भारतीय मार्ग के जरिये त्रिपुरा तथा आसाम में रेल सम्पर्क स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्य में रेलवे विस्तार के प्रतिबन्धित प्रस्ताव भी अब तक निधियों और सामग्री के परिसीमन के कारण रुके हुये हैं। फिर भी स्थिति की समय समय पर समीक्षा कर ली जाती है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दूध उत्पादन

†*१३७६. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० और १९५६ में गाय तथा भैंसों के दूध का अलग अलग कुल कितना उत्पादन था ;

(ख) क्या हर साल क्रमशः कमी होती गई है अथवा क्या एकदम कमी हुई है ; और

(ग) यदि कमी क्रमशः हुई है तो प्रत्येक वर्ष कितनी कमी हुई है।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट संख्या ५, अनुबन्ध संख्या १२८]**

१९५० का दूध उत्पादन का अनुमान विभाजन के पश्चात् गाय और भैंसों के तदर्थ अनुमानों पर निर्भर है जब कि १९५१ और साथ ही १९५५ का अनुमान १९५५ में की गई सर्वेक्षण—जांच पर आधारित है। अतएव १९५६ के उत्पादन आंकड़े, १९५१ के आंकड़े से मिलते जुलते हैं।

(ख) और (ग). अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। १९५१ और १९५६ के अनुमानों की तुलना से पता चलता है कि पिछले पांच सालों में दूध उत्पादन में वृद्धि हुई है।

मनमाड़ में रेलवे का ऊपरी पुल

†*१३७७. **श्री जाधव** : क्या **रेलवे** मंत्री २५ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनमाड़ के रेलवे के ऊपरी पुल का पुनरीक्षित नमूना और अनुमान कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ख) मनमाड़ से थेओला जाने वाली सड़क पर लेवल क्रासिंगों के कितने फाटक हैं ; और

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष में ऊपरी पुल बनाने का काम शुरू हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) तब से रेलवे द्वारा पुनरीक्षित नमूने पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है। पुनरीक्षित अनुमान बनाया जा रहा है और ऐसी आशा है कि एक महीने के भीतर तैयार हो जायेगा।

(ख) मनमाड़—थेओला सड़क पर मनमाड़ यार्ड पर ३ फाटक हैं।

(ग) यह बम्बई सरकार द्वारा योजना स्वीकार किये जाने की तथा निर्माण कार्य की लागत स्वीकार किये जाने की सूचना मिलने पर निर्भर रहेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिलीगुडी और कटिहार के बीच रेलवे लाइन

†*१३७८. **श्री सरजू पांडे :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानंदा नदी में बाढ़ के कारण सिलीगुड़ी और कटिहार के बीच रेलवे लाइन टूट गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी हानि हुई है ; और

(ग) इसकी मरम्मत कराने में कितनी धन राशि व्यय होगी और कितना समय लेगेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) इस सेक्शन में लाइन कहीं टूटी नहीं थी, लेकिन चूंकि पानी खतरे की सतह से ऊपर चढ़ गया था, इसलिये, हिफ़ाज़त के ख्याल से कुछ ब्लाक सेक्शनों के बीच गाड़ियों का आना जाना बन्द कर दिया गया । पानी हटते ही गाड़ियां फिर चलने लगीं ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

जिया-भरेली नदी पर पुल

†*१३७९. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्रीमती मुफीदा अहमद :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ८ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम की उत्तर ट्रंक रोड पर जिया-भरेली पुल निर्माण करने की स्वीकृति दे दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इस देरी के कारण क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

मूल रूप में जिया-भरेली के निर्माण के कार्य पर ६० लाख के खर्च का अनुमान था । भारत सरकार ने इतनी राशि का अनुदान देना स्वीकार कर लिया था । जो कुछ सविस्तार विश्लेषण किया गया उसके आधार पर परियोजना पर व्यय का अनुमान ८६.५३ लाख निकला । २६.२३ लाख अधिक खर्च आ जाने के सम्बन्ध में आसाम सरकार से अभी समझौता हुआ है और अब ७७.८८ लाख तक का खर्चा भारत सरकार करेगी और बाकी राज्य सरकार के लिये होगा ।

पुल के सम्बन्ध में 'गाइड बन्द' के निर्माण का प्राक्कलन के कुछ दिनों में स्वीकृत कर लिये जाने की सम्भावना है । काम चालू वर्ष में आरम्भ हो जायेगा । पुल के प्राक्कलन की पड़ताल की जा रही है और चालू वर्ष में उसके स्वीकृत हो जाने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में वर्षा न होना

†*१३८१. **श्री श्री नारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजस्थान राज्य के बीकानेर डिवीजन के बड़े क्षेत्र में वर्षा बिल्कुल नहीं हुई;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य से कोई रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या स्थिति का मुकाबला करने के लिए राजस्थान सरकार ने केन्द्र से सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) और (ख) .राजस्थान सरकार ने यह रिपोर्ट दी है कि बीकानेर डिवीज़न में वर्षा कम हुई है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

व्यास नदी पर बांध

†*१३८२. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या व्यास नदी पर बांध निर्माण की कोई योजना सरकार को प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो विस्तार से यह योजना क्या है ; और

(ग) क्या वह स्वीकृत कर ली गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** :)(क) जी हां ।

(ख) पंजाब सरकार जांच कर रही है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिहार की खाद्य स्थिति

†*१३८३. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार सरकार ने मई से जुलाई १९५८ तक की कालावधि में कितना खाद्यान्न मांगा था, और कितना उसे दिया गया ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: मई से जुलाई १९५८ तक बिहार सरकार को लगभग २६९ हजार टन खाद्यान्न दिया गया। इसमें वह खाद्यान्न भी सम्मिलित है जो कि केन्द्रीय डिपुओं द्वारा परचून विक्रेताओं को दिया गया। इस संभरण से बिहार की मांग लगभग पूरी हो गयी।

इस काल में, इसके अतिरिक्त लगभग ११००० टन गेहूं रोलर आटा मिलों को दिया गया।

हिमाचल प्रदेश में वैद्य और हकीम

†**१३८४. श्री पद्म देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि वैद्यों तथा हकीमों के रजिस्ट्रेशनों (पंजीयन) का कानून हिमाचल प्रदेश में अब तक लागू नहीं किया गया है।

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि इसके परिणामस्वरूप कोई भी व्यक्ति चिकित्सक बन जाता है और लोगों के जीवन को खतरे में डाल देता है ; और

(ग) सरकार का इस कानून को वहां कब तक लागू करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) वैद्यों तथा हकीमों के रजिस्ट्रेशन के कानून के न होने पर, देशी तरीकों से इलाज करने वालों पर कोई रोकथाम नहीं है। तो भी हिमाचल प्रदेश प्रशासन के ध्यान में कोई भी ऐसा मामला नहीं आया है जिसमें ऐसे चिकित्सकों के इलाज से कोई मौत हुई हो।

(ग) यह विषय हिमाचल प्रदेश प्रशासन के विचाराधीन है।

पोत स्वामियों के दायित्वों सम्बन्धी अभिसमय

†*१३८५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पोत स्वामियों के दायित्वों सम्बन्धी अभिसमय का अनुसमर्थन कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : : (क) जी नहीं।

(ख) सम्बद्ध हितों से परामर्श कर मामले पर विचार किया जा रहा है।

रेलवे सुरक्षा दल में भर्ती

†१३८६. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० च० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री २७ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि रेलवे सुरक्षा बल में अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को भर्ती करने के लिये उम्मीदवारों के कद का स्टैंडर्ड कम कर दिया जाय ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो वह निर्णय क्या है ; और

(ग) दक्षिण-पूर्व रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल में जो कोटा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के लिए रक्षित है, उसको पूरा करने में कितनी प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). कद का स्टैण्डर्ड ५'—६" से घटा कर ५'—३" करने का निर्णय ४-९-५८ को किया गया है । इस नये स्टैण्डर्ड के अनुसार भर्ती करने के लिये रेलवे को अभी कोई समय नहीं मिला है ।

निर्यात के लिये जहाजी स्थान की बांट

†*१३८७. **श्री तंगामणि :**
श्री कोडियान :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलाया को प्याज का निर्यात करने के लिये जहाज में स्थान न प्राप्त होने की कठिनाइयों के सम्बन्ध में ज्ञापन मद्रास राज्य के नागापत्तिनम् पत्तन से प्राप्त हुआ है ;

(ख) इन जहाजों में स्थान की बाट का आधार क्या है ; और

(ग) इसके सुधार के लिए क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी नहीं, हाल ही में कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ ।

(ख) पता चला है कि नौवहन समवाय उपलब्ध स्थानों का बटवारा ६० प्रतिशत पुराने पौतिकों तथा सहकारी संस्थाओं को और ४० प्रतिशत नये पौतिकों को देकर करते हैं ।

(ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भंगी बस्ती, नई दिल्ली

*१३८८. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भंगी बस्ती, नई दिल्ली के पीछे की गन्दी बस्ती को अस्थायी सुविधायें प्रदान की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं का विवरण क्या है ;

(ग) क्या इनको स्थायी रूप से बसाने की किसी योजना पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) उन्हें किस स्थान पर भेजा जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२९]** ।

(ग) इस क्षेत्र में इन परिवारों को स्थायी रूप से बसाने की कोई योजना अभी तक तैयार नहीं की गयी है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारवाही पोत के साथ दुर्घटना

†**१३८९. श्रीमती मकीदा अहमद** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि ओखा पत्तन (सौराष्ट्र) से लगभग दस मील की दूरी पर पनामा का एक भारवाही पोत एस० एस० थेयोडोरा दुर्घटनाग्रस्त हो गया; और

(ख) यदि हां, तो अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** :(क) जी हां ।

(ख) अभी हानि का पता नहीं चल सका है, क्योंकि जहाज अब भी बचाने वालों के हाथ में है ।

बिहार में बाढ़ें

*१३९०. **श्री श्री नारायण दास :**
श्री राधा रमण :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के बहुत से क्षेत्रों, विशेषतः उत्तरी क्षेत्रों में लगभग सभी नदियों में बाढ़ आने के कारण हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो यह हानि किस प्रकार की और कितनी है;

(ग) क्या यह सत्य है कि भदई और धान की खड़ी फसल पूर्णतः नष्ट हो गयी है ;

(घ) इन भीषण बाढ़ों के कारण स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या राज्य की ओर से केन्द्र से सहायता मांगी गयी है ; और

(ङ) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गयी है और केन्द्र ने किस सीमा तक इस प्रकार की सहायता देने का निश्चय किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) से (ग). बिहार सरकार ने सूचित किया है कि उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में बाढ़ों के कारण काफी हानि पहुंची है और इससे भदई और अगहानी फसलों को काफी हानि पहुंची है । सड़कों, पुलों तथा अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति को भी क्षति पहुंची है । कुल क्षति का अनुमान अभी तक नहीं लगाया गया ।

(घ) नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ग्राम्य ऋण

†**१३९१. श्री श्री नारायण दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १२ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण की मांग सम्बन्धी महत्वपूर्ण परिवर्तनों का अनुमान लगाने के लिए क्षेत्रीय

†मूल अंग्रेजी में

जांच, तथा विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के कार्य का अध्ययन पूरा कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ग्राम्य ऋणों के सम्बन्ध में किन परिणामों पर पहुंचा गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) जी हां।

(ख) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में जिला रिपोर्टों का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इनके तैयार हो जाने पर सर्वेक्षण और परिणामों का एक सामान्य प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

परिवहन सहकारी संस्थायें

†*१३९२. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेकारों को काम पर लगाने के लिए परिवहन सहकारी संस्थायें स्थापित करने की योजना पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों के लिए कोई वित्तीय सहायता नियत की गयी है ;

(घ) यदि हां, तो यह नियत की जाने वाली राशि (राज्यवार) क्या है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १३०]**

जहाज के अन्दर छिप कर बैठ कर जाने वाले लोगों के संबंध में अभिसमय[1]

†१३९३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या भारत ने जहाज के अन्दर छिप कर बैठ कर जाने वाले लोगों के सम्बन्ध में ब्रुज़ेल्स में हुए अभिसमय का अनुसमर्थन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) सम्बद्ध हितों के परामर्श से मामले पर विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Convention Regarding Stowaways

पश्चिमी बंगाल में खाद्य स्थिति

†*१३९४. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० च० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के देहाती क्षेत्रों की खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में उन्होंने जुलाई १९५८ में जो दौरा किया था, उस बारे में उनका मत क्या है ;

(ख) क्या यह ठीक है कि लोगों ने उन पर चावल देने के लिए जोर डाला और गेहूं को बन्द करने के लिए कहा; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) से (ग). मेरे थोड़े समय के दौरों में देहाती क्षेत्रों की खाद्य स्थिति का पूर्णतः अध्ययन करना तो सम्भव नहीं था। परन्तु जिन इलाकों में मैं गया वहां विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां थीं। आम तौर पर चावल देने की मांग नहीं की गयी थी, परन्तु एक स्थान पर यह प्रश्न उत्पन्न हुआ था। मैंने एक बहुत भारी सभा में भाषण देते हुए चावल के सम्बन्ध में कठिनाइयों का उल्लेख किया था। सामान्यतः उन्होंने हमारी कठिनाइयों को अनुभव किया। मेरा मत है कि पश्चिमी बंगाल में गेहूं खाने की आदत बड़ी आसानी से डाली जा सकती है।

उत्तरी गेहूं क्षेत्र

१३९५. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न की दृष्टि से पंजाब और हिमाचल प्रदेश को एक क्षेत्र माना गया है ;

(ख) यदि हां, तो पंजाब से चावल हिमाचल प्रदेश में ले जाने पर क्यों प्रतिबन्ध लगाया गया है ; और

(ग) सरकार ने हिमाचल प्रदेश में कांगड़े की तरह चावल खाने वाले लोगों के लिये क्या प्रबन्ध किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) जी हां, इस समय, जहां तक गेहूं और चावल का सम्बन्ध है हिमाचल प्रदेश और पंजाब एक ही क्षेत्र में हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

विभागीय भोजन व्यवस्था

†२२६४. श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक जिन रेलवे स्टेशनों पर विभागीय भोजन व्यवस्था चालू की गई है उनके नाम, ज़ोन-वार क्या हैं; और

(ख) १९५८-५९ में जिन रेलवे स्टेशनों पर विभागीय भोजन व्यवस्था चालू होगी उनके नाम क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १३१]**

(ख) पूर्व रेलवे,

१. रानाघाट

२. बर्दवान

बम्बई राज्य में नदियों पर पुलों का निर्माण

†२२६५. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, बम्बई राज्य की नदियों पर निर्माण किये जाने वाले पुलों के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है; और

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में पूरे किये हुए पुलों के नाम क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य रेलवे में भर्ती किये गये नैमित्तिक श्रमिक

†२२६६. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में १९५८ में अब तक भर्ती किये गये नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या क्या है; और

(ख) उनकी नियुक्ति की शर्तें क्या थीं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ५५,५०३ ।

(ख) उन्हें या तो प्रचलित बाजार दर के अनुसार मजूरी दी जाती है, या न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित न्यूनतम मजूरी दी जाती है ।

मध्य रेलवे का सीमा कर

†२२६७. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय रेलवे के ऐसे स्थानों की संख्या कितनी है, जहां कि सीमा कर लागू करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: अभी तो ऐसी कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं ।

आंध्र में बीज फार्म

†२२६८. **श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में आंध्र प्रदेश को बीज फार्मों की स्थापना के लिये सहायता के रूप में कितनी राशि दी गयी है; और

(ख) उन फार्मों के नाम क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) १८·५२ लाख रुपये ।

(ख) फार्मों के स्थानों के सम्बन्ध में निर्णय राज्य सरकार करती है । उसका आधार यह है कि प्रत्येक सामुदायिक विकास अथवा राष्ट्रीय विस्तार योजना खंड में २५ एकड़ का एक फार्म हो । उन खंडों और जिलों का विवरण जिन में अब तक इन फार्मों की स्थापना हो चुकी है, लोक-सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १३२]**

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†२२६९. **श्री साधू राम** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के लिये एक कर्मचारी परिषद् की स्थापना कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) अब तक उसकी कितनी बैठकें हो चुकी हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). हां; चालू वर्ष में तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की परिषद् की स्थापना कर दी गयी है जिनका सम्बन्ध अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना से है ।

(घ) तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की दोनों परिषदों की एक एक बैठक वर्ष में हो चुकी है । वह क्रमशः १० अगस्त, १९५८ और २२ अगस्त, १९५८ को हुई ।

लुम्डिग और बदरपुर के बीच सीधी गाड़ी

†२२७०. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मई से लेकर १५ अगस्त तक के काल में ऐसे अवसरों की संख्या कितनी है जब कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे पर लुम्डिग और बदरपुर के बीच सीधी गाड़ियां चलना बन्द कर दिया गया; और

(ख) सीधी गाड़ियों के चलने में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिये क्या किया जा रहा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) १ मई से लेकर १५ अगस्त तक के काल में लुम्डिग और बदरपुर में दस बार, कुल मिला कर १८६ घंटे और ४० मिनिटों के लिये सीधी गाड़ियों का चलना रोका गया । इसका कारण, दुर्घटनायें, टूट फूट तथा चट्टानों आदि का गिरना था, जिसका विस्तार से विवरण निम्नलिखित है :—

तिथि	रुकावट का समय घंटे मिनट	कारण
९-५-५८ . . .	६—०	टूट फूट तथा चट्टानों आदि का गिरना
११-५-५८ . . .	५—०	,,
१९-५-५८ से २४-५-५८ तक .	१२५—४०	,,

†मूल अंग्रेजी में

तिथि	रुकावट का समय घंटे मिनट	कारण
६-६-५८ . .	६—२०	दुर्घटना
७-६-५८ .	२—५०	,,
६-७-५८ . .	७—१०	,,
९-७-५८ .	६—४५	टूट फूट तथा चट्टानों आदि का गिरना
२१-७-५८ .	२—१५	दुर्घटना
२७-७-५८ .	१—२०	टूट फूट तथा चट्टानों आदि का गिरना
३०-७-५८ .	२३—२०	दुर्घटना

(ख) पहाड़ी क्षेत्रों में गाड़ियों के आने जाने में रुकावट का मुख्य कारण चट्टानों आदि का गिरना और टूट फूट है । यह स्वाभाविक है और इसका पूर्णतः इलाज असम्भव है । फिर भी, जहां तक सम्भव हो, इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये निम्नलिखित पग उठाये गये हैं :—

दुर्घटनाओं के संबंध में

(१) जब आवश्यकता होती है तब कर्मचारियों को प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(२) सुरक्षा संस्था की स्थापना कर दी गयी है जो कि कर्मचारियों की अनियमितताओं की छानबीन करके उन्हें कार्य के ठीक ढंग से अवगत करती है ।

(३) भूल करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध तुरन्त और मुनासिब अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही की जाती है ।

टूट फूट और चट्टानों आदि के गिरने के संबंध में

(४) जहां टूट फूट और चट्टान आदि के गिरने की सम्भावना होती है, वहां उसे रोकने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाती है ।

(५) यदि मिट्टी के कटाव इत्यादि की सम्भावना हो, तो पानी के बहाव को बदलने की व्यवस्था की जाती है ।

(६) पुलों और किनारों को बचाने के लिये सौसेज व्यवस्था की जाती है ।

(७) अनुमानतः ७७००० रुपये की लागत से शीघ्र ही माहूर और दौतोहाजा के बीच के रास्ते के स्थायी रूप में खोलने की व्यवस्था हो जायेगी ।

बिना टिकट यात्रा

†२२७१. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के आसाम सेक्शन में कितनी बार टी० टी० की रेंक से ऊपर के पदाधिकारियों ने बिना टिकट यात्रा करने वालों को चैक किया; और

(ख) इस चैकिंग के क्या परिणाम निकले ?

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १५-१-५८ से ३१-७-५८ तक ५८० बार चैकिंग हुआ ।

(ख) ६९०४ यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये और उनसे भाड़ा और जुर्माना मिला कर ११,९११ रुपये प्राप्त हुए । बिना बुक किये हुए माल से भाड़े के रूप में २७०२ रुपये प्राप्त हुए ।

राजस्थान में पर्यटन का विकास

†२२७२. **श्री ओंकार लाल**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८-५९ में राज्य में पर्यटन के विकास के लिये राजस्थान सरकार ने कोई प्रस्थापना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता देने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). राजस्थान सरकार ने प्रस्थापनायें प्रस्तुत कीं (१) कि उदयपुर और जयपुर में अल्प आय वाले लोगों के लिए विश्राम गृह बनाये जायें । (२) उदयपुर बूंदी और चित्तौड़गढ़ में पर्यटक ब्यूरो खोले जायें । (३) सिलीसर के विश्राम गृह के सुधार के लिये १९५८-५९ में अतिरिक्त राशि दी जाये ।

भारत सरकार ने अल्प आय वालों के लिये जयपुर और उदयपुर में विश्राम गृह निर्माण करने के लिये १ लाख का अनुदान दिया है । उदयपुर में पर्यटन ब्यूरो खोलने के लिये ३,६४० रुपये और बूंदी में पर्यटन ब्यूरो के लिये १८६० रुपये दिये गये । बूंदी का पर्यटन ब्यूरो आधा वर्ष माउंट आबू में कार्य करता है । चित्तौड़गढ़ और भरतपुर के पर्यटक ब्यूरों के लिये क्रमशः २००० और १५०० स्वीकृत किये गये । १७००० रुपये १९५८-५९ में सिलीसर विश्राम गृह को सुधारने के लिये दिये गये । इसके अतिरिक्त १९५७-५८ के वर्ष में ४२००० रुपये की और सहायता दी गयी ।

दूध की प्राप्ति

†२२७३. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक गाय, भैंस और बकरी के दूध की प्राप्ति का औसतन अनुमान लगाया गया है; और

(ख) इसके परिणाम पर किन चीजों का प्रभाव पड़ता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) (१) सर्वेक्षण जांच के दिन पशुओं से जितना औसतन दूध प्राप्त होता है ।

(२) औसतन कितने दिन दूध दिया।

(३) औसतन कितने दिन नहीं दिया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये पहाड़ी भत्ता

†२२७४. **श्री मनायन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी स्थानों पर लगाये गये डाक तथा तार के कर्मचारियों को पहाड़ी भत्ता, शरद ऋतु का भत्ता और कोई अन्य विशेष भत्ते दिये जाते हैं; और

(ख) किन-किन पहाड़ी स्थानों पर ये भत्ते दिये जाते हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) (१) जिन स्थानों को राज्य सरकारों ने पहाड़ी स्थान घोषित कर रखा है और जहां वे सरकारें स्वयं प्रतिकर भत्ता देती हैं वहां डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को भत्ता दिया जाता है ।

(२) आसाम में जो जगहें ३००० फुट से अधिक ऊंची हैं वहां एक वर्ष के नवम्बर मास से दूसरे वर्ष मार्च तक के लिये शरद काल का भत्ता दिया जाता है ।

(३) जम्मू और काश्मीर राज्य में लेह के स्थान पर और आसाम के मिज़ो ज़िले में डाक तथा तार के कर्मचारियों को पहाड़ी भत्ते के स्थान पर राशन भत्ता दिया जाता है ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

मसुलीपटम–बेजवाड़ा की छोटी लाइन को बड़ी लाइन बनाना

†२२७५. **श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या **रेलवे** मंत्री १५ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मसुलीपटम-बेजवाड़ा की छोटी लाइन को बड़ी लाइन बनाने की योजना की क्या स्थिति है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : परियोजना के सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गई है किन्तु अभी सर्वेक्षण आरम्भ नहीं किया गया ।

राजस्थान में कृषि का विकास

†२२७६. **श्री ओंकार लाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७-५८ और १९५८-५९ में कृषि के विकास के लिये राजस्थान सरकार को कितनी धन राशि दी गई है; और

(ख) इस कालावधि के लिये कितनी धन राशि मांगी गई थी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) कृषि विभाग के लिये केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित रूप में नियत की गई है :

	(रुपये लाखों में)
१९५७-५८ . .	१८१·६९
१९५८-५९	१७०·१८

(ख) राज्य के १९५८-५९ के लिये जो वार्षिक योजना प्रस्तुत की है उस में १७५·३१ लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता कृषि विभाग के लिये मांगी गई है । किन्तु १९५७-५८ के लिये यह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं और उसे एकत्र किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिम रेलवे पर स्टेशन

†२२७७. **श्री ओंकार लाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में पश्चिम रेलवे पर कुल कितने स्टेशन थे; और

(ख) उस वर्ष में कुल कितने नये स्टेशन बनाये गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) ३१-३-५८ को पश्चिम रेलवे के जिन स्टेशनों पर यातायात चालू था उन की कुल संख्या १,२३० थी ।

(ख) २७ ।

उड़ीसा में अधिक अन्न उपजाओ अन्दोलन

†२२७८. **श्री कुम्भार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७-५८ और १९५८-५९ के लिये उड़ीसा राज्य में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के लिये जो धन राशि नियत की गई थी उस का अब तक पूरा उपयोग किया गया है ?

(ख) यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य में खाद्य उत्पादन बढ़ाने में इस से कितनी सहायता मिली है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रखी जायेगी ।

सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन मंत्रणा समिति

†२२७९. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन मंत्रणा समिति स्थापित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस ने कोई सिफारिशें की हैं; और

(ग) ये सिफारिशें क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) समिति की पहली बैठक अक्तूबर, १९५८ में होने वाली है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

नदी बोर्ड अधिनियम, १९५६, और अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत नियम

†२२८०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नदी बोर्ड अधिनियम, १९५६, और अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत नियम तैयार किये जा चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) तथा (ख). नदी बोर्ड अधिनियम, १९५६, की धारा २८ के अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियम तैयार किये जा चुके हैं और भारत के गजट असाधारण में प्रकाशन के लिये प्रेस को भेजे जा चुके हैं। इन नियमों की मुद्रित प्रतियां मिलने पर वे सभा पटल पर रखी जायेंगी ।

अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियम तैयार किये जा रहे हैं ।

राज्यों में छोटे सिंचाई कार्य

†२२८१. **श्री रामकृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों ने अपने वर्तमान छोटे सिंचाई कार्यों के संधारण के लिये अभी तक कोई विधान नहीं बनाया; और

(ख) राज्यों में ऐसे विधान अधिनियमित करवाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) आसाम, जम्मू और काश्मीर तथा पश्चिमी बंगाल ने अभी ऐसा विधान नहीं बनाया ।

(ख) उपरोक्त राज्यों की स्थिति निम्नलिखित है :—

१. **आसाम**—कोई विधान आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि विभागीय नियमों के अनुसार छोटे सिंचाई कार्यों का संधारण ग्राम परियोजना समिति और कृषि निरीक्षकों का उत्तरदायित्व समझा जाता है ।

२. **जम्मू और काश्मीर**—अभी तक ऐसे विधान की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई ।

३. **पश्चिमी बंगाल**—ऐसे कार्यों के संधारण के लिये विशेष विधान बनाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

गाड़ियों का देर से आना

†२२८२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुड़गांव, रोहतक और पानीपत से आने वाली सभी गाड़ियों को दिल्ली स्टेशन के बाहर के सिग्नलों पर रोका जाता है और इस प्रकार ये गाड़ियां दिल्ली स्टेशन पर देर से पहुंचती हैं और इस कारण लोगों को बहुत असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं, किन्तु गुड़गांव, रोहतक और पानीपत से आने वाली कुछ गाड़ियों को दिल्ली मुख्य स्टेशन पर लेने की व्यवस्था सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण अनिवार्य रूप से बाहर के सिग्नलों पर रोका जाता है ।

(ख) बढ़े हुए यातायात की व्यवस्था के लिये दिल्ली मुख्य स्टेशन के यार्ड में परिवर्तन किया जा रहा है । इस कार्य के पूरा होने पर गाड़ियों का इस प्रकार रुकना बहुत कम हो जायेगा ।

पंजाब में भूमि संरक्षण

†२२८३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पंजाब सरकार ने वर्ष १९५८-५९ के लिये कोई भूमि संरक्षण योजना भेजी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : हां, श्रीमान्, पंजाब सरकार द्वारा भेजी गई भूमि संरक्षण की निम्नलिखित योजनाओं को १९५८-५९ में कार्यान्वित करने की मंजूरी दी गई है :—

क्रमांक	योजना का नाम	केन्द्र तथा राज्य के अंश सहित १९५८-५९ के लिये अनुमोदित व्यय (लाखों में)
१	२	३
१	चंडीगढ़ राजधानी के पीछे की पहाड़ियों पर वन लगाना	०·१४
२	हिसार जिले में रेत जमाने का प्रयोग	०·०२
३	कुल्लू सब डिवीजन में (स्पिटी और लाहौल के निकाय कर) और कांगड़ा जिला में भाखड़ा के जलाशय के जलागम क्षेत्र में भूमि का कटाव रोकने के साधन	१·९०
४	होशियारपुर जिला में पंजाब जल कटाव योजना में भूमि संरक्षण प्रदर्शन केन्द्र का संधारण और संचालन	०·१९
५	अम्बाला जिले में चो-प्रशिक्षण जिस में जलागम क्षेत्र में बांध बांधना और नालियां बंद करना सम्मिलित है	०·१०
६	गुड़गांव जिला में कृषि भमि को भूमि के कटाव से बचाना	०·०३
७	जिला होशियारपुर में बांध बांधने तथा नालियां बंद करने सहित चो-प्रशिक्षण	०·०५
८	अम्बाला जिला में सीढ़ीदार खेत बनाना,वट बंदी करना और स्पिल वे बनाना	०·०९
९	गुरदासपुर जिला में गैर सरकारी जमीनों में भूमि संरक्षण और कें ूर बं ी आदि	०·१५
१०	होशियारपुर जिला में सीढ़ीदार खेत बनाना और स्पिल वे सहित वट बंदी करना	०·१०

†मूल अंग्रेजी में

१	२	३
११	कांगड़ा जिला में सीढ़ीदार खेती और वट बंदी का काम	०·३८
१२	राजस्थान की सीमा पर गुड़गांव, हिसार और फीरोजपुर जिलों में मरु भूमि को नियंत्रण और भूमि कृषि योग्य बनाना	१·२४
१३	श्वालिक में भूमि संरक्षण	२·००
१४	भाखड़ा बांध के जलागम क्षेत्र में वन लगाना	०·९४
१५	असनी और गिरी नदियों के जलागम के क्षेत्रों में वन लगाना	१·०७
१६	मरु भूमि के विस्तार को रोकना	१·७२
१७	चंडीगढ़ के समीप पटियाला राव और सुखना चो के जलागम क्षेत्र में भूमि संरक्षण कार्य	०·५०
१८	कृषि वाली तथा नालियों वाली भूमि में भूमि संरक्षण कार्य	०·५२
	कुल	११·१४
	(योजना जिस के लिये केन्द्र की सहायता नहीं दी जा सकती)	
१.	गुरदासपुर जिला में जल एकत्र करने के लिए बांध बनाना	०·०५
	कुल	११·१९

सार्वजनिक टेलीफोनों से हुई हानि

†२२८४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खोटे सिक्के आदि डालने के कारण नई दिल्ली के सार्वजनिक टेलीफोन से १९५८ में (३१ अगस्त १९५८ तक) कितनी हानि हुई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : २७५५ रुपये ७२ नये पैसे ।

पंजाब में धान और चावल का मूल्य

†२२८५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में धान और चावल का मूल्य किस आधार पर निर्धारित किया जाता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : धान और चावल के अधिकतम नियंत्रित मूल्य, पूर्व के दो वर्षों में फसल की कटाई के बाद के प्रचलित मूल्यों, १९५३ में पंजाब सरकार की समाहार की एकाधिकार योजना के अन्तर्गत प्रचलित मूल्यों और चावल तथा धान के समाहार सम्बन्धी मूल्यों के बारे में खाद्यान्न समिति द्वारा की गई सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित किये गये थे ?

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के गांवों में कीड़ों को नष्ट करना

२२८६. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसल को नष्ट करने वाले कीड़ों तथा अन्य बीमरियों से बचाने के लिये दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में कीड़ों को नष्ट करने तथा खेती के औजारों के प्रयोग के बारे में ग्राम सेवकों ने १९५५-५६ और १९५६-५७ में कितने प्रदर्शन किये; और

(ख) किसानों को ये तरीके सिखाने के लिये ऐसे प्रदर्शन करवाने के निमित्त क्या कोई फीस देनी पड़ती है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) कीड़ों को नष्ट करने और खेती के उन्नत औजारों को दिखाने के लिये ग्राम सेवकों द्वारा किये गये प्रदर्शनों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	कीड़ों को नष्ट करने के लिये	खेती के औजार दिखाने के लिये
१९५५-५६	५६१	५३०
१९५६-५७	१,०५२	१,१०८

(ख) नहीं।

उत्तर रेलवे में सार्वजनिक टेलीफोन

२२८७. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **रेलवे** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के किन-किन स्टेशनों पर इस बीच सार्वजनिक टेलीफोन लगाये गये हैं; और

(ख) शेष रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा देने के बारे में कौन सा कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) डाक और तार विभाग ने उत्तर रेलवे के ८२ स्टेशनों पर सार्वजनिक टेलीफोन लगाये हैं। इन स्टेशनों की सूची सभा पटल पर रख दी गई। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १३३]**

(ख) कार्यक्रम डाक और तार विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इस तरह का कार्यक्रम बनाते समय इन बातों पर ध्यान दिया जाता है कि अमुक स्टेशन पर सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिये जनता की मांग है या नहीं, सार्वजनिक टेलीफोन लगाने से क्या लाभ होगा, इन पर कितना खर्च होगा और इन से अनुमानतः कितनी आमदनी होगी।

नोट :—१९-१२-५६ का अतारांकित प्रश्न ११७५ रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन लगाने के सम्बन्ध में था, लेकिन यह प्रश्न रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनक टेलीफोन लगाने के सम्बन्ध में है जो डाक-तार विभाग का काम है।

औषध तथा चामत्कारिक उपचार अधिनियम, १९५४ को लागू करना

†२२८८. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई सूचनायें मिली हैं कि विभिन्न राज्यों में औषध तथा चामत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, १९५४ के लागू होने के बाद इस के अन्तर्गत क्या क्या कायवाही की गई है;

(ख) विदेशों में हमारे दूतावासों और प्रणिध्यावासों ने औषध नियंत्रक, भारत को कितने मामले भेजे और अधिनियम की धारा ८ के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) अधिनियम की धारा ६ के अन्तर्गत डाक प्राधिकारियों ने क्या कार्यवाही की ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) विदेशों में हमारे दूतावासों और अन्य प्रणिध्यावासों ने भारत के औषध नियंत्रक के अधिनियम के उल्लंघन के ९ मामले भेजे थे। जहां कहीं आवश्यकता हुई अधिनियम की धारा ८ के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की गई।

(ग) डाक प्राधिकारियों ने अधिनियम के उल्लंघन के १५४ मामलों की सूचना दी थी जिन का ब्यौरा एक विवरण में दिया गया है जो सभा पटल पर रखा गया है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १३४]**

सिन्कोना की खेती

†२२८९. **पं० द्वा० ना० तिवारी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल और मद्रास में इस समय सिन्कोना की खेती की क्या अवस्था है अर्थात् क्या खेती बढ़ रही है या घट रही है;

(ख) १९५६-५७ और १९५८ में कितनी कुनीन निकाली गई ;

(ग) कितनी मात्रा में इसका निर्यात किया गया और कितनी देश में खपत हुई ;

(घ) क्या कुनीन मलेरिया की रोक थाम के अतिरिक्त किसी अन्य काम में भी लाई जाती है; और

(ङ) १९५६ और १९५७ में मलेरिया को रोकने के लिये कितना सिन्थैटिक आयात किया गया ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) पश्चिम बंगाल में जिन क्षेत्रों में से सिन्कोना उखाड़ लिया जाता है उन में पुनः इसे न लगाने से धीरे-धीरे सिन्कोना की खेती घटती जा रही है। मद्रास में १९५३ से जितने एकड़ में सिन्कोना की खेती होती थी उतने में ही हो रही है।

(ख)	पश्चिम बंगाल	मद्रास
	पौण्ड	पौण्ड
१९५६	३४,३७८	१९,१००
१९५७	३५,३८०	३४,७००
१९५८	१२,८२०	४८,३००

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९५८ में १४,००० पौण्ड का निर्यात किया गया। देश में प्रति वर्ष लगभग औसत २०,००० पौण्ड की खपत का अनुमान है।

(घ) कुनीन को कुछ अन्य औषधियों के साथ शक्तिवर्धक के रूप में कुछ हद तक प्रयोग किया जाता है। इस का भूख को बढ़ान के लिये एक कड़वी और हाजमेदार दवाई के रूप में और गंजेपन के इलाज के लिये भी प्रयोग किया जाता है।

(ङ)	१९५६	२,७९,४९,१३५ किलोग्राम पाउडर के रूप में और ४,१७,४४० गोलियां।
	१९५७	२१,३७,९६६ किलोग्राम पाउडर के रूप में और ४५,००,००० गोलियां

लेडी हार्डिग मैडिकल कालेज, नई दिल्ली

†२२९०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में मिडवाइफरी (दाइयों) और स्वास्थ्य निरीक्षकों के प्रशिक्षण के लिये लेडी हार्डिग मैडिकल कालेज में पंजाब राज्य की कितनी लड़कियां दाखिल की गयीं?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : १९५८-५९ में मिडवाइफरी अथवा स्वास्थ्य निरीक्षकों के पाठ्यक्रम के निरीक्षण के लिये लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज और अस्पताल में पंजाब की कोई लड़की नहीं दाखिल की गयी।

त्रिपुरा में भूमि का दिया जाना

†२२९१. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में धर्मनगर सब-डिवीजन के कंचनपुर की स्वस्ती समिति लिमिटेड को कुल कितनी भूमि दी गई है ;

(ख) क्या त्रिपुरा प्रशासन द्वारा दी गयी सारी भूमि उस समिति ने ले ली है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) ६,४०० एकड़।

(ख) नहीं, श्रीमान्। समिति को लगभग ५,१३९ एकड़ भूमि सौंप दी गई है।

(ग) शेष भूमि का कब्जा नहीं दिया जा सका क्योंकि इस पर वस्तुतः आदिवासी लोग रहते हैं।

रामगढ़ छावनी स्टेशन और मुरी जंक्शन की आय

†२२९२. **श्री बि० दासगुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के रामगढ़ छावनी स्टेशन और मुरी जंक्शन पर जनवरी से जून, १९५८ तक कोचिंग से औसत कितनी आय हुई ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मुरी जंक्शन और रामगढ़ छावनी स्टेशन पर कितने कोचिंग क्लर्क नियुक्त किये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जनवरी से जून, १९५८ के बीच कोचिंग यातायात पर प्रति मास औसत जो राशि इकट्ठी हुई वह इस प्रकार है :–

रामगढ़ छावनी पर	लगभग ४०,००० रुपये
और मुरी जंक्शन पर	लगभग ३१,००० रुपये

(ख) नियुक्त कोचिंग क्लर्क इस प्रकार हैं :–

रामगढ़ छावनी पर	१
और मुरी जंक्शन पर	२

जलविद्युत् योजनायें

†२२९३. **श्री मोहम्मद इमाम** : क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जल विद्युत् योजनाओं का "आवश्यक" और "अनावश्यक" परियोजनाओं के रूप में वर्गीकरण किया गया है ;

(ख) मद्रास, मैसूर, आन्ध्र और केरल में कौन-कौन सी बिजली योजनायें "आवश्यक" में रखी गयी हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल में कौन-कौन सी परियोजनायें योजना के "आवश्यक" अंक में रखी गयी है ?

†**सिचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). दो विवरण, जिन में आवश्यक जानकारी दी हुई है, लोक-सभा पटल पर रखे जाते है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १३५]**

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद्

†२२९४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि गवेषणा परिषद्, भारतीय केन्द्रीय रूई समिति और भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति संयुक्त गवेषणा केन्द्र खोल रही है ;

(ख) ये केन्द्र किन किन स्थानों में खोले जायेंगे ; और

(ग) इन केन्द्रों में किस प्रकार की गवेषणा की जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**:(क) से (ग). एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है, लोक-सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १३६]**

† मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में वनौषधियां

२२९५. **श्री पद्म देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि भारत में विशेषकर हिमाचल प्रदेश में वनौषधियों का क्रमशः ह्रास होता जा रहा है ;

(ख) क्या उन्हें यह भी मालूम है कि पंसारियों द्वारा बेची जाने वाली दवाइयों में कोई प्रभाव नहीं होता; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं। बिना कोई ब्यौरेवार सर्वेक्षण किये यह कहना कठिन है कि हिमाचल प्रदेश अथवा भारत की अन्य जगहों में वनौषधियों का ह्रास होता जा रहा है।

(ख) यह कहा नहीं जा सकता कि बाजार में पंसारियों द्वारा बेची जाने वाली दवाइयों में कोई प्रभाव नहीं होता।

(ग) हिमाचल प्रदेश के आयुर्वेदिक औषधालयों में प्रयोग की जाने वाली अधिकांश दवाइयां, जिला मंडी के जोगिन्द्र नगर और जिला सिरमूर के मजारा विभागीय फार्मेसियों से, जहां अच्छी वनौषधियों से दवाइयां तैयार की जाती हैं, प्रदान की जाती हैं।

एक सेन्ट्रल मेडिसिनल प्लांट्स आर्गेनाइजेशन की संस्थापना का प्रश्न विचाराधीन है। भारत में उपजने वाली जंगली जड़ी-बूटियों को एकत्र करना, उन के वर्ग निश्चय करना और उन्हें उचित ढंग से उपजाना इस संगठन का प्रधान कार्य होगा।

हिमाचल प्रदेश में बिजली लगाना

२२९६. **श्री पद्म देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि नोगरी (उत्तर महासू) में बिजली लगाने की योजना बहुत लम्बे समय से अपूर्ण पड़ी हुई है ;

(ख) क्या उसे यह भी विदित है कि सारा उपकरण और सामग्री वर्षा और धूप के कारण खराब हो रही है ; और

(ग) क्या सरकार इस योजना को पूरा करने में शीघ्रता करेगी ताकि वह सामग्री नष्ट होने से बच जाये ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) जिस जगह बिजलीघर बनना है वहां पर कुछ विशेष कठिनाइयों के कारण कोई खास प्रगति नहीं हो सकी है। हाल ही में नोगली खड में ऐसी बाढ़ आई जैसी कि पहले कभी नहीं आई थी। इस से इन्टेक पर कुछ हेडवर्क्स को नुक्सान पहुंचा और हिमाचल प्रदेश प्रशासन को कटाव से तथा कच्चे पहाड़ी ढलान से फिसलने वाली मिट्टी से बचाव के लिये इन्टेक चैनल का नक्शा बदलना पड़ा। इस से योजना को पूरा करने में देर लगी है।

(ख) दो भारी पुर्जों को छोड़ कर, सारा बिजली का प्लान्ट शेड के अन्दर रखा गया है इसलिये इस के पुर्जों के खराब होने का कोई खतरा नहीं है। जहां तक दो भारी पुर्जों का सम्बन्ध है,

ये ढले लोहे के भारी टरबाइन के खोल हैं जिन्हें, साधारण रूप से काम में लाये जाने के समय, पानी में डूबा रहना पड़ता है । यद्यपि इन के बड़े आकार और बोझ के कारण इन्हें बाहर खुले में रखना पड़ता है, धूप और बारिश से इन की रक्षा के लिये आवश्यक प्रबन्ध किया गया है ।

(ग) इस योजना पर जल्दी काम करने के बारे में हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा पूरा प्रयत्न किया जा रहा है लेकिन जैसा कि प्रश्न के (क) भाग के उत्तर में बताया गया है, पावर चैनल, पेन्स्टाक और इन्टेक वर्क्स के दुबारा डिज़ाइन बनाने में कुछ और देर हो सकती है । ऐसा करना इसलिये ठीक है कि बेकार खर्च न हो और बाद में कोई गड़बड़ न हो ।

बिजली की रेल चलाने की योजना

२२९७. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में बिजली की रेल चलाने की योजना के सम्बन्ध में दो अलग दफ्तर हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें मिला कर एक करने का प्रश्न विचाराधीन है ; और

(ग) यदि ऐसा किया गया तो प्रशासनिक श्रेणी के कितने अफसर फालतू हो जायेंगे ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

भारतीय रेलों में पानी पिलाने वाले

२२९८. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में पानी पिलाने वालों की कुल कितनी जगहें हैं ;

(ख) इन में से कितनी जगहों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ; और

(ग) यदि उन का प्रतिशत निर्धारित प्रतिशत से कम हो ,तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). इस सम्बन्ध में सूचना मंगाई जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

कोटा और रतलाम डिवीजनों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

२२९९. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के कोटा और रतलाम डिवीजनों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुछ जगह भरने के लिये वर्ष १९५७ में चुनाव हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो इन जगहों को भरने के लिये अनुसूचित जाति के कितने उम्मीदवार भर्ती किये गये ;

(ग) क्या उन के लिये रक्षित अभ्यंश पूरा कर लिया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) कोटा डिवीज़न—३३ ; रतलाम डिवीज़न—३१ ।

(ग) कोटा डिवीज़न में जो पैनल बनाया गया है उस में से दो आदमियों की नियुक्ति अभी होने को बाकी है ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के अधीन कोबाल्ट-६० क्षेत्र[1]

†२३००. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के अधीन एक कोबाल्ट–६० क्षेत्र स्थापित किया जायेगा ;

(ख) इसका किस प्रयोजन के लिये प्रयोग किया जायेगा ;

(ग) क्या इस कोबाल्ट–६० के संचालन से होने वाले विकरण के खतरे की रोकथाम के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (घ). लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १३७]**

दक्षिणी राज्यों की विद्युत् व्यवस्था

†२३०१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों की विद्युत व्यवस्था में एकसूत्रता उत्पन्न करने के हेतु एक प्रादेशिक ग्रिड स्थापित करने के लिये दक्षिणी ज़ोन के विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की एक प्रविधिक समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) इस समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं ;

(ग) क्या इस समिति ने दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(घ) उस परियोजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां । दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् ने सितम्बर, १९५७ में हुई अपनी दूसरी बैठक में एक ऐसी समिति स्थापित करने का निर्णय किया था जो कि मद्रास, आन्ध्र प्रदेश और केरल राज्यों में विद्युत संसाधनों के समन्वित विकास की समस्याओं के बारे में उपयुक्त प्रादेशिक प्राधिकारियों को परामर्श दे ।

(ख) समिति में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित हैं :—

भारत सरकार

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग

१. श्री एम० हयात, सदस्य ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Cobalt—60 Field

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय (विकास विंग)

२. डा० बी० डी० कालेलकर, औद्योगिक परामर्शदाता (इंजीनियरिंग)

३. डा० जी० पी० काने, औद्योगिक परामर्शदाता (रासायनिक)

क्षेत्रीय परिषद्

४. श्री सी० नरसिंह मूर्ति आई० ए० एस०, सदस्य-सचिव ।

राज्य सरकारें

आंध्र प्रदेश

५. श्री सी० नरसिंहन्, आई० ए० एस० ; अतिरिक्त विकास आयुक्त ।

६. श्री एस० ए० कादर, मुख्य इंजीनियर (विद्युत्)

केरल

७. श्री एन० ई० एस० राघवाचारी, आई० सी० एस०, केरल सरकार के विकास आयुक्त तथा मुख्य सचिव ।

८. श्री के० पी० श्रीधरन नायर, केरल राज्य विद्युत् बोर्ड के अध्यक्ष ।

मद्रास

९. श्री टी० ए० वर्गीस, आई० सी० एस०, मद्रास सरकार के सचिव, लोक निर्माण विभाग ।

१०. श्री वी० पी० अप्पादुराय, मुख्य इंजीनियर (विद्युत्)

मैसूर

११. श्री जी० वी० के० राव, आई० ए० एस०, अतिरिक्त विकास आयुक्त तथा योजना सचिव ।

१२. श्री जे० एल० दीसा, मुख्य इंजीनियर मैसूर राज्य विद्युत् बोर्ड ।

१३. श्री एच० वी० नारायणराव, मुख्य इंजीनियर, जलविद्युत् ।

(ग) अभी नहीं ।

(घ) भाग (ग) के सम्बन्ध में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्टीमर कम्पनियों का सम्मेलन

†२३०२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पूर्वी क्षेत्र की स्टीमर कम्पनियों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन किन समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया था ; और

(ग) उस सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) बिहार, पश्चिमी बंगाल और आसाम में अन्तर्देशीय जलपरिवहन से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं पर विचार करने के लिये १ जुलाई, १९५८ को परिवहन तथा संचार मंत्री के सभापतित्व में कलकत्ते में एक बैठक हुई थी ।

(ख) और (ग). लोकसभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १३८]**

'अधिक साग सब्जियां उगाओ'

†२३०३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 'अधिक साग सब्जियां' उगाने के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(ख) इस कार्यक्रम की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). 'अधिक साग सब्जियां उगाओ' नामक कोई विशेष योजना तो नहीं है । पर हां 'अधिक अन्न उगाओ' के नियमों के अन्तर्गत आलू तथा शकरकन्द इत्यादि साग सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये वित्तीय सहायता देने की योजनायें हैं ।

इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काश्तकारों को साग सब्जियों के पूर्णरूपेण शुद्ध और बढ़िया किस्म के बीज सम्भरित करने के लिये ११ बीज प्रमाणन केन्द्र स्थापित करने की भी प्रस्थापना है । इस प्रकार के पांच केन्द्र जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब, मैसूर, बिहार और पश्चिमी बंगाल में पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं ।

यात्रियों के परिवहन के संबंध में अभिसमय

†२३०४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने यात्रियों के परिवहन सम्बन्धी अभिसमय का अनुसमर्थन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) इस अभिसमय को कार्यान्वित करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ३० सितम्बर से १० अक्तूबर १९५७ तक ब्रुसेल्ज़ में हुए सामुद्रिक विधि सम्बन्धी अन्तशासकीय राजनयिक सम्मेलन में इस अभिसमय पर विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि इसे फिर से सभी सम्बन्धित सरकारों के पास विचारार्थ भेजा जाये क्योंकि उक्त सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया पाठ परिचालित किये गये मूल पाठ से बहुत कुछ भिन्न है । इसलिये फिल्हाल तो इस अभिसमय के अनुसमर्थन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहकारिता संबंधी प्रशिक्षण

†३३०५. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक प्रत्येक राज्य में सहकारिता के कार्य में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ;

(ख) सहकारिता में प्रशिक्षण देने के लिये किन किन स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ; और

(घ) उन्हें किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री** (श्री अ० प्र० जैन) : (क) लोक-सभा पटल पर दो विवरण रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १३९].**

(ख) लोक-सभा पटल पर दो विवरण रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ५ अनुबन्ध संख्या १३९].**

(ग) उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें सहकारिता सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जायेगा (सरकारी व्यक्ति)—२४,४९८.

तदैव (गैर-सरकारी व्यक्ति) —८,४०,०९६

(घ) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५ अनुबन्ध, संख्या १३९].**

डाकघरों में चैक प्रणाली

†२३०६. **सरदार इकबाल सिंह:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य में किन किन स्थानों पर और कितने डाकघरों में चैक प्रणाली प्रारम्भ की जा चुकी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल):** उपलब्ध जानकारी के अनुसार पंजाब में निम्नलिखित डाकघरों के सेविंग बैंक एकाऊंट से चैकों द्वारा रुपया निकलवाया जा सकता है :—

स्थान	डाकघरों की संख्या
अम्बाला (जिस में अम्बाला शहर तथा छावनी सम्मिलित हैं) . .	१२
शिमला	१
चंडीगढ़	३
खरड़	१
रोपड़	१

केन्द्रीय विपणन संस्था, त्रिपुरा

†२३०७. **श्री दशरथ देब :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विपणन संस्था, त्रिपुरा, के निदेशक बोर्ड के सदस्यों के क्या नाम हैं ;

(ख) उनमें से कौन कौन व्यक्ति राज्य सहकारी बैंक की कार्यकारिणी समिति के भी सदस्य हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विपणन संस्था ने राज्य सहकारी बैंक, आदिम जातीय कल्याण निधि तथा राज्य लॉटरी निधि से ऋण प्राप्त किये हैं ;

(घ) यदि हां, तो इन ऋणों की कितनी कितनी राशि है और उनका किस प्रकार से उपयोग किया गया है ;

(ङ) क्या उसके निदेशक बोर्ड में छोटी विपणन संस्थाओं का भी कोई प्रतिनिधि है ; और

(च) यदि नहीं, तो क्या यह संस्था केन्द्रीय विपणन संस्था के रूप में काम कर सकती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) :

(१) लैफ्टीनेंट कर्नल एच० एस० भूटालिया . पदेन सभापति

(२) श्री एस० के० गुप्ता . . . सचिव

(३) श्री एस० आर० दत्त . . . सदस्य

(४) श्री एस० एम० बिस्वास . . . सदस्य

(५) श्री एन० के चन्दा . . . सदस्य

(६) श्री एस० आर० देब . . . सदस्य

(७) श्री राज प्रसाद रिआंग . . . सदस्य

(८) श्री एस० एल० सिंह . . . सदस्य

(९) श्री ए० के० दास . . . सदस्य

(१०) पबियाचारा सहकारी क्रय तथा विक्रय संस्था का एक नाम निर्देशित सदस्य ।

(ख) लैफ्टीनेंट कर्नल भूटालिया के अतिरिक्त, जो कि सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड के पदेन सभापति हैं, श्री एस० के० गुप्ता और श्री एस० आर० दत्त भी निदेशक बोर्ड के सदस्य हैं ।

(ग) और (घ). संस्था ने ५०,००० रुपये तो मुख्यायुक्त के नाम में सावधि निक्षेप खाते की प्रतिभूति पर प्राप्त किये हैं और १,००,००० रुपयों की नकद राशि अपने स्टाक के बदले में प्राप्त की थी। इन राशियों से संस्था ने पटसन और कृषि उत्पादों तथा अत्यावश्यक वस्तुओं को, जिनमें कोयला भी सम्मिलित है, खरीदा है । २८-८-१९५८ को उक्त ऋणों की स्थिति इस प्रकार थी :—

(१) मुख्यायुक्त के नाम में सावधि निक्षेप खाते से लिया गया ऋण ४०,००० रुपये

(२) नकद उधार ६२,६८१ रुपये

(ङ) जी, हां ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

परिवार आयोजन

†२३०८. **श्री हेम बरूआ :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता रोगाणु प्रयोगशाला ने केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ खाने की गर्भाविरोधी दवाइयों के सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तुत की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय पर और अधिक गवेषणा करने के लिये कोई वित्तीय सहायता देने का विचार रखती है ; और

(ग) क्या इन खानें की गर्भाविरोधी दवाइयों की जांच की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुरुषों के लिये खाने की गर्भाविरोधी दवाई के रूप में, मेटाक्सीलो-हाइड्रोक्विनोन के बारे में गवेषणा करने के लिये कलकत्ता रोगाणु प्रयोगशाला के डा० एस० एन० सन्याल को पहले ही ७५०० रुपयों का अनुदान दे दिया है ।

(ग) उनकी जांच की जा रही है और उनके परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

गाड़ी में चलने वाले टिकट परीक्षक

२३०९. **श्री महेन्द्र नाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें विदित है कि गाड़ी में चलने वाले टिकट परीक्षकों को पूर्वोत्तर रेलवे में उनके विरुद्ध जनता द्वारा जो अभियोग चलाये जाते हैं, उनके लिये कोई सहायता अथवा खर्च नहीं दिया जाता ;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को ऐसे मामलों में अपना मंजूर खर्च प्राप्त करने के लिये कई-कई दिन सम्बन्धित कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं ;

(ग) इस समय ऐसे कितने मामले विचाराधीन हैं ; और

(घ) इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) मुकदमों के खर्च की प्रतिपूर्ति कुछ शर्तों के अनुसार की जाती है जो इस के लिये निर्धारित हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) एक ।

(घ) प्रतिपूर्ति सिर्फ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह से की जा सकती है । इस मामले में जो सिफारिश की गई थी कमीशन उससे सहमत नहीं हुआ और इस पर फिर विचार हो रहा है ।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा 'अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों' का वर्गीकरण

२३१०. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन द्वारा कुछ एक व्यक्तियों को 'अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्ति' के वर्ग में रखते हैं और उनके टिकटों पर विशेष लेबल भी लगा दिये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ग के अन्तर्गत किस प्रकार के व्यक्ति आते हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, हां । परन्तु उनके टिकटों पर कोई विशेष लेबल नहीं लगाये जाते ।

(ख) मोटे तौर पर निम्नलिखित कोटियों के व्यक्ति उसके अन्तर्गत आते हैं :—

भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री;

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों के राज्यपाल;

विदेशी राज्यों तथा राजनयिक मिशनों के मुखिया;

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के मंत्री;

संसद् की दोनों सभाओं के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

उच्चतम न्यायालय तथा उच्चन्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश;

संसद्-सदस्य—भारत से बाहिर यात्रा करते समय;

विमान निगमों के सदस्य और केन्द्रीय सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी ।

खाद्यान्नों का अधिग्रहण

†२३११ **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के लागू होने के बाद अभी तक कितने खाद्यान्न का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) बम्बई राज्य से कितने खाद्यान्न का अधिग्रहण किया गया था; और

(ग) प्रत्येक प्रकार के खाद्यान्न के लिये कितनी कितनी कीमत अदा की गई थी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) भारत सरकार द्वारा अथवा उसके लिये निम्नलिखित खाद्यान्नों का अधिग्रहण किया गया है :—

चावल	लगभग १,९१,५०० टन
चने	लगभग २२,६०० टन

(ख) शून्य ।

(ग) लोकसभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १४०]**

सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय

†२३१२. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों से सरकार को घाटा हो रहा है क्योंकि लोग उनके लिये खोटे सिक्के इस्तेमाल करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो १९५८ में इस प्रकार से कितना घाटा हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां ।

(ख) ६७०० रुपये ।

अन्तर्राष्टीय गेहूं परिषद्

†२३१३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के जून महीने में लन्दन में अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद् की एक बैठक हुई थी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की ओर से उसमें किन किन व्यक्तियों ने भाग लिया था; और

(ग) उसमें क्या क्या निर्णय किये गये हैं ?

†खाद्य तथा **कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) भारत के लन्दन स्थित उच्च आयोग के प्रथम सचिव (वाणिज्यिक), श्री एस० कृष्णामूर्ति, और खाद्य सम्पर्क पदाधिकारी, श्री के० बलराम ने, जो कि क्रमश: प्रतिनिधि तथा कल्पिक प्रतिनिधि के रूप में उसमें शामिल हुए ।

(ग) उस बैठक में केवल एक ही महत्वपूर्ण निर्णय किया गया था और वह यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में अक्टूबर या नवम्बर १९५८ में एक प्रारम्भिक सम्मेलन किया जाये, जिसमें वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के नवीकरण के प्रश्न पर विचार किया जाये जो कि ३१ जुलाई, १९५९ को समाप्त होने को है ।

"चिऊरा वृक्ष"

†२३१४. **श्री हेम राज :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में उत्पन्न होने वाले "चिऊरा वृक्ष" में खाद्य तत्वों की जांच तथा विश्लेषण किया गया है;

(ख) इसका फल घी बनाने के लिये किस हद तक लाभदायक सिद्ध हो सकता है; और

(ग) यदि हां, तो उस घी में खाद्य तत्व कितना होता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर बिजली लगाना

†२३१५. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उत्तर रेलवे ज़ोन में किन किन स्टेशनों पर बिजली लगाने का विचार है; और

(ख) उत्तर रेलवे ज़ोन में द्वितीय योजना काल तक ऐसे कितने रेलवे स्टेशन रह जायेंगे जहां बिजली नहीं होगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १४१]**

(ख) ७१९

†मूल अंग्रेज़ी में

रेलवे स्टेशनों पर बुक-स्टाल

†२३१६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर बुक-स्टालों में रखी जाने वाली पुस्तकों की किस्मों के सम्बन्ध में रेलवे को मंत्रणा देने के लिये कोई समिति नियुक्त की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उन समितियों ने अपने कार्य में अभी तक कितनी प्रगति की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां । पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अतिरिक्त अन्य सभी रेलों में बुक-स्टाल समितियां काम कर रही हैं । आशा है कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में भी शीघ्र ही समिति नियुक्त कर दी जायेगी ।

(ख) समितियों ने कई बैठकें की हैं और निरीक्षण सम्बन्धी दौरे भी किये हैं और परिणाम-स्वरूप अपने कई सुझाव दिये हैं जिनकी ओर रेलवे ने ध्यान दिया है ।

लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है, जिसमें यह बताया गया है कि समितियों ने किस किस प्रकार के सुझाव दिये हैं ।

विवरण

(१) कुछ विशेष पुस्तकें रखी तथा बेची जायें ।

(२) पुस्तकों का अच्छी प्रकार से परीक्षण करने के बाद, कुछ पुस्तकों की बिक्री जारी रखी जाय ।

(३) कुछ बुक-स्टालों पर प्रादेशिक भाषाओं की पुस्तकों की संख्या बढ़ा दी जाय ।

(४) रेलवे के बुक-स्टालों पर बिक्री के लिये पुस्तकों को स्वीकृति देते समय लेखकों में कोई भेद भाव न रखा जाय ।

(५) बुक-स्टालों पर पुस्तकों को अच्छी प्रकार से प्रदर्शित किया जाय ।

(६) जिन स्टेशनों पर अभी तक कोई बुक-स्टाल नहीं वहां बुक-स्टाल स्थापित किये जायें ।

(७) कुछ एक स्टेशनों पर बुक-स्टालों को अधिक उपयुक्त स्थानों पर स्थापित किया जाये ।

(८) बिना लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों द्वारा स्टेशनों तथा रेलगाड़ियों में किताबें बेचना बन्द किया जाये ।

(९) पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के मूल्य प्रकाशन स्थानों में लिये जाने वाले के मूल्यों के बराबर रखे जायें ।

(१०) रेलवे के बुक-स्टालों पर सुझाव पुस्तकें रखी जायें ।

(११) पुरानी पुस्तकों को नई पुस्तकों के समान मूल कीमत पर न बेचा जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खादी

†२३१७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७, १९५७-५८ में प्रत्येक रेलवे द्वारा कितनी खादी खरीदी गई थी और उनकी कितनी कीमत है;

(ख) यह किस प्रयोजन के लिये खरीदी गई है; और

(ग) उक्त वर्षों में खादी के अतिरिक्त दूसरे प्रकार का कितनी कितनी कीमत का और किस किस प्रयोजन के लिये कपड़ा खरीदा गया था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १४२]**

पंजाब में नई रेलवे लाइनें

†२३१८. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में पंजाब राज्य में कितने मील नई रेलवे लाइन तैयार की गयी थी;

(ख) किस किस क्षेत्र में रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया है; और

(ग) उन पर कुल कितना खर्च किया गया था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह बताया जाता है कि आंकड़े रेलवे-वार रखे जाते हैं, राज्यवार नहीं; फिर भी, उत्तर रेलवे में पंजाब राज्य की सीमाओं के अन्तर्गत ६७·५६ मील रेलवे लाइन बनायी गयी थी।

(ख) (१) मुकेरियां-पठानकोट

(२) नागरोटा-जुगिन्दर नगर

(३) भरोली-माधोपुर

(४) अम्बाला-कालका सेक्शन में चंडीगढ़-घघर के बीच चंडीगढ़-डाइवर्शन।

(ग) ४.७१ करोड़ रुपये।

जल संभरण तथा जल-निस्सारण योजनायें

†२३१९. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार जल संभरण तथा जल-निस्सारण व्यवस्था में लोहे के पाइपों के स्थान पर प्लास्टिक के पाइप इस्तेमाल करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रयोग कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). इस बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में बम्बई, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारें प्रयोग कर रही हैं। प्लास्टिक के पाइपों का प्रयोग जल संभरण के क्षेत्र में अपेक्षाकृत नया है और इसलिये कोई भी अन्तिम निर्णय करने से पहले यह देखना अत्यावश्यक है कि क्या यह प्रणाली इस देश में सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में गोशालाओं का विकास

†२३२०. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि पंजाब में गोशालाओं के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार से १९५७-५८ और १९५८-५९ में अभी तक पंजाब को कितना अनुदान दिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : १९५७-५८ में ५२,००० रुपयों का अनुदान दिया गया था; १९५८-५९ में अभी तक कुछ भी अनुदान नहीं दिया गया है ।

बिना टिकट यात्रा

†२३२१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित रेलों में १९५८ में अभी तक प्रति मास कितने व्यक्ति बिना टिकट के या ा करते ए पक गये हैं :

(१) उत्तर रेलवे;

(२) पूर्वोत्तर रेलवे;

(३) पूर्व रेलवे;

(४) दक्षिण-पूर्व रेलवे ;

(५) पश्चिम रेलवे

(६) मध्य रेलवे; और

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक रेलवे से किरायों तथा जुर्मानों के रूप में कुल कितनी राशि वसूल की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १४३]**

यात्री सुविधायें

†२३२२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में निम्नलिखित रेलवे सेक्शनों के स्टेशनों पर यात्रियों को क्या क्या सुविधायें दी गई थीं :

(१) फाजिल्का-भटिंडा; और

(२) हिन्दूमालकोट-फुलेरिया;

(ख) किस किस प्रकार का कार्य किया गया है और प्रत्येक कार्य पर कितना खर्च आया है;

(ग) उक्त सेक्शनों के विभिन्न स्टेशनों पर १९५८-५९ में यात्रियों को क्या क्या सुविधायें दी जायेंगी;

---

† मूल अंग्रेजी में

(घ) प्रत्येक स्टेशन पर किस किस प्रकार का कार्य किया जायेगा; और

(ङ) प्रत्येक कार्य पर लगभग कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). फाजिल्का-भटिंडा सेक्शन के स्टेशनों पर यात्रियों के लिये दी गई सुविधायें और उन पर किये गये खर्च इस प्रकार से हैं :—

स्टेशन	दी गई सुविधायें	खर्च रुपये
१. लाखेवाली . .	प्लेटफार्म पर बैंच	३४८
२. मुक्तसर . .	(i) प्रतीक्षा कक्ष में पानी का नलका	२३
	(ii) प्लेटफार्म पर बैंच	३७५
३. वंडेरजताना .	टिकट खरीदने की खिड़की के आगे शैल्टर बनाना	६५६
४. झाबलवाली .	तदेव	६३६

हिन्दूमालकोट-फुलेरा नाम का कोई भी सेक्शन नहीं है ।

(ग) से (ङ). फाजिल्का-भटिंडा सेक्शन के विभिन्न स्टेशनों पर १९५८-५९ में यात्रियों को निम्नलिखित सुविधायें दी जायेंगी :—

स्टेशन	दी जाने वाली सुविधायें	खर्च रुपये
१. मुक्तसर . .	वेटिंग हाल में कई सुधार करने और प्लेटफार्म पर पानी वाली चार सीटों वाले शौचालय और चार सीटों वाले पेशाबघर तथा प्रतीक्षा कक्षों में शौचालय तथा स्नानालय का निर्माण	४९,१८३
२. लखेवाली . .	एक रेलवे लेवल प्लेटफार्म बनाना	४,०९८
३. बाड़ीवाला .	तदेव	४,०९१
४. गोनियाना .	तदेव	४,०९१

सतर्कता पदाधिकारी

†२३२३. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलों के समय पर न चलने के कारणों की जांच करने के लिये सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों में रेलवे पदाधिकारियों को नियुक्त करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो किन किन गाड़ियों पर नज़र रखी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों पर रेलवे द्वारा डिवीज़नल तथा हेडक्वार्टर के स्तर पर विशेष नज़र रखी जाती है । जब भी इन गाड़ियों के चलने में कोई सुस्ती होती है, समयपालन आंदोलन प्रारम्भ किया जाता है और उसके लिये निम्नलिखित कार्यवाहियां की जाती हैं :—

(१) उन गाड़ियों की ओर जोकि सदा ही देर से चलती हैं विशेष ध्यान दिया जाता है और समयपालन में सुधार की दृष्टि से उन पर निरन्तर नज़र रखी जाती है ।

(२) गाड़ियों के समयपालन की स्थिति को सुधारने के लिये विशेष उपाय करने के लिये गार्डों, ड्राइवरों तथा स्टेशन मास्टरों को विशेष हिदायतें जारी की जाती हैं ।

(३) यातायात, वाणिज्यिक तथा मैकेनिकल शाखाओं के पदाधिकारियों तथा निरीक्षकों को मेल गाड़ियों तथा अन्य महत्वपूर्ण गाड़ियों से यात्रा करने के लिये कह दिया जाता है ।

(४) कंट्रोल आफिस में प्राप्त होने वाले परिणामों का दिन रात निरीक्षण किया जाता है ।

(५) दोनों प्रकार के डिवीज़नल अफसर, यातायात तथा मैकेनिकल, समयपालन आन्दोलन की अवधि में, सम्मिलित रूप से परिणामों का पुनरीक्षण करते हैं और आवश्यक उपचारीय कार्यवाहियां की जाती हैं ।

इस प्रकार के समयपालन आंदोलन में समयपालन के साथ ही साथ सिगनलों की जांच, गाड़ियों की गति के नियन्त्रण की जांच, खतरे की घंटी के यंत्र का कार्य, सामान चढ़ाने का वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण, और डिब्बों आदि को ठीक प्रकार से जोड़ने आदि सभी बातों पर नज़र रखी जाती है और आवश्यक कार्यवाही भी की जाती है ।

बिना टिकट फेरी वाले

२३२४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल गाड़ियों में बिना टिकट फेरी वालों द्वारा सामान बेचने के कारण रेलवे विभाग को बहुत हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि गाड़ियों में होने वाली चोरियों में इन फेरी वालों का हाथ होता है; और

(ग) सरकार का इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, रेलों को इसकी वजह से कुछ नुक्सान हुआ है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) गाड़ियों में आमतौर पर टिकट परीक्षक तो निगरानी रखते ही हैं, इसके अलावा फेरी वालों और भीख मांगने वालों की रोकथाम के लिये एक खास दस्ता भी संगठित किया गया है । यह दस्ता उन सेक्शनों की गाड़ियों पर जांच करता है जहां यह बुराई बहुत अधिक है और अनधिकृत

---

†मूल अंग्रेज़ी में

फेरी वालों को गाड़ियों से बाहर निकालता है। रेलवे सुरक्षा दल और रेलवे पुलिस की मदद से टिकट-परीक्षकों द्वारा विशेष छापे भी मारे जाते हैं। जो लोग गाड़ी में अनधिकृत रूप से सामान बेचते पाये जाते हैं उन पर भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा ४७(२) के अधीन मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन आमतौर पर ऐसे अपराधियों को छोटे-मोटे जुर्माने किये जाते हैं जिससे उन पर कोई कारगर असर नहीं पड़ता। इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है कि ऐसे मामलों में अपराधियों को अदालत से जेल की सजा दिलायी जाय। इस बुराई को दूर करने के लिए यात्रियों का सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है। उपयुक्त साधनों द्वारा उनसे अनुरोध किया जाता है कि चलती गाड़ी में फेरी वालों से कोई चीज न खरीदें।

दिल्ली में मकानों के नक्शे

†२३२५. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में यमुना नदी के पार के क्षेत्र को छोड़कर दिल्ली सुधार न्यास द्वारा स्वीकृत ऐसी कौन कौनसी बस्तियां हैं जिन के लिये मकान बनाने के लिये नक्शे दिल्ली विकास प्राधिकार मंडल तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा मंजूर किये जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के वजीर नगर और अर्जुन नगर के नक्शे दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने स्वीकार किये हैं;

(ग) इन दो बस्तियों में मकानों के नक्शे की मन्जूरी न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन दो बस्तियों के लिये दिल्ली विकास प्राधिकार तथा दिल्ली निगम कब तक मकानों के नक्शों के लिये मंजूरी दे देंगे।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) उन बस्तियों के नाम निम्नलिखित ह :—

१. राजोरीगार्डन

२. शिवाजीपार्क

३. कैलाश नगर

४. हाऊस खास एनक्लेव

५. कीर्तिनगर

६. पद्म नगर

७. फ्रेण्ट्स कालोनी

८. सावन पार्क के निकट वजीरपुर रोड पर भूमि।

(ख) जी नहीं।

(ग) इन बस्तियों के 'ले आउट प्लान' अभी तक स्वीकृत नहीं किये गये हैं, इसलिये मकान बनाने की अभी अनुमति नहीं दी जा सकती।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इन बस्तियों पर दिल्ली विकास प्राधिकार मंडल का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। उनकी योजनाओं और मकानों के नक्शों की मंजूरी दिल्ली नगर निगम द्वारा दी जाती है। सरकार के लिये यह बताना कठिन है कि दिल्ली नगर निगम इन दो बस्तियों के मकानों के नक्शों के सम्बन्ध में कब तक मंजूरी दे देगा।

रेलवे कर्मचारियों में तपेदिक के रोगी

†२३२६. **श्री दलजीत सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे संस्थापनों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने व्यक्तियों को ३१ जुलाई, १९५८ तक तपेदिक की आरोग्यशाला में भेजा गया था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

खड़गपुर हाई स्कूल

†२३२७. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे की खड़गपुर हाई स्कूल के मुख्याध्यापक का स्थान अभी तक खाली पड़ा हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) वह स्थान २-३-१९५८ को खाली हुआ था, परन्तु उस स्कूल के एक असिस्टेंट टीचर को ही मुख्याध्यापक के स्थान पर अस्थायी रूप से नियुक्त कर दिया गया है ?

(ख) उस स्कूल को एक उच्च माध्यमिक-एवं-बहुप्रयोजनीय स्कूल में बदल दिया गया है और इसलिये स्कूल में अब मुख्याध्यापक के स्थान पर एक प्रिंसिपल नियुक्त किया जायगा। इसीलिये मुख्याध्यापक के स्थान को अस्थायी रूप से भरा गया है।

उड़ीसा में तपेदिक की रोक-थाम

†२३२८. **श्री पाणिग्रही :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तपेदिक की रोक-थाम और उड़ीसा राज्य में तपेदिक के रोगियों के लिये पृथक्करण केन्द्र की स्थापना के लिये १९५८-५९ और १९५९-६० में उड़ीसा को कुल कितनी रकम दी गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** १९५८-५९ में उड़ीसा निम्न सहायता प्राप्त करन का अधिकारी है :—

लगभग २,००,००० रुपये की अनुमानित लागत से एक्स-रे और प्रयोगशाला उपकरण और तपेदिक के रोगियों के लिये पृथक्करण बिस्तरों के लिये १,३१,२५० रुपये। १९५९-६० के लिये प्रस्ताव और दी जाने वाली सहायता की रकम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेडिकल स्टोर डिपो के कर्मचारी

†२३२६. **श्री ईं थनी पिल्ले** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेडिकल स्टोर डिपो के कर्मचारियों ने अपर डिवीजन क्लर्कों के वेतन क्रम के लिये अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) लोअर और अपर डिवीजन वर्गों में नियोजित कर्मचारियों की निश्चित संख्या कितनी है; और

(ग) उपरोक्त डिपो में तीन वर्ष से भी अधिक समय से अस्थायी रूप में नियोजित कर्मचारियों की कितनी संख्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) (१) लोअर डिवीजन क्लर्क . . . २८०

(२) अपर डिवीजन क्लर्क . . . ८

(ग) ७३।

गत्ता (बोर्ड) बनाने की प्रक्रिया

†२३३०. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १६ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वन गवेषणा संस्था देहरादून में विकसित लकड़ी के बुरादे और कृषि की मामूली बेकार वस्तुओं से गत्ता (बोर्ड) बनाने की प्रक्रिया पर अन्य वस्तुओं से गत्ता (बोर्ड) बनाने की आजकल की पद्धति की अपेक्षा कम लागत आती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: इंस्टीट्यूट में विकसित प्रक्रिया लकड़ी के बुरादे तथा ऐसी ही बेकार वस्तुओं से निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किये जाने वाले गत्ते (बोर्ड) बनाये जाते हैं । यद्यपि इस प्रक्रिया को 'पेटेंट' करा लिया गया है, तथापि अभी तक वाणिज्यिक दृष्टि से इस का प्रयोग नहीं किया गया है । अतः इस का आर्थिक पहलू निर्धारित नहीं हुआ है । फिर भी, उपरोक्त प्रक्रिया की सहायता से मशीनों के अतिरिक्त बिना किसी कृत्रिम रेजीन बाइण्डर और विदेशी वस्तुओं को उपयोग किये हुए ही ऐसे बोर्ड आदि बन जाते हैं । लकड़ी के बुरादे से बने हुए बोर्ड फाइबर बोर्ड का स्थान नहीं ले सकते हैं क्योंकि इन के लिये महंगी मशीनें और कृत्रिम रेजीन चाहिये ।

भूतपूर्व नार्थ वैस्टर्न रेलवे के कर्मचारी

†२३३१. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व नार्थ-वैस्टर्न रेलवे में कैश एण्ड पे डिपार्टमेंट (नगदी तथा वेतन विभाग) के कर्मचारियों को २२ नवम्बर, १९५७ के रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (डब्ल्यू) पी एफ १-२७ के अनुसार उपदान आदि नहीं दिया गया है जबकि भूतपूर्व बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे के कर्मचारियों को यह सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अंक-सूची[1]

†२३३२. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सभी रेलवे जोनों में तृतीय श्रेणी के पदों के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित करते समय अंक पत्र मांगने की प्रक्रिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). रेलवे में तृतीय श्रणी के कुछ पदों के लिये उम्मीदवारों को अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इत्यादि विषयों में कुशल होना आवश्यक है। अन्तिम अर्हता योग्य परीक्षा में इन विषयों में मिलने वाले अंक ही उन की कुशलता के परिचायक हैं ।

ग्राम सहायक

२३३३. **श्रीमती मिनोमाता** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सहायकों का प्रशिक्षण समाप्त होने पर सरकार उन्हें कौन-सा काम सौंपती है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री स० के० डे) : ग्राम सहायक प्रशिक्षण का अभिप्राय ग्रामीण स्वयंसेवकों को विकसित करना है जोकि अपने अपने विषयों में निपुण हों और विकास खंड विशेषतया अपने ग्रामों में शासकीय व अशासकीय अभिकरणों की सहायता कर सकें । ग्राम सहायक को शिक्षा इसलिये दी जाती है कि वह अपने विशेष विषय सम्बन्धी उन्नत प्रथाओं को समझे व उनका पालन करे । उस से यह आशा की जाती है कि वह अपने गांव में उन का प्रदर्शन करे और एक ग्राम मण्डल का संगठन करने में सहायक बने जिस का उद्देश्य उन उन्नत प्रथाओं का परस्पर सहयोग द्वारा सक्रिय प्रचार करना होगा ।

रेलवे वर्कशाप के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†२३३४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में १९५७-५८ में रेलवे वर्कशाप में औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के लिये कितने क्वार्टर बनाये गये हैं ; और

(ख) १९५८-५९ में कितने क्वार्टर बनाये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) यद्यपि रेलवे कर्मचारियों के वर्गीकरण में औद्योगिक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, यांत्रिक विभाग के वर्कशाप में नियोजित सम्पूर्ण कर्मचारी अपने कार्य और स्थिति की दृष्टि से औद्योगिक कहे जाते हैं । इन के लिये ६८९ क्वार्टर बनाये गये हैं ।

(ख) ६२५ ।

महाराष्ट्र में कोंकण रेलवे

†२३३५. **श्री बाला साहेब पाटिल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में महाराष्ट्र में कोंकण रेलवे के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Mark sheets.

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) निधि और सामान की कमी के कारण योजना आयोग द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में विचार नहीं किया जा रहा है ।

मिरज स्टेशन के निकट पुल का निर्माण

†२३३६. **श्री बालासाहेब पाटिल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मिरज स्टेशन की सीमा में मिरज-बेलगाम और मिरज-कुर्दवाडी लाइन के चौराहे पर मिरज-कोल्हापुर रोड पर एक पुल बनाने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: संभवत: माननीय सदस्य मिरज स्टेशन यार्ड के दक्षिणी सिरे पर मील ११६/१९–२० पर लेवल-क्रासिंग के स्थान पर निम्न अथवा ऊपरी पुल की ओर निर्देश कर रहे हैं । यदि हां, तो उत्तर इस प्रकार है :—

(क) जी नहीं । रेलवे प्रशासन ने यह विषय राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया है जिन्हों-ने बताया है कि अर्थ की कमी के कारण वे निकट भविष्य में इस प्रकार के उपबन्ध पर विचार नहीं कर सकते हैं ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

मद्रास सैन्ट्रल स्टेशन पर रेलवे पार्सलों का जमाव

†२३३७. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि (दक्षिण रेलवे) सैन्ट्रल स्टेशन मद्रास के प्लेटफार्म नं० १ पर बड़ी संख्या में पार्सल और पैकेज इकट्ठा रहने के फलस्वरूप गाड़ी आने पर यात्रियों के लिये उस में से उतर कर इधर-उधर जाना असम्भव हो जाता है ; और

(ख) सैन्ट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म नं० १ पर यात्रियों के मार्ग को उक्त बाधाओं से मुक्त रखने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) फिर भी यह सच है कि नगर में डिलीवरी के लिये नियत पार्सल, यदि बचे हों, और पार्सल आफिस बन्द होने के पश्चात् आने वाली गाड़ियों से प्राप्त हुए पार्सल मद्रास सैन्ट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म नं० १ पर इकट्ठा कर दिये जाते हैं किन्तु यात्रियों के आने जाने के लिये पर्याप्त जगह छोड़ने के पश्चात् विशेष रूप से निर्दिष्ट सीमा में ही ऐसा किया जाता है ।

†मूल अंग्रेजी में

गंडक नदी पर पुल

†२३३८. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंडक नदी पर अगले वर्ष पुल पूरा बन जाने के पश्चात् उसी नदी पर सोनपुर और हाजीपुर के बीच (पूर्वोत्तर रेलवे) रेलवे के पुराने पुल को गिराने अथवा बनाये रखने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का क्या स्वरूप है ;

(ग) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने इस पुल को लेने और इसे सड़क के पुल में बदलने की बिहार सरकार ने इच्छा अभिव्यक्त की है ; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे और राज्य सरकार के बीच वार्ता की क्या स्थिति है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी नहीं। अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जिन शर्तों के अधीन यह पुल बिहार राज्य सरकार को स्थानान्तरित किया जायगा उन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

नवीन सहकारी ऋण समितियां

†२३३९. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी बड़ी नवीन सहकारी ऋण समितियों और छोटी समितियों को मिला कर बड़े किस्म की समितियां बनाने का कार्य विभिन्न राज्यों में ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण प्रतिवेदन, जिसे विभिन्न राज्य सरकारों ने स्वीकार कर लिया है, के सुझावों के अनुसार प्रगति कर रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या बड़ी समितियों के निर्माण में अवरोध उत्पन्न हुआ है ;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में कृषि ऋण समितियों के निर्माण के पूरे प्रश्न की पुनरीक्षा की गई है अथवा की जा रही है ?

(घ) यदि हां, तो इस पुनरीक्षण के क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस विषय में किये गये निर्णयों का क्या स्वरूप है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां। बड़ी साइज की समितियों के संगठन का लक्ष्य योजना के अनुसार पूरा हो रहा है । इन समितियों के संगठनात्मक ढांचे का अध्ययन किया गया था। यह प्रकट हुआ है कि ऐसे अनेक मामले हैं जिन में बड़ी साइज की समितियों के संचालन क्षेत्राधिकार में कई गांव अनावश्यक रूप में सम्मिलित कर लिये गये थे ।

(ख) से (ङ). यह निश्चित करने के लिये कि सदस्यों में परस्पर ज्ञान और सौहार्द्र की वृद्धि हो तथा समितियों में सहकारी भावना बनी रहे, यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में

†मूल अंग्रेजी में

बड़ी साइज़ की समितियों का संगठन निम्न सिद्धान्तों पर आधारित हो :

(१) बड़े साइज़ की समिति में ४ या ५ गांव से अधिक न हों ;

(२) बड़े साइज़ की समितियां राज्यों के मुख्यतः पिछड़े और अभावग्रस्त क्षेत्रों में बनाई जायें ; और

(३) १९५८-५९ की राज्यकीय योजनाओं में सम्मिलित बड़ी साइज की समितियों के संगठन का कार्यक्रम पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है, उस के पश्चात्, राज्यों में ऐसी बड़ी साइज़ की समितियों का पंजीयन नहीं किया जायेगा जिन में दस प्रतिशत गांव १९५८-५९ के अन्त तक सम्मिलित किये जा सकें। बड़ी साइज़ की उन वर्तमान सहकारी समितियों का जिन में अनावश्यक रूप में अधिक क्षेत्र सम्मिलित है, फिर से संगठन किया जायेगा ताकि उन का क्षेत्राधिकार कम हो जाये और वह यथासम्भव उपरोक्त (१) में निर्धारित साइज़ के अनुरूप हो सके ।

बड़ी साइज़ की सहकारी समितियों के निर्माण में उपरोक्त सिद्धान्तों को ध्यान में रखने का राज्यों को परामर्श दिया गया है । उन से यह भी कहा गया है कि वे छोटी छोटी समितियों को बिना सोचे समझे बड़ी समितियों में परिवर्तित न करें ।

रेलवे दुर्घटनाएं

†२३४०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ से आज तक भटिण्डा और अम्बाला के बीच कुल कितनी रेल दुर्घटनायें हुई हैं ;

(ख) इन में से कितनी बड़ी और कितनी छोटी दुर्घटनायें हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इन दुर्घटनाओं के कारणों की जांच की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). भटिण्डा और अम्बाला के बीच निम्न वर्गों की कुल रेलवे दुर्घटनायें इस प्रकार हैं :—.

	साधारण (१९५५ से)	भयंकर (१९४७ से)
पटरी से उतरना . .	१८	३
टक्कर	..	..
रेलवे क्रासिंग पर दुर्घटना	३	
गाड़ियों में आग लगना .	३	..
	२४	३

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण इस प्रकार है :—

	साधारण	भयंकर
(१) रेलवे कर्मचारियों की भूल .	१८	१
(२) रेलवे कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की भूल . .	२	..
(३) ट्रेक और पुल की खराबी .	..	२
(४) अन्य विविध कारण . .	४	..
	२४	३

१९५५ से पूर्व की साधारण घटनाओं के बारे में रेकार्ड उपलब्ध नहीं है ।

केन्द्रीय चावल समिति

†२३४१. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चावल क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने के बारे में, केन्द्रीय चावल समिति की सिफारिशों पर विचार किया है ;

(ख) क्या सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में कौन कौन से क्षेत्र निर्धारित किये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) यह सिफारिश अभी भारत सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

पंजाब में सिंचाई सम्बन्धी कार्य

†२३४२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यम और छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये पंजाब राज्य को १९५७-५८ में कितनी रकम आवंटित की गई है और कितनी रकम वास्तविक रूप में खर्च हुई है ; और

(ख) इन सिंचाई कार्यों के निर्माण के फलस्वरूप कितनी जमीन में खेती होने लगी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). इस मंत्रालय का सम्बन्ध केवल सिंचाई सम्बन्धी छोटे कार्यों से है; इस विषय में जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-समय लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डी-४ थ्रेशर और ग्रेडर[1]

†२३४३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेक्नीकल सहकारी मिशन द्वारा कृषि सम्बन्धी प्रदर्शन के लिये डी–४ थ्रेशर और ग्रेडर हिमाचल प्रदेश में भेजे गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो जहां इन का प्रदर्शन किया गया था उन स्थानों के नाम क्या हैं और प्रदर्शन किन तारीखों को किया गया था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अमेरिका से गेहूं

†२३४४. **श्री सूरज पांडे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कानून ४८० के अधीन अमेरिका से कितना गेहूं मंगाया गया है ; और

(ख) इस में कितना गेहूं घुन लगा हुआ और मानवीय उपभोग के लिये अनुपयुक्त था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) अगस्त, १९५६ में अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् लगभग ३० लाख ६० हजार टन गेहूं ।

(ख) घुन लगा हुआ गेहूं नहीं था । यात्रा के दौरान समुद्री पानी के संसर्ग से मानवीय उपभोग के लिये अनुपयुक्त हुए गेहूं की मात्रा साधारण थी ।

जनरल मैनेजरों का सम्मेलन

†२३४५. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री सरजू पांडे :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के जनरल मैनेजरों का सम्मेलन अगस्त, १९५८ में दिल्ली में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन का क्या अभिप्राय था ; और

(ग) इस में क्या क्या निर्णय किये गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). माननीय सदस्यों का ध्यान २८ नवम्बर, १९५७ को लोक-सभा में सर्वश्री विभूति मिश्र और हरिश्चन्द्र माथुर के तारांकित प्रश्न संख्या ६१८ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारी

†२३४६. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या **रेलवे** मंत्री दक्षिण-पूर्व रेलवे में १९५७-५८ में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी के कुल कर्मचारियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : ३९०३.

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]D-4 Threshers and Graders.

रायपुर-वाल्टेयर रेलवे लाइन में रेलवे सम्पत्ति की चोरी

†२३४७. **श्री संगण्णा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस से अवगत है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे ज़ोन की रायपुर-वाल्टेयर रेलवे लाइन के सवारी डिब्बों का फिटिंग तथा अन्य उपकरण चुरा लिये जाते हैं और इस के परिणाम-स्वरूप जनता को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रकार चोरी की घटनायें कभी कभी होती हैं और मालूम होते ही चुराये गये उपकरणों की पूर्ति कर दी जाती है ।

जब भी रैक खाली होते हैं अथवा यार्ड में रखे होते हैं तो सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। चोरी की घटनाओं से अत्यधिक ग्रस्त क्षेत्रों में चलती गाड़ी में पहरेदार रहते हैं और राज्य की रेलवे पुलिस के सहयोग से इस समस्या का सामना करने के लिये एक विशेष दस्ते का संगठन किया जाता है।

यातायात सम्बन्धी अपराध

†२३४८. **श्री यादव :**
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ और १९५८ में अगस्त तक की प्रत्येक तिमाही में यातायात सम्बन्धी कितने अपराध पंजीकृत हुए हैं ;

(ख) इन दुर्घटनाओं में दिल्ली ट्रांसपोर्ट, पुलिस और सेना की कितनी कितनी मोटर-गाड़ियां और बसें अन्तर्ग्रस्त थीं और पुलिस, दिल्ली ट्रांसपोर्ट और सेना के कितने कर्मचारियों पर अलग अलग मुकदमे चलाये गये ;

(ग) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मरे अथवा घायल हुए ; और

(घ) कितने मामलों में पुलिस, दिल्ली ट्रांसपोर्ट और सेना के कर्मचारियों पर तेज तथा लापरवाही से गाड़ियां चलाने का अपराध लगाया गया ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १४४]**

रामावरम् में रेलवे स्टेशन खोलना

†२३४९. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भद्रचलम रोड और कोलेरी साइडिंग मध्य रेलवे के बीच रामावरम् पर रेलवे स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की जांच किस अवस्था में है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस विषय पर अन्तिम निर्णय कब तक होने की संभावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). इस प्रस्ताव की जांच कर ली गई है तथा वह अस्वीकार्य पाया गया है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए रियायतें

२३५०. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्रालय की ओर से प्रेषित परिपत्र के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में पदोन्नति के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को कोई रियायतें दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो किन विभागीय परीक्षाओं में ये रियायतें मंजूर की गयी हैं; और

(ग) कितने लोग इस रियायत के योग्य हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) अभी नहीं।

(ख) और (ग). गृह मंत्रालय की सलाह से बोर्ड इस पर विचार कर रहा है।

किलोकड़ी, दिल्ली में बिजलीघर

२३५१. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २८ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किलोकड़ी, दिल्ली में ८००० किलोवाट के डीजल प्लान्ट से दिल्ली नगर के किस भाग को बिजली दी जायेगी; और

(ख) इस बिजली घर पर कितना रुपया व्यय होने का अनुमान है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) किलोकड़ी में डीजल पावर प्लान्ट के चालू होने पर, वहां से दिल्ली के दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों को बिजली दी जायेगी।

(ख) ४५ लाख रुपये।

भारत में "सी" विद्युत केन्द्र

२३५२. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २८ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तकनीकी सहयोग मिशन की सहायता से दिल्ली में स्थापित होने वाले "सी" विद्युत केन्द्र पर तथा इस के कर्मचारियों के लिये बनने वाले मकानों पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : दिल्ली के "सी" थर्मल स्टेशन पर लगभग ३१५ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

स्टाफ क्वार्टरों पर होने वाले खर्च का अभी अनुमान नहीं लगाया जा सका है क्योंकि पावर स्टेशन के आवश्यक कर्मचारियों के लिये बनाये जाने वाले मकानों की संख्या, उनकी किस्म आदि का निश्चय होना बाकी है ।

पंजाब में मेडीकल कालेज

†२३५३. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने १९५८–५९ में मेडिकल कालेजों के विस्तार के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई रकम स्वीकार की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) पुनरीक्षित प्रक्रिया के अधीन केन्द्रीय सहायता वाली योजनाओं के बारे में वित्त-मंत्रालय राज्य सरकारों को तीन-चतुर्थांश राशि देता है। यह राशि विधि तथा साधनों की एक पुश्त राशि के रूप में जो मासिक समान किश्तों में दी जाती हैं और १९५८–५९ के सहायता अनुदान की अन्तिम मंजूरी, फरवरी, १९५९ में जारी कर दी जायेगी। १९५८–५९ में इस योजना के लिये पंजाब को ३ लाख ४० हजार रुपये आवंटित किये गये हैं।

सामुदायिक विकास खण्डों में सिंचाई की छोटी योजनाएं

†२३५४. **श्री केशव** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों में सिंचाई सम्बन्धी छोटी छोटी योजनाओं के लिये मंत्रालय को इंजीनियरों और ओवरसियरों की आवश्यकता अनुभव हुई है; और

(ख) यदि इंजीनियरों और ओवरसियरों के अभाव में इस उपबन्ध का उपयोग नहीं किया गया तो ऐसा किस सीमा तक हुआ है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) जी हां ।

(ख) यद्यपि इनके अभाव की निश्चित सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है फिर भी इंजीनियरों और ओवरसियरों की कमी के कारण प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि और द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान सिंचाई सम्बन्धी छोटी छोटी योजनाओं की प्रगति मंद रही । तब से स्थिति में सुधार हुआ है और इस के परिणामस्वरूप खर्च बढ़ गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में सहकारी चीनी फैक्टरियां

†२३५५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य में सहकारी चीनी फैक्टरियां स्थापित करने के लिये मशीनें आयात करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा के रूप में सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन पंजाब में चीनी फैक्टरियों की स्थापना के लिये अभी तक जिन पांच सहकारी समितियों को लाइसेन्स प्रदान किये गये हैं इनमें से मशीनें आयात करने के लिये मोरिन्दा और बाटला के सहकारी समितियों को अभी लाइसेंस देना शेष हैं और इसीलिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है।

(ग) योजना आयोग ने देश की उन सब सहकारी चीनी फैक्टरियों के लिये मशीनें प्राप्त करने के प्रश्न पर विचार किया था जिन्हें अभी आयात लाइसेंस देना शेष हैं। इन चीनी फैक्टरियों में मोरिन्दा और बाटला समितियां भी सम्मिलित हैं। यह प्रस्ताव रखा गया है कि भारत में चीनी संयन्त्र निर्माता उद्योग कुछ हिस्सों और देश के भीतर उपलब्ध नहीं होने की संभावना वाले उपकरणों को न्यूनतम मात्रा में मंगायें। १९६०–६१ और १९६१–६२ में आवश्यक आवंटन करने की दृष्टि से आवश्यक विदेशी मुद्रा का ब्यौरा तय किया जा रहा है।

पंजाब में उचित मूल्य वाली दुकानें

†२३५६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ जननवरी से ३१ अगस्त, १९५८ तक उचित मूल्य वाली दुकानों के संचालन के बारे में पंजाब सरकार से कोई शिकायत मिली है; और

(ख) यदि हां, तो शिकायतें किस प्रकार की हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के कर्मचारी

†२३५७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में कितने असिस्टेन्ट तथा क्लर्क हैं; और

(ख) इन में कितने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के कर्मचारी

†२३५८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में असिस्टेंटों और क्लर्कों की संख्या क्या है; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** :

(क)	असिस्टेंट	५६
	क्लर्क	१२२
(ख)	असिस्टेंट	४
	क्लर्क	१४

परिवहन तथा संचार मंत्रालय के कर्मचारी

†२३५९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय परिवहन तथा संचार मंत्रालय में असिस्टेंटों और क्लर्कों की संख्या क्या है; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

		असिस्टेंट	अपर डिवीजन क्लर्क	लोअर डिवीजन क्लर्क
(क)		३२६	३१०	६६०
(ख)	अनुसूचित जातियां	२२	३०	१०६
	अनुसूचित आदिम जातियां	१	—	१०

कोल्हापुर रेलवे स्टेशन

†२३६०. **श्री जाधव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के कोल्हापुर स्टेशन पर पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे के टिकटों के विक्रय की मासिक औसत क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि पहले दर्जे का स्थान रक्षित करने की मांग बहुत अधिक है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उस स्टेशन के लिये कितनी बोगियां रक्षित की जाती हैं;

(घ) क्या यह सच है कि पहले दर्जे की सवारियों के लिये हमेशा स्थान कम रहता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) १९५७–५८ में टिकटों के विक्रय की मासिक औसत निम्नलिखित थी :—

पहला दर्जा	२०४
दूसरा दर्जा	२,०५६
तीसरा दर्जा	५६,४५६

(ख) जी हां, सीधा पूना जाने वाले डिब्बे में;

(ग) नं० ९७१ सवारी गाड़ी में कोल्हापुर से पूना तक के लिये पहले और तीसरे दर्जे के डिब्बों की एक बोगी और एक कोल्हापुर से मीराज और उस से भी आगे जाने वाली २०१ बंगलौर-पूना मेल नं० २०१ में ।

(घ) जी नहीं, कभी कभी स्थान कम होता है ।

(ङ) पहले दर्जे की बर्थों को तभी बढ़ाया जा सकता है जब कि पहले और तीसरे दर्जे के डिब्बों की बोगी को हटा कर केवल पहले दर्जे वाली बोगी लगाई जाये परन्तु तीसरे दर्जे के यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं है । उल्लिखित गाड़ियों में सीधे जाने वाले डिब्बे बढ़ाना सम्भव नहीं है ।

गन्ना

†२३६१. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से गन्ना उत्पादकों को गन्ने का अतिरिक्त मूल्य अथवा लाभांश देने की योजना आरम्भ की गई है तब से उन्हें प्रत्येक वर्ष कितनी राशि दी जाती है;

(ख) सम्भरण किये गये गन्ने पर प्रति मन किस दर से भुगतान किया गया है; और

(ग) यह भुगतान किन किन राज्यों में किया जाता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) सरकार द्वारा निर्धारित किये गये गन्ने के न्यूनतम मूल्य के अतिरिक्त किये गये भुगतान की राशियां नीचे बताई जाती हैं :—

मौसम	राशि (लाख रुपये)
१९५२–५३	१००.५३
१९५३–५४	११३.४
१९५४–५५	७१.०७
१९५५–५६	६२.४१
१९५६–५७ (अनिश्चित)	८५.००

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अतिरिक्त भुगतान की दर १ नये पैसे से ५४ नये पैसे तक थी ।

(ग) बम्बई, आंध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, पश्चिमी बंगाल, केरल और उड़ीसा में केवल उन्हीं कारखानों ने अतिरिक्त भुगतान किया जिन के द्वारा भुगतान करना मुनासिब समझा गया ।

गोसदन

†२३६२. **पण्डित ठाकुर दास भार्गव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में देश में कितने गोसदन खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और दोनों योजनाओं के लिये अलग अलग कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक कितने गोसदन खोले जा चुके हैं;

(ग) प्रथम और द्वितीय पंच वर्षीय योजनाओं में अलग अलग कितनी राशि खर्च की जा चुकी है; और

(घ) १९५१ से १९५७ तक वर्षवार इन गोसदनों में पशुओं की संख्या क्या थी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १४५]**

(घ) राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

खंडसारी के कारखाने

†२३६३. **श्री जाधव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कारखानों में खंडसारी के कितने कारखाने हैं;

(ख) वर्ष १९५७–५८ में खंडसारी का कितना उत्पादन हुआ और गत चार वर्षों में कितना; और

(ग) इन कारखानों में प्रत्येक वर्ष औसतन कितना गन्ना पेरा जाता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) विभिन्न राज्यों में खंडसारी के कारखानों की कुल संख्या मालूम नहीं है ।

(ख) १९५७–५८ तक के पांच वर्षों में खंडसारी चीनी के उत्पादन के आंकड़े अनुमानतः ये हैं :—

	(लाख टन)
१९५३–५४	०.९५
१९५४–५५	१.५०
१९५५–५६	१.५०
१९५६–५७	१.८०
१९५७–५८	२.२५

†मूल अंग्रेजी में

(ग) खंडसारी चीनी के १.६० लाख टन औसतन वार्षिक उत्पादन के अनुसार लगभग २७ लाख टन ।

पूर्व रेलवे के सियालदा डिवीज़न की 'लोकल' गाड़ियों में खतरे की जंजीर

†२३६४. **श्री हाल्दर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में इस बारे में विचार किया है कि पूर्व रेलवे के सियालदा डिवीजन की लोकल गाड़ियों में खतरे की जंजीरें ठीक कर दी जायें ताकि वे यात्रियों के बचाव में सहायता दे सकें; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) और (ख). जी हां। सियालदा डिवीज़न की लोकल गाड़ियों में खतरे की जंजीरें ठीक करने के प्रश्न पर अगस्त, १९५८ में विचार किया गया था परन्तु वह ठीक नहीं समझा गया ।

चोरी छिपे लाई गई घड़ियां

†२३६५. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता गोदी की पुलिस ने २० अगस्त, १९५८ को गोदी क्षेत्र में से १,२५,००० रुपये की घड़ियां बरामद कीं; और

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर और किन परिस्थितियों में ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १४६]**

अमृतकौर पुरी, दिल्ली, में मकान

२३६६. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या स्वास्थ्य मंत्री २८ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृत कौर पुरी, दिल्ली में जो २४० मकान बनाने की योजना थी उस के अन्तर्गत कितने मकान बन गये हैं ;

(ख) शेष मकान कब तक बन जायेंगे ;

(ग) क्या ये २४० मकान इस बस्ती के लोगों के लिये पर्याप्त होंगे; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो शेष लोगों के लिये क्या प्रबन्ध किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ७२ मकान बनाने का कार्य प्रगति पर है और अक्तूबर के मध्य तक पूरा हो जाने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जिस जमीन पर शेष २६८ मकान बनाने का विचार किया गया है उस पर कुछ लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। अनधिकृत निवासियों से वह स्थान खाली हो जाने के बाद ही आवश्यक निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) बिना इजाजत के बसे हुए शेष लोगों को पुनः मकान देने की अभी कोई योजना नहीं है। ज्यों-ज्यों फंड मिलते जायेंगे, दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने आगामी गंदी बस्ती सफाई कार्यक्रम में, जहां भी सम्भव होगा, ऐसे परिवारों को बदले में मकान देने के लिये समुचित कार्यवाही करेगा।

दानेदार चीनी[1] का उत्पादन

†२३६७. **श्री गोरे :**
श्री जाधव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'यू० पी० प्लानिंग रिसर्च एण्ड ऐक्शन इंस्टीच्यूट' ने छोटे एककों में दानेदार चीनी बनाने का एक तरीका निकाला है;

(ख) उत्तर में ऐसे कितने एकक चल रहे हैं; और

(ग) प्रत्येक एकक पर कितना खर्च होता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) नहीं, श्रीमान्। यू० पी० प्लानिंग एण्ड ऐक्शन इंस्टीच्यूट ने एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिस में सहकारिता के आधार पर, विशेषकर गन्ना उत्पादकों द्वारा, 'लाइम सल्फीकेशन ओपन पान प्रासेस' से जो १९४८ में नैशनल शूगर इंस्टीच्यूट कानपुर द्वारा निकाला गया था, दानेदार चीनी का उत्पादन करने के लिये छोटे कारखाने लगाने की सिफारिश की गई थी।

(ख) ४१।

(ग) एक कारखाने पर लगभग ७०,००० रुपये खर्च होंगे और उसमें प्रति दिन ५०० मन गन्ना पेरने की क्षमता होगी।

मथुरा का डाकघर

†२३६८. **राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मथुरा का डाक घर किराये की इमारत में रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसके लिये एक नई सरकारी इमारत बनाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां।

(ख) और (घ). विभागीय इमारत बनाने के लिये कोई विभागीय भूमि उपलब्ध नहीं है। डाक घर के लिये इमारत बनाने के लिये डाक और तार विभाग उपयुक्त भूमि की तलाश में है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Crystal Sugar.

देहरादून में हवाई अड्डा

२३६९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ५ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १९९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून (उत्तर प्रदेश) में एक हवाई अड्डा बनाने की प्रस्थापना के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : सिविल एविएशन डिपार्टमेंट और सेन्ट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरों ने उन जगहों का फिर से मुआयना किया है जो देहरादून में हवाई अड्डा बनाने के लिये मिल सकती थीं। इंसपेक्शन पार्टी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसकी जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में नदियों पर पुल

२३७०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ११ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नदियों पर पुल बनाने के लिये अनुदान या ऋण के रूप में जो वित्तीय सहायता मांगी थी उस के बारे में क्या कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन में से प्रत्येक पुल के लिये कितनी धन राशि निश्चित की गई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) फरुखाबाद में गंगा और रामगंगा और मिर्ज़ापुर तथा झूंसी (इलाहाबाद) में गंगा पर पुल बनाने के लिये राज्य सरकार ने ५ करोड़ रुपये की बिना ब्याज के ऋण की प्रार्थना की थी, इस पर भारत सरकार पहले ही विचार कर चुकी है किन्तु जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या ११३५ के भाग (घ) के उत्तर में बताया गया है, इसे स्वीकार करना सम्भव नहीं हो सका है। जहां तक अनुदानों का प्रश्न है, भारत सरकार, राज्य सरकार की तजवीज़ों पर इस समय विचार कर रही है और इस बारे में शीघ्र ही निर्णय हो जाने की आशा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

ग्रामीण व पिछड़े इलाकों की सड़कें

२३७१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ११ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण व पिछड़े हुये इलाक़ों की सड़कों के बारे में एक विशेष अधिकारी की जो रिपोर्ट विचाराधीन थी, क्या उसके बारे में इस बीच कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस रिपोर्ट की और उस पर किये गये निर्णयों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) कब तक निर्णय हो जाने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री(श्री राज बहादुर) : (क) ग्रामीण सड़कों के बारे में विशेष अधिकारी की रिपोर्ट अब भी विचाराधीन है ।

(ख) यह रिपोर्ट केवल विभागीय कार्यवाही के लिये है । यदि आवश्यक समझा गया तो इसे सभा पटल पर रखा जायेगा ।

(ग) इस विषय में आयोजन आयोग और दूसरे विभागों द्वारा जांच करने की आवश्यकता है । इसलिये इस जांच में कुछ समय लग गया है ।

(घ) लगभग चार महीने में ।

आसाम में टेलीफोन व्यवस्था

†२३७२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या परिवहन **तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के एक सब-डिवीज़नल नगर उत्तर लखीमपुर में अभी तक टेलीफोन व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके कब तक लग जाने की सम्भावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री(श्री स० का० पाटिल)** : (क) उत्तर लखीमपुर रेडियो टेलीफोन सम्पर्क द्वारा जोरहाट से मिला हुआ है । उत्तर लखीमपुर में ५० लाइनों वाले टेलीफोन एक्सचेंज की स्वीकृति दी जा रही है । वह यथा समय चालू हो जायेगा ।

(ख) और (ग). इसके लिये स्वीकृति तो दे दी गई है परन्तु इमारत बनने और टेलीफोन आदि लगने में १८ मास लग जायेंगे ।

मध्य रेलवे की आरी वर्कशाप

†२३७३. **श्री सरजू पांडे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे की आरी वर्कशाप ने अमला (बेतुल), मध्य प्रदेश, में ए० आर० बी० टाइप के ब्लाक संख्या १, २ और ३ का निर्माण कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब समाप्त हुआ था ; और

(ग) ब्लाकों में निर्माण पर कितना खर्च हुआ ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: शायद माननीय सदस्य रेजीडेंट इंजीनियरिंग आर्गेनाइज़ेशन द्वारा अमला में ठेके पर बनवाये गये क्वार्टरों के बारे में पूछ रहे हैं । यदि हां, तो उत्तर निम्नलिखित है :

(क) प्रत्येक ब्लाक में चार यूनिट हैं और टाइप २ क्वार्टरों के २४ यूनिट बनाये गये हैं ।

(ख) मार्च, १९५८ में काम पूरा हो गया था ।

(ग) १,२१,००० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर रेलवे में सिगनलरों की नौकरियां

†२३७४. श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में १ अप्रैल, १९५६ को विभागीय तथा परिवहन के सिगनलरों की कितनी नौकरियां थी ;

(ख) कितने स्थानों का ग्रेड ऊंचा उठाया गया था ;

(ग) प्रतिशतता का पुनरीक्षण करने के पश्चात् कितने स्थानों का ग्रेड ऊंचा उठाया गया ; और

(घ) अन्तर के यदि कोई कारण हैं तो वे क्या हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) ८५१ ।

(ख) से (घ). १०० से १८५ और इससे अधिक के ग्रेडों में कुल स्थानों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है परन्तु १५०—२२५ के ग्रेडों में कुल स्थानों के बारे में पुनर्विचार करते समय ४५ की कमी कर दी गई परन्तु १०० से १८५ में उतनी ही वृद्धि कर दी गई ।

पूर्वोत्तर रेलवे के बड़ा जामदा सैक्टर में अयस्क का परिवहन

†२३७५. श्री पाणिग्रही : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे ने इसका प्राक्कलन तैयार किया है कि बड़ा जामदा सैक्टर में अयस्क का वार्षिक परिवहन कितना है ;

(ख) यदि हां, तो वह कुल कितना है ; और

(ग) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा की खानों विशेषकर क्योंझर खानों की परिवहन क्षमता बढ़ाने के लिये अतिरिक्त रेलवे सुविधायें देने की कोई योजना बनाई है और उसे कार्यान्वित किया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां । (१) इस्पात के कारखानों के लिये इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय द्वारा, और (२) निर्यात के लिये वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलनों के आधार पर इसका अनुमान लगाया गया है ।

(ख) प्रयोगात्मक प्राक्कलनों के अनुसार आवश्यकता निम्निलिखित है :—

(१) इस्पात के कारखाने

इस्पात का कारखाने	लगभग टन प्रति वर्ष (लाख टन)
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	२२
टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	२३
दुर्गापुर	२१

†मूल अंग्रेजी में

(२) निर्यात

लगभग दस लाख टन लौह-अयस्क और मेंगानीज़ अयस्क ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में निम्नलिखित सुविधायें देने का कार्यक्रम बनाया गया है :—

(१) सुकिंदा खानों से निर्यात के लिये कच्ची धातु ले जाने के लिये जजपुर—क्योंझर रोड पर अयस्क धातु के लदान के लिये दो साइडिंग ।

(२) बड़ा जामदा और राजखर्सवां के बीच दोहरी लाइन बिछाना ।

अभी तक बड़ाजामदा—डंगुआपोसी और झिकपानी—पेन्द्रसली के बीच के कुछ एक सेक्शन पर दोहरी लाइन बिछाई गई है ।

(३) नुआमंडी से बांसपानी तक नई ब्रांच लाइन खोलना जिस से जोड़ा खानों का विकास हो सके । यह लाइन १८-४-५८ से खोल दी गई है ।

(४) बड़ाजामदा—बारबील को पानपोश गौर्ज तक बढ़ाना ।

(५) गुआ, बड़ाजामदा, नुआमंडी और डंगुआपोसी यार्डों को फिर से बनाना ।

(६) रूरकेला से डुमारो तक नई ब्रांच लाइन खोलना ।

यात्री सुविधायें

†२३७८. **श्री कुम्भार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे की साम्बलपुर से झरसुगुड़ा ब्रांच लाइन पर चलने वाली गाड़ियों में बिजली, पानी और पंखे आदि न होने के बारे में यात्रियों और सामान्य जनता से जो शिकायतें और अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इस ब्रांच लाइन पर पहले और दूसरे दर्जे के कितने डिब्बे चलाये जाते हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) गाड़ियों में रोशनी न होने के बारे में मार्च, १९५८ के पश्चात् दो शिकायतें मिली हैं । झरसुगुड़ा में गाड़ियों की बैटरियां 'चार्ज' करने का संयंत्र लगाया गया है जिस से इस ब्रांच लाइन की गाड़ियों में रौशनी की व्यवस्था होना निश्चित हो गया है ।

इस ३० मील लम्बी लाइन के लिये जो एक ही 'रेक' है उसे झरसुगुड़ा में पानी डाल कर, धो कर और साफ किया जाता है और दोनों ओर आते जाते साम्बलपुर में उसे 'ड्राइवलीन' किया जाता है ।

(ख) एक बोगी जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे के डिब्बे होते हैं उसमें स्थानों का ब्यौरा यह है :

पहला दर्जा . . .	८ बर्थ अथवा: २ बैठने की सीटें
दूसरा दर्जा . . .	१२ स्थान
	पहले दर्जे के २४ प्रतिशत और दूसरे दर्जे के ५ प्रतिशत स्थान रुकते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं (१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) मनीपुर खाद्यान्न (यातायात) नियंत्रण आदेश, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या ७५१, दिनांक ३० अगस्त, १९५८ ।

(२) जी० एस० आर० संख्या ७५८, दिनांक २९ अगस्त, १९५८ जिसमें उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५८ दिया हुआ है ।

(३) जी० एस० आर० संख्या ७८१, दिनांक ४ सितम्बर, १९५८ ।

(पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी०—९२७/५८)

(४) जी० एस० आर० संख्या ७८२, दिनांक ४ सितम्बर, १९५८ ।

(५) राजस्थान चना (निर्यात निषेध) नियंत्रण आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या ७८३, दिनांक ४ सितम्बर, १९५८ ।

(६) जी० एस० आर० संख्या ७८७, दिनांक ७ सितम्बर, १९५८ ।

(पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी०—९२८/५८)

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन के आयव्ययक संबंधी अनुमानों का सारांश

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : मैं वायु निगम नियम, १९५४ के नियम ३ के उपनियम (५) के अन्तर्गत निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वर्ष, १९५८-५९ के राजस्व और व्यय के आयव्ययक सम्बन्धी अनुमानों का सारांश ।

(२) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वर्ष, १९५६-५७ के वास्तविक पूंजी व्यय, वर्ष १९५७–५८ के आयव्ययक सम्बन्धी अनुमान तथा संशोधित अनुमान और वर्ष १९५८–५९ के आयव्ययक सम्बन्धी अनुमानों का सारांश ।

(पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० —९३०/५८)

(३) एयर इंडिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन के वर्ष १९५८-५९ के राजस्व और व्यय के आयव्ययक सम्बन्धी अनुमानों का सारांश ।

(४) एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के वर्ष १९५६-५७ के वास्तविक आंकड़ों, वर्ष १९५७-५८ के आयव्ययक सम्बन्धी अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों और पूंजी के अन्तर्गत वर्ष १९५८-५९ के आयव्ययक सम्बन्धी सारांश ।

(पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी०—९३१/५८)

---

†मूल अंग्रेजी में

एक सदस्य का अपराधी ठहराया जाना

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचना देनी है कि मुझे गोंडा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) से १५ सितम्बर, १९५८ का निम्न पत्र मिला है :—

"मुझे आपको यह बताना है कि श्री अटल बिहारी बाजपेयी, सदस्य, लोक-सभा पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा १८८ के अन्तर्गत आरोप में मैं ने अभियोग चलाया।

आज अभियोग चलाने के पश्चात् मैं ने उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा १८८ के अन्तर्गत अपराधी पाया और २०० रुपये जुर्माना देने अथवा जुर्माना न देने पर एक मास की साधारण कैद का दण्ड दिया।

चूंकि जुर्माने की धन-राशि नहीं दी गयी इसलिये उन्हें जुर्माना न देने की हालत में सजा भुगतने के लिये गोंडा जिला जेल में भेज दिया गया है।"

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव पर, जो १७ सितम्बर को प्रस्तुत किया गया था, आगे चर्चा करेगी।

श्री नन्दा अपना भाषण जारी रखें।

श्रम तथा रोजगार और योजना मंत्री (श्री नंदा) : योजना के मूल्यांकन के बारे में कल मैं ने तथ्य वर्णन करने के लिये पर्याप्त समय लिया मैं उसके लिये क्षमा चाहता हूं। मैं ने जो जानकारी दी वह सदस्यों को न दी गई थी। मेरा प्रयास ऐसी सामग्री देना था जिससे इन दस्तावेजों में दिये जाने वाले तथ्यों से कोई सम्बन्ध स्थापित हो।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

परिवर्तनों के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव बताना भी अभिप्रेत था। किन्तु अब मैं अनुभव करता हूं कि मेरा प्रयास गलत था और भविष्य में मैं ऐसा न करूंगा।

जो जानकारी सभा के पास है उससे पता चलता है कि स्थिति कठिन सी है। यह एक समस्या पैदा करती है। अब प्रश्न यह है कि क्या यह स्थिति अस्थायी है या फिर बड़ी स्थायी है और गहरी है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र की घटनाओं ने हमारे लिये स्थिति को बिगाड़ा और फिर मानसून खराब रही जिससे हमें पर्याप्त हानि हुई। यदि भविष्य में प्रकृति हमारा साथ दे तो हमारी कठिनाइयां समाप्त हो सकती हैं। किन्तु मेरा विचार ऐसा नहीं है। जहां तक भविष्य का सम्बन्ध है उसका सारा ही काम हमारे अपने प्रयासों पर ही निर्भर करता है।

अब आगे बढ़ने का ढंग जो हम भविष्य में अपनायेंगे वह स्पष्ट है। आगामी वर्षों में जो प्रयास हम योजना को सफल बनाने के लिये करेंगे उससे न केवल इसी योजना पर प्रभाव पड़ेगा बल्कि और भी योजनाओं पर प्रभाव होगा। हमें सामाजिक सेवाओं पर अधिक धन व्यय करने को कहा जायेगा। जब हम यहां की जाने वाली बातों पर विचार करने बैठेंगे तब यही परिणाम होगा। संसाधन बढ़ाने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

की भी योजनायें होंगी । हम उनका स्वागत करेंगे किन्तु मूल्यांकन से केवल यही अर्थ नहीं निकालना चाहिये । कई लोग यह समझते हैं कि योजना आयोग केन्द्र तथा राज्यों से जो काम कराना चाहता है वह बहुत ही ज्यादा है । किन्तु दूसरे लोग यह भी पूछ सकते हैं कि हाल ही में करभार अधिक बढ़ गया है और आगे कर लगाने की कितनी गुंजाइश है ।

मैं इस बात का पुनः स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि अब योजना के अन्तर्गत नवीन परियोजनायें चालू नहीं की जायेंगी । हमें संसाधनों की उन्हीं परियोजनाओं के लिये आवश्यकता है जिनकी पूर्ति होने वाली है । योजना आयोग को दूसरी दिशा में उपबन्ध करने को कहा जा रहा है और १५० करोड़ अतिरिक्त धन का उल्लेख किया गया है । इस का अर्थ यह हुआ कि योजना पर ४५०० करोड़ रुपये के स्थान पर ४६५० करोड़ रुपये व्यय होंगे । यदि अधिक संसाधन न प्राप्त हों तो योजना १२०० करोड़ पर ही है । यदि रुपया अधिक मिल जाये तो काम भी ज्यादा किया जा सकता है । हमें प्रयासों के एकीकरण के लिये कहा जाता है किन्तु बताइये हम अब विस्तार कहां कर रहे हैं ? ऐसी कोई योजना नहीं है । जो पूंजी अब तक हम लगा चुके हैं हमें उसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिये । एकीकरण का अर्थ यही तो है कि हम प्रत्येक स्तर पर अपने कार्यों का एकीकरण तथा समन्वय करें । कोई वस्तु व्यर्थ न जाये । यदि हम इधर आगे और उधर पीछे हैं तो इसे प्रगति नहीं कहा जा सकता । ऐसी बात तो होनी ही नहीं चाहिये । इस सम्बन्ध में अभी यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । हो सकता है कि हम कुछ परियोजनाओं को पूरा न कर सकें अतः विस्तार का तो कोई भी प्रश्न उठता ही नहीं है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आय तथा विनियोजन का नया ढब रखा गया है अर्थात् १९५१ से १९७६ तक प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो जाये । १९५१ में प्रति व्यक्ति आय २८१ रुपये थी । इसका अर्थ है कि घरेलू बचत भी हो । अब प्रश्न यह है कि क्या हम ऐसा करें या न करें । किन्तु यह सब हमारी गतिविधि पर प्रभाव डालेगा । इसलिये जो भी कुछ हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं हमें वह स्पष्टतया समझ लेना चाहिये ।

जो ढांचा हमने योजना का रखा है वह तो बड़ा ही छोटा है किन्तु बात यह है कि जब आपके पास संसाधनों की ही कमी हो तब आप बड़ी योजना भी किस आधार पर बना सकते हैं । जब हम वृद्धि की दर देखते हैं उसमें भी हमें किसी प्रकार की विशेषता नज़र नहीं आती । जो चीज लोगों से बचत के रूप में मांगी जा रही है उससे उन पर ज्यादा प्रभाव या भार नहीं पड़ता ।

आखिर दूसरे देश भी तो आगे बढ़े हैं उन्होंने भी वर्षों तक परिश्रम किया है । उनका अनुभव भी है कि अविकसित देशों में कितनी प्रगति हो सकती है । यदि हम समय के साथ आगे न बढ़े तो इसके परिणाम भी भयानक रहेंगे । आज देश की जनता निर्धनता की चक्की में पिसी जा रही है यदि हम उनका बोझ हल्का न कर सके तो उसके अपने भयंकर परिणाम निकलें ही गे ।

यदि लोगों के लिये व्यापक रोजगार की व्यवस्था न की गई तो सामाजिक व्यवस्था बनाये रखना ही कठिन हो जायेगा । अब द्वितीय योजना अतिरिक्त रोजगार के लिये क्या व्यवस्था करती है ? यदि इसके शत प्रतिशत लक्ष्य भी पूरा हो जायें तब भी कृषि के बाहर जितने कार्मिक हैं उन सब को नौकरी नहीं दी जा सकेगी । हमें पता है कि खेतीबाड़ी में अब भी ज्यादा ही लोग हैं । ४८०० करोड़

पर ही योजना के रहने के लिये यह देखा गया था कि रोजगार का लक्ष्य भी कम होगा । अब ४५०० करोड़ के साथ यह और भी कम हो गया है । इससे हमारी अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा । इससे बचा नहीं जा सकता । हमारे परामर्श का भी तब किसी पर कोई प्रभाव न होगा । अतः हमें कठिनाइयों के कारण अपना प्रयास कम नहीं करना चाहिये ।

हम भ्रमण करके आवश्यक संसाधनों की प्राप्ति कर सकते हैं । हां यदि हम कतिपय आंकड़ों के बारे में सोचें तो हमें कठिनाई अवश्य ही दिखाई देगी । किन्तु हमें स्थिति की वास्तविकता को समझना चाहिये । क्या हम उत्पादन तेजी से नहीं बढ़ा सकते । वास्तव में सारी बात उत्पादन बढ़ाने पर ही निर्भर करती है ।

हमें बचत भी थोड़ी अधिक करनी चाहिये । खैर अभी तक सहकारी संघों के न होने के कारण भी बचतें ज्यादा नहीं होतीं अतः हमें संस्थाजन्य बचतों के लिये भी काफी परिश्रम करना पड़ेगा । व्यक्तिगत बचत भी बढ़नी चाहिये और इसी प्रकार संस्थागत बचत भी ज्यादा बढ़नी चाहिये । हम इस संसाधन का पर्याप्त प्रयोग कर सकते हैं ।

हम कई चीजों में बचत भी कर सकते हैं जैसे निर्माण का ही प्रश्न है । हमने इस योजना में ही १००० करोड़ निर्माण के लिये रखे हैं । अब हमारा विचार है कि हम २० प्रतिशत की बचत इसी में से आसानी से कर सकते हैं । इसी प्रकार अन्य स्थलों पर भी बचत की गुंजाइश है । उनसे हमें ही तो लाभ होगा ।

मूल्यों के उतार चढ़ाव से भी बचत की भावना नहीं रही है । हम इन सब बातों का नियन्त्रण करके स्थिति को मानवानुकूल बना सकते हैं ।

दूसरा पहलू है उत्पादन । हम अपनी जनशक्ति का भी पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं । यह वस्तु बहुत ज़ाया होती है । इसका आर्थिक पहलू भी है । हम २० प्रतिशत आदमियों से कोई काम नहीं ले रहे । यदि समूची जनशक्ति का उपयोग हो तो उससे बड़ा लाभ हो सकता है । इसके लिये बड़े क्रान्तिकारी परिवर्तनों की आवश्यकता है । इसके बारे में भी कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा ।

इस के पश्चात् उन आस्तियों का भी प्रश्न है जिनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है । उदाहरण स्वरूप सिंचाई निहित तत्व की बात ही है । अब हम इस शक्ति का कुछ लाभ उठाने लगे हैं । किन्तु अभी इसमें और भी अधिक सतर्कता की आवश्यकता है ।

इसके बाद उत्पादन स्तर का सम्बन्ध है जिसका सम्बन्ध विदेशी मुद्रा से है । इस प्रश्न पर भी नवीन सतर्कता की आवश्यकता है । अब चूंकि हमारे ऊपर ऋण चढ़ रहा है अतः हमें बड़े ध्यान से इस प्रश्न पर विचार करना है । हमें औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन दोनों ही को बढ़ाना है । हमें अब से ज्यादा प्रयास करना चाहिये और ज्यादा उत्पादन करना चाहिये ।

अब यह कहा जा रहा है कि कम उत्पादन के लिये श्रमिक उत्तरदायी हैं । यह गलत विश्वास है । श्रमिकों का इस कमी के लिये कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है । यह भी गलत है कि वास्तविक वेतन से उत्पादन पीछे रहा है । यह भी सच है कि श्रमिकों के लिये और भी सम्भव है । वे ज्यादा श्रम कर सकते हैं । इससे ही आर्थिक स्थिति सुधरेगी ।

[श्री नन्दा]

यह भी दूसरी शिकायत है कि देश की जनता में उचित उत्साह का अभाव है । हो सकता है यह सच हो किन्तु यह सच नहीं है । किन्तु यह बात तो ठीक है कि जब तक देश में नैतिक समर्थन किसी चीज को प्राप्त न हो तब तक वह चीज सफल नहीं हो सकती ।

दो और चीजों का उल्लेख किया गया है अर्थात् एक तो मूल्य वृद्धि और दूसरे समाज विरोधी कार्यवाहियां । जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है हम उस पर नियन्त्रण रखने का पर्याप्त प्रयास कर ही रहे हैं ।

इसके सम्बन्ध में कई सुझाव भी हमारे पास पहुंचे हैं । खैर हमें मूल्यों पर नियन्त्रण रखने के लिये पूर्ण प्रयास करना होगा। एक सुझाव तो यह है कि अधिकतर व्यापार को ही समाज स्वतः सम्हाले । चाहे यह काम सहकारी संघों या अन्य अभिकरणों के द्वारा ही हो पर कहा जाता है होना इसी प्रकार चाहिये ताकि कीमतों पर पर्याप्त नियन्त्रण हो जाये । यदि इस दिशा में अधिक प्रयास हों तब यह भी सम्भव हो सकता है ।

अब समाज में बेईमानी भी चलती है ईमानदारी होना भी आवश्यक है । ईमानदारी के भी कई पहलू हैं । छोटी छोटी बुराइयां जैसे सामाजिक या सौदेबाजी तो होनी ही नहीं चाहिये । मैं सामाजिक व्यसनों का सीमित रूप नहीं देख रहा हूं । हम सब को मिल कर ये व्यसन समाप्त करने होंगे ।

इसके अतिरिक्त सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से हमारे देश के बहुत से लोग नीचे हैं । हमें उनकी स्थिति भी सुधारनी है । उनकी आय बढ़ानी है । अभी तक हम उन लोगों में स्वात्म-सहायता की पवित्र भावना का निर्माण नहीं कर पाये हैं । इन लोगों को अन्य सब के समान लाभ नहीं पहुंचा है ।

अब मेरी बातों से आप कहीं यह न समझ लेना कि हम कुछ भी नहीं कर रहे । हमने प्रयास किये हैं और पर्याप्त प्रगति की है । यह तो हम तब कहते हैं जब हमें यह ज्ञात होता है कि हमें क्या करना चाहिये था । किन्तु हम मानते हैं कि पहले से बहुत ज्यादा काम किया ही जा रहा है । अब हमें अपनी शक्तियों, अपने संसाधनों से पूर्ण लाभ उठाने के लिये कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे । खैर इस समय मैं सारा ब्यौरा तो न बताऊंगा किन्तु हमें बड़ी भारी कार्यवाही करनी होगी । यह क्रान्तिकारी कार्यवाही क्या होगी ? इस क्रान्ति का अर्थ यह न होगा कि पत्थर या लाठियां चलायी जायेंगी । इसका अभिप्राय है कि हमारे पास साधन हों, क्षमता और साहस हो ताकि हम पूर्णतया जनशक्ति आदि साधनों का प्रयोग करें और यथासम्भव शीघ्र प्रगति करें । यही क्रान्ति है । बस अभी तक हम इन्हीं बातों को नहीं कर पाये हैं ।

वैसे तो जिस प्रकार हमें चलना है वे सारी बातें योजना के अन्तर्गत ही दे दी गई हैं । हम सम्भवतया उस दिशा में नहीं गये । तथ्य तो स्वीकार करना पड़ता है अन्यथा ये कठिनाइयां नहीं आतीं ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने के समय सभी दलों एवं वर्गों ने इसकी सफलता की शुभ कामना की थी । मुझे विश्वास है कि कठिनाइयों की इस घड़ी में भी आगे के लिये बढ़ावा देने की दृष्टि से हम सब संगठित होकर चलेंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। माननीय सदस्य अपने स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

†**श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा):** मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री वी० क० मसानी (रांची पूर्व)** : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री उ० च० पटनायक (गंजम):** मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री संगण्णा (कोरापट—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां):** मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ४, ५, ६, ७ और ८ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री बि० दास गुप्त (पुरूलिया)** : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ९ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री नौशीर भरूचा (पूर्व खानदेश)** : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १० प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी)** : मैं स्थापनापन्न प्रस्ताव संख्या ११ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री आसर (रत्नागिरि)** : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १२ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री मोहम्मद इमाम (चितलदुर्ग)** : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १३ प्रस्तुत करता हूं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार)** : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्रीमती मंजुला देवी (ग्वालपाड़ा)** : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव १६ प्रस्तुत करती हूं।

†**श्री शि० ला० सक्सेना (महाराजगंज):** में स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १९ प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस विधेयक के लिये १० घंटे का समय है जिसमें वे १ घंटा ४७ मिनट भी शामिल हैं जो मन्त्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय ले चुके हैं यदि सदस्य अधिक समय चाहते हैं तो आज उन्हें एक घंटा अधिक बैठना होगा।

†**कई सदस्य** : हम तैयार हैं।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य): मेरे विचार से मन्त्री महोदय ने स्थिति की गम्भीरता को बहुत कम करके बताया है। वस्तुत: योजना न केवल संकटग्रस्त है अपितु उसके असफल हो जाने की आशंका है। जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अन्तिम रूपरेखा तैयार होने के पूर्व परामर्शदात्री समिति में सरकार तथा विरोधी दलों की संयुक्त मंत्रणा हुई थी। मैंने पिछले वर्ष यह सुझाव दिया था सरकार तथा विरोधी दलों के बीच समय समय पर ऐसी मन्त्रणा होनी चाहिये यद्यपि प्रधान मन्त्री सहमत ज्ञात होते थे, तथापि उनके आश्वासन को क्रियान्वित नहीं किया गया।

जुलाई १९५५ में साम्यवादी दल ने योजना आयोग को एक ज्ञापन भेजा था जिसमें उन्हें चेतावनी दी गई थी कि योजना को विश्व के पूंजीवादी बाजार से सम्बद्ध किया गया है, जो संकटग्रस्त है। अत: योजना संकटग्रस्त हो सकती है। एकाधिकार प्राप्त पूंजी की मुनाफाखोरी रोकने और कृषि सुधारों को महत्व देने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है। विदेशी पूंजी हितों तथा जमीदारों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही नहीं की जा रही है। भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी तरीके पर विकास होना बहुत कठिन है। इसलिये एक ऐसा समय आ सकता है जब सरकार को समाजवाद की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० ना० मुकर्जी]

दिशा में कठोर कदम उठाने होंगे । इसी का यह परिणाम हुआ कि खाद्य, नियोजन, वस्तुओं की कीमत तथा विदेशी मुद्रा इत्यादि के सम्बन्ध में हमारी स्थिति डांवाडोल हो गई है । खाद्य मन्त्री जो अभी जून में कुछ वर्षों पश्चात् खाद्यान्न निर्यात करने की बात कह रहे थे वे योजना के प्रथम दो वर्षों में २७८ करोड़ रुपयों का खाद्यान्न आयात कर चुके हैं और अगले वर्ष के लिये १११ करोड़ रुपये का खाद्यान्न आयात करने की व्यवस्था की गई है ।

श्री नन्दा ने यह बताया है कि पिछले वर्ष खाद्य उत्पादन ९.८ प्रतिशत कम रहा । इसका कारण मौसम इत्यादि की खराबी थी आश्चर्य की बात है कि अब भी नहरी पानी का पूरा उपयोग नहीं किया जाता है और न सरकार ने सिंचाई की छोटी योजनाओं के सम्बन्ध में निश्चित कदम ही उठाये हैं ।

लोगों को न रोजगार मिलता है, न भोजन । बेरोजगारों की संख्या भयावह रूप से बढ़ती जा रही है । नयी योजना के अनुसार अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना भी लुप्त होती जा रही है ।

सरकार लोहा, इस्पात व सीमेंट इत्यादि की कीमतें भी स्थिर नहीं रख सकी है यदि सरकार चाहती तो संविहित रूप से ऐसा कर सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया ।

जहां तक विदेशी मुद्रा का प्रश्न है श्री नन्दा ने हमें कल बताया था कि १९५८-५९ से १९६२-६३ तक हमें ऋण चुकाने के लिये १०० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष देने होंगे । हमें यह ऋण ५¹/₄ प्रतिशत ब्याज पर मिला है विश्व बैंक के ऋण पर इसके अलावा एक प्रतिशत कमीशन भी देना होता है । पूंजीवादी देशों में ऋण की दर बहुत अधिक है जबकि रूस समाजवादी देशों को २¹/₂ प्रतिशत ब्याज पर ऋण देता है । साथ ही अमेरिका से लिये ऋण के साथ कुछ ऐसी शर्तें रहती हैं कि हमें उनकी अतिरिक्त वस्तुएं अधिक दाम में खरीदनी होती हैं ।

हमारा ऋणदाता विश्व बैंक भी हमें घातक सलाह दे रहा है । उसने हमें सरकारी क्षेत्र को व्यापक न करने की सलाह दी है उसने यह भी कहा है कि हमारा देश लोक कल्याण के लिये जो कुछ कर रहा है उससे उसकी कुशलता पर कुप्रभाव पड़ेगा । उन्होंने वैज्ञानिकन करने की सलाह दी है । उन्होंने यह भी कहा है कि विषमता को दूर करने के साथ साथ तेजी से आर्थिक विकास नहीं हो सकता है । साथ ही उन्होंने तेल और खनन उद्योग से सरकार को अलग रहने की सलाह दी है यह सब तब कहा गया है जबकि भारत विश्व बैंक के निदेशकों में एक है ।

इंगलैण्ड ने हमें ४० करोड़ पौंड का ऋण दिया है । इसके सम्बन्ध में "फिनेन्सियल टायम्स" ने यह कहा है कि यह ऋण कुछ भी नहीं है क्योंकि अपने पौंड पावने से भारत प्रतिवर्ष जितनी राशि लेता है उसका यह केवल २० प्रतिशत है । उक्त पत्र का यह भी कहना है कि भारत ने विश्व बैंक को, आर्थिक नीति के ऊपर जो अधिकार दिये हैं वे यदि किसी सरकार को दिये जाते तो उनसे राज्य सत्ता में हस्तक्षेप समझा जाता । ब्रिटेन और अमेरिका के कारनामों के परिणाम स्वरूप ही स्वेज संकट पैदा हुआ और हमें २० करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी । इतने पर भी मान्ट्रीयल में हम पूंजीवादी प्रणाली की प्रशंसा कर रहे हैं और विश्व को यह दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम उनके गुट के अनुगामी हैं ।

हम अपनी योजना को लोकतन्त्रात्मक और स्वतन्त्र कहते हैं। हम कहते हैं कि लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसरों की वृद्धि होगी तथा जनता के विभिन्न वर्गों में सहयोग की भावना की वृद्धि होगी किन्तु अभी तक इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। श्री नन्दा ने यह कहा है कि समाज सेवाओं में कटौती की जायेगी। वस्तुतः हमें अपनी वास्तविक स्थिति और लक्ष्यों के सम्बन्ध में सही बात नहीं बताई गई है। दूसरी ओर ऐसी बातें हो रही हैं जिनसे ज्ञात होता है कि हम पूंजीवादी हितों पर निर्भर हैं।

भारत में विदेशी पूंजी विनियोग में वृद्धि होती जा रही है वस्तुतः यह रवैया बहुत घातक है विशेषतः जबकि हम इनके मुनाफे पर भी नियन्त्रण नहीं रख सकते हैं।

इस्पात संयंत्रों पर अनुमानित व्यय में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा ह। इस मामले पर गम्भीर विचार करना चाहिये।

विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि गैर सरकारी क्षेत्र को ४०० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा देनी है। लेकिन यह नहीं बताया गया है कि कहां से उपलब्ध होगी। इसी प्रकार श्री नन्दा ने बताया है कि प्रतिरक्षा पर हमें २२५ करोड़ रुपये अधिक व्यय करने होंगे। वस्तुतः प्रतिरक्षा सामग्री के नाम पर हमारे पूंजीवादी मित्र देश हमें पुरानी पिछड़ी हुई सामग्री व हथियार दे रहे हैं। निस्संदेह प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में जरा भी कमी नहीं की जानी चाहिये तथापि यह भी स्मरण रखना चाहिये कि देश की वास्तविक प्रतिरक्षा जनता के साहस से हो सकती है अतः जनता को संतुष्ट रखना आवश्यक है।

आन्तरिक संसाधनों का जहां तक सम्बन्ध है केवल आयकर मद में १९५७ तक १८० करोड़ रुपये बकाया राशि थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार २८७.३२ करोड़ रुपये इस मद पर बकाया थे। इसी प्रकार कर अपवंचन कर जो राशि बचाई जाती है वह तो अत्याधिक होगी। श्री देशमुख ने सभा में बताया था कि उनका विश्वास है कि अंधाधुंध रूप से आयात के लायसेंस देने पर १०० करोड़ रुपये का अपव्यय किया गया। लेकिन योजना आयोग यह सफाई पेश करता है कि इसका हमारे संसाधनों पर बहुत कम प्रभाव हुआ। योजना आयोग ने यह भी कहा है कि प्रतिनिधि दलों, इमारतों तथा इमारतों को वातानुकूलित बनाने में जो व्यय हुआ है वह बहुत कम है। प्रश्न कम या अधिक कम होने का नहीं अपितु सिद्धान्त का है। अशोक होटल में ढाई करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं और अब दिल्ली का स्टेशन बनाने के लिये ७८ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

अतः हमें अपनी दिशा बदलनी होगी। हमेशा विदेशी सहायता पर निर्भर रहना देश की स्वतंत्रता के लिये खतरा है। हमारी खाद्य समस्या उसके बिना भी हल हो सकती है। इसके लिये सर्वप्रथम हमें 'भूमि खेतीहरों की हो' वाली नीति अपनानी चाहिये तथा कृषक सहकारी समितियों या कृषक संगठनों को प्रोत्साहित करना चाहिये। दूसरे राज्य को खाद्यान्नों का व्यापार अपने हाथों में लेना चाहिये। तीसरे सरकारी, अर्द्ध सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में भारी उद्योगों का समुचित विकास किया जाय तथापि इस प्रयोजन के लिये हमें संकटग्रस्त पूंजीवादी देशों से नहीं अपितु समाजवादी देशों से सहायता लेनी चाहिये। साथ ही हमें विदेशी व्यापारियों को मुनाफे की राशि बाहर भेजने से रोकना चाहिये। करारोपण पर उचित प्रशासन होना चाहिये। कर अपवंचन तथा बकाया को रोकना चाहिये। अपेक्षाकृत धनी लोगों पर ही कर लगना चाहिये। साथ ही सरकारी क्षेत्र को खाद्यान्नों, कपास, चाय, पटसन इत्यादि के व्यापार के क्षेत्र में भी विकसित करना चाहिये।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

प्रतिरक्षा तथा असैनिक विभागों के प्रशासन में मितव्ययिता होनी चाहिये । श्रमिकों को व्यवस्था में भाग मिलना चाहिये । सोने को देश में चोरी छिपे लाये जाने से रोकने का और भारतीय मुद्रा बाहर के देशों को ले जाने से रोकने का प्रबन्ध करना चाहिये । संचित किये गये और छिपाये गये सोने को बाहर निकालने का प्रयत्न करना चाहिये ।

आयात पर उपयुक्त नियंत्रण होना चाहिये और निर्यात संवर्द्धन परिषद् के कार्य को उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । पूंजीगत माल के नाम पर ऐसी मशीनों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये जिनकी व्यावहारिक उपयोगिता बहुत कम हो । पूर्ववर्तिता का क्रम बहुत सावधानी से निश्चित करना चाहिये । अन्त में, मैं यह निवेदन करता हूं कि सबसे पहिले हमें जनता के हृदय को स्पर्श करना चाहिये और इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि सब लोग सुखी रहें ।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : माननीय मित्र श्री मुकर्जी का भाषण मैंने बहुत ध्यान से सुना । वह योजना और उसके स्वरूप को तो स्वीकार करते हैं पर उन्हें इस बात पर आपत्ति है कि हम विदेशी सहायता लें । बात तो उनकी ठीक है पर १,७०० करोड़ की विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध किस प्रकार किया जाये यह उन्होंने नहीं बताया । विदेशी सहायता यदि हम नहीं लेंगे तो हमारे सामने एक ही रास्ता है कि हम अपना निर्यात बहुत बढ़ा दें । पर उसका नतीजा यह होगा कि हमारे देश की जनता की आवश्यकतायें कैसे पूरी होंगी । लोग भूखों मरने लग जायेंगे । खैर, मैं श्री मुकर्जी की बातों का उत्तर देने में समय नहीं लगाऊंगा । मैं केवल चार बातों--विदेशी मुद्रा की समस्या, देश के भीतर के संसाधनों की समस्या, योजना का स्वरूप तथा योजना के नवीकरण की आवश्यकता--- के सम्बन्ध में कहूंगा ।

विदेशी मुद्रा की समस्या को लीजिये । आगामी वर्ष के मार्च तक हमें जो ४३५० लाख डालर की सहायता मिलने वाली है, जब कि हमारी अनुमानित आवश्यकता ३५०० लाख डालर की है, उसके लिये मैं अपने मित्र देश का आभारी हूं । पर ध्यान रहे कि ऋणों पर निर्भर रहना हमारे लिये खतरनाक सिद्ध होगा, हमारी तीसरी योजना के लिए विदेशी मुद्रा की समस्या बहुत महत्वपूर्ण हो जायेगी । अतः हमें प्रयत्न तो करते ही रहना चाहिये । मैं योजना मंत्री का ध्यान कनाडा की आर्थिक संभावनाओं के सम्बन्ध में रायल कमीशन के प्रतिवेदन की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि आगामी ५ या १० वर्षों में औद्योगिक कच्चे माल की मांग बढ़ेगी । खाद्यान्नों तथा तैयार माल के खरीद का बाजार बढ़ेगा । भारत न तो पूंजीगत माल और न छोटे उद्योगों के उत्पादन का उत्पादन कर सकता है । भारत औद्योगिक कच्चे माल, कृषि उत्पाद तथा खनिज उत्पादों का निर्यात कर सकता है । अतः इन चीजों के उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ाने के लिये हमें प्रयत्न करना चाहिये ।

मेरे मित्र श्री सोमानी मानें या न मानें पर यह सत्य है कि हमारा वस्त्र उद्योग, जो कि एक महत्वपूर्ण निर्यात उद्योग है और जो एक संरक्षण प्राप्त उद्योग है, बहुत बुरी दशा में है । अतः जब तक हम इस उद्योग की उन्नति नहीं करेंगे विदेशी मुद्रा का संकट हमारे सामने बना ही रहेगा ।

आन्तरिक संसाधनों के सम्बन्ध में भी मूल्यांकन में कहा गया है कि हमें आन्तरिक संसाधनों को बढ़ाना चाहिये । हमारा चालू राजस्व वहीं १४० से १५० करोड़ तक रहा है यद्यपि हम ने जनता

---

†मूल अंग्रेजी में

पर बहुत सारे करों का बोझ डाल दिया है । पर आयव्ययक संसाधनों के लिये हमें केवल ४५ करोड़ की प्राप्ति हो पाई है । अगले दो वर्षों में योजना के अतिरिक्त कार्यों में अनुमानतः ६०० या ८०० करोड़ का व्यय होगा । अतः जब तक आप योजना के अतिरिक्त कार्यों पर होने वाले व्यय पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तब तक आन्तरिक संसाधनों की कठिनाई आप के सामने बनी रहेगी । योजना में ८० करोड़ का व्यय कम कर देने से कोई लाभ नहीं होगा जब कि आप योजना के अतिरिक्त विकास कार्यों के व्यय को नियंत्रित नहीं करते ।

आज सरकार बहुत ऋण ले रही है । साथ ही आज मुद्रा का बाजार भी बहुत सस्ता है । बैंकों में इतना निक्षेप है जितनी देश में मुद्रा भी नहीं है । अतः हमें ऐसे अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिये ताकि हमें आयव्ययक सम्बन्धी संसाधन प्राप्त हो सकें । अतिरिक्त संसाधनों की बात भी कही गयी । योजना के निर्माताओं ने कृषकों से ९५ करोड़ का कर प्राप्त करने का अनुमान लगाया था । पर केवल ११.६ करोड़ की आय सुधार कर से हुई है । आज कृषकों की जो आर्थिक अवस्था है उसमें कृषकों से १०० करोड़ की आशा करना क्या व्यवहारिक बात है । योजना बनाने वालों ने मरम्मत आदि का जो व्यय रखा है वह बहुत कम है । इस कारण भी हमें कठिनाई हो रही है । अतः हमें मरम्मत तथा विकास कार्यों के व्यय के अनुमान सही सही बनाने चाहियें । बार-बार यही गलती नहीं होनी चाहिए ।

श्री मुकर्जी ने कर अपवंचन और सोने के तस्कर व्यापार की बात कही । इस से हमें $^{1}/_{2}$ प्रतिशत का घाटा हो रहा है । यह बहुत बड़ी राशि होगी । योजना काल में हम २ या ३ प्रतिशत की बचत करना चाहते हैं जिसमें से $^{1}/_{2}$ प्रतिशत यों ही चला जाये यह ठीक नहीं । अतः ये अनेक बातें ध्यान में रखने वाली हैं । क्या हम योजना में हमेशा ही कांटछांट करते रहेंगे ? अतः यह योजना के स्वरूप का प्रश्न है ।

मूल्यों के बढ़ जाने तथा योजना में वृद्धि करने से हमारी योजना का व्यय लगभग ५६०० करोड़ हो गया है । हम उपलब्ध संसाधनों से केवल ४२०० करोड़ की योजना पूरी कर सकते हैं । इस प्रकार २५ प्रतिशत की कमी है । खाद्यान्न जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि लक्ष्य के $^{2}/_{3}$ भाग की पूर्ति हो पायेगी । गैर-सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में योजना आयोग ने स्वयं यह बात स्वीकार की है कि मूल्य लक्ष्य का लगभग ७०-७५ प्रतिशत पूरा हो पायेगा । अतः योजना मंत्री की यह बात गलत है कि हम ८५ प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि कर लेंगे । सच पूछा जाये तो स्थिति यह है कि यदि हम पूर्ण प्रयत्न करें तो भी हम मूल्य लक्ष्य के $^{2}/_{3}$ भाग की पूर्ति कर सकेंगे ।

इस्पात, खनिज तथा उद्योगों के सम्बन्ध में गैर सरकारी क्षेत्र में जो काम हुआ है वह सरकारी क्षेत्र से कहीं अच्छा है । इस सम्बन्ध में मुझे श्री मसानी की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी, साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि सरकार को ऐसा अवसर नहीं देना चाहिये कि हमें सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कहने का मौका मिले ।

कोयले और उर्वरक के उत्पादन में हमारी सरकार ने आदर्शवादिता से काम लिया है इसी कारण उत्पादन में कमी रही है । आदर्शवादिता को महत्व देने का अर्थ यह नहीं कि हम उत्पादन को धक्का पहुंचायें । या तो आप गैर-सरकारी क्षेत्र को आगे बढ़ने दें या स्वयं आगे बढ़ें । यह बुरी बात है कि आप गैर-सरकारी क्षेत्र को आगे नहीं बढ़ने देते और न ही आप खुद आगे बढ़ते हैं । आज हमारी सरकार के सामने सब से बड़ा संकट इस बात का है कि वह कोई बात निश्चित ही नहीं कर पाती । हमारी योजना उद्योगों के प्रति काफी सावधान है । परिवहन तथा संचार पर हम कुल योजना

[श्री अशोक मेहता]

का ४७ प्रतिशत व्यय कर रहे हैं पर सामाजिक सेवाओं पर हम बहुत कम व्यय कर रहे हैं। अविकासकारी व्ययों को जब तक हम कम नहीं करेंगे तब तक हमारे आन्तरिक संसाधनों में कोई दृढ़ता नहीं आ सकती। माननीय मंत्री ने हमें बताया कि निर्माण-कार्यों के व्यय में हम कमी कर रहे हैं। यह एक अच्छी बात होगी। इस समय हम निर्माण कार्यों पर १००० से १२०० करोड़ रु० तक व्यय कर रहे हैं पर उसके बदले में आय कर के रूप में हमें कितना धन मिल रहा हैं ?

खाद्यान्नों के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं। शहरी क्षेत्रों में लगभग ४० से ५० लाख टन गल्ला बिक रहा है। आप विचार करें कि इस से जो लाभ हो रहा है वह किसके पास जा रहा है। यदि लाभ सरकार के पास आये तो मूल्यों की कमी में कुछ रुकावट हो। अतः माननीय से निवेदन है कि वह सारी स्थिति की छानबीन करायें।

औद्योगिक उन्नति में हमारा जो ह्रास हुआ है उसके सम्बन्ध में श्री मुकर्जी की बात से मैं सहमत हूं। १९५७ में इस सम्बन्ध में केवल ३.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि इसके पहले के दो वर्षों में ८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्पष्ट है कि हम अवनति कर रहे हैं और रिजर्व बैंक भी इस बात से सहमत है। क्या हमें इसी तरह प्रतिगामी बनना है। यदि हम अपना पुराना रवैया नहीं छोड़ेंगे तो हम कदापि उन्नति नहीं कर सकते। उद्योगों के सम्बन्ध में कई प्रकार के सुझाव दिये गये पर मेरा अनुरोध है कि भारी उद्योग बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। अतः हमें इस उद्योग की अवहेलना नहीं करनी चाहिए।

सारी बात यह है कि हमें भारी उद्योग को आगे बढ़ाना है या उसे पीछे गिरने देना है। क्या हम उन्हीं उद्योगों पर सारी शक्ति लगायेंगे जिन से तुरन्त लाभ होने की आशा है ? अतः मैं सभा से निवेदन करूंगा कि हम इस बात पर अच्छी प्रकार विचार कर लेना चाहिए।

†श्री त्यागी (देहरादून) : योजना मंत्री के कथनानुसार भुगतान संतुलन का घाटा मूलतः ११०० करोड़ था पर अब वह १९८० करोड़ हो गया है। अतः व्यय के सम्बन्ध में हमें काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पहले तो संसद की स्थायी वित्त समिति थी पर अब वह भी नहीं है अतः अब अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वेतनों की वृद्धि काफी हो गयी है। १९५६-५७ में यह व्यय ४१६ करोड़ था पर १९५८-५९ में यह ५१८ करोड़ है। सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि वेतनों की वृद्धि हमारी उन्नति के अनुपात से ही हो।

हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में निर्माण व्यय बहुत रखा गया है। परियोजना आयोजन समिति ने सिफारिश की थी कि अनावश्यक भवनों का निर्माण फिलहाल बन्द कर दिया जाये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है। दूसरी समस्या जनसंख्या की वृद्धि की है। परिवार आयोजन की बातें की जाती हैं पर उसमें कोई ठोस काम नहीं किया जाता है। अतः मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में कोई ठोस काम किया जाना आवश्यक है। कानून द्वारा यह काम नहीं होगा बल्कि प्रचार द्वारा यह काम किया जाना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं मुख्य समस्या को अर्थात् किसानों की समस्या को लेता हूं। उनकी हालत बहुत खराब है। सरकार ने ३० एकड़ भूमि और ३०० रु० मासिक आय की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी। इससे किसानों की रीढ़ टूट गयी है। वे अपने बच्चों को शिक्षा भी नहीं दिला सकते न अपने लिये पक्का मकान ही बनवा सकते हैं। मैं मानता हूं कि व्यक्तिगत पूंजीवाद बुरा है और उसे रोका जाना चाहिये पर सहकारी खेती की प्रणाली को तो प्रोत्साहन दिया जा सकता है। श्री विनोबा भावे के भूदान आन्दोलन की मैं प्रशंसा करता हूं पर बजाय इसके कि भूमिहीन किसानों को अलग अलग भूमि दी जाये अच्छा यह होगा कि भूमि सहकारी फार्मों को दी जाये इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और सब को अधिक से अधिक लाभ होगा। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न की कृषि कम हो रही है। और नकद फसल की खेती बढ़ रही है। इसका साफ कारण है कि नकद फसल में अधिक आय मिलती है। अतः यदि हम चाहते हैं कि खाद्यान्नों की खेती बढ़े तो किसानों को कुछ प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है। वह प्रोत्साहन नकद सहायता के रूप में या उर्वरक के रूप में या अन्य किसी रूप में दिया जा सकता है।

मूल्य की न्यूनतम सीमा १०, १२ या १४ रुपये निर्धारित की गयी है। यह बात हास्यास्पद है। खुले बाजार में वे गेहूं २६, २७ या २८ रु० मन बेचते हैं और आप १६ रुपये या १५॥ रु० मन पर गल्ला वसूल करते हैं। क्या यही प्रोत्साहन आप देना चाहते हैं। खाद्य के सम्बन्ध में जो योजना है वह भी त्रुटिपूर्ण है। हम अपना लक्ष्य भी बार-बार बदलते रहते हैं। गत दो वर्षों में ४२·१ लाख टन की आशा थी पर ३६·२ लाख टन का उत्पादन हुआ। ५·९ लाख का घाटा हुआ।

अधिक अन्न उपजाओ विभाग ने जो कुछ भी किया उसके लिए हम उसे बधाई देते हैं। पर सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों का कार्य सफल नहीं रहा है। सरकार को इन की ओर भी ध्यान देना चाहिए। बीज गोदामों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि अधिक बीज गोदाम खोलना आवश्यक नहीं है। आवश्यक यह है कि एक विशेष बीज गोदाम में एक विशेष प्रकार के बीज दिये जायें और कुछ निकटवर्ती क्षेत्रों में उसी की खेती हो।

उर्वरकों के संभरण में भी बड़ी त्रुटि है। गत वर्ष १३·४ लाख टन उर्वरक की मांग थी। सरकार केवल १०·३ लाख टन का संभरण कर सकी। इस वर्ष १५·२ लाख टन की मांग है और मैं समझता हूं कि सरकार केवल ८·४ लाख टन का सम्भरण कर पायेगी। इस्पात की भी यही स्थिति है। अतः माननीय मंत्री इन सब बातों की ओर ध्यान दें।

ट्रैक्टरों की बात लीजिये। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण हम ट्रैक्टरों का आयात नहीं कर रहे हैं। केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन भी बन्द किया जाने वाला है। किसी जापानी सार्थ के सहयोग से ट्रैक्टर बनाने की एक संस्था स्थापित की जा रही है। यह काम युद्धास्त्र कारखाने की सहायता से होगा। मेरा विचार है कि यह काम किसी मंत्रालय के अधीन कर दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता।

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम) : मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहीं से ऋण प्राप्त होने पर खुशियां मनाने लगते हैं। मैं समझता हूं हमें विदेशी सरकारों के सामने हाथ फैलाने के स्थान पर अपने देश में उन लोगों की शक्तियों का उपयोग करना चाहिये जोकि बेकार पड़े रहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमें विदेशों से १७५ करोड़ रुपये के लगभग ऋण प्राप्त हुआ है। यह बात अच्छी है। मगर अभी श्री त्यागी जी ने बताया है कि हमें एक ही कारोबार में उससे कहीं ज्यादा नुक्सान हुआ है। यह बात बड़ी विचारणीय है।

योजना मंत्री ने बेकारी का निर्देश करते हुए कहा है कि अगर कुछ ही वर्षों में इस दशा में सुधार न हुआ तो हमारी शान्ति में गड़बड़ी पैदा हो सकती है। उन्होंने संसद् सदस्यों को इसको दूर करने के लिये एक क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिये कहा है। मैं समझता हूं मंत्री महोदय को पहले सरकारी मशीनरी में ऐसी कान्ति पैदा करने की कोशिश करनी चाहिये ताकि सरकार में दक्षता आ सके। यदि वे ऐसा कर सकेंगे तो फिर वित्त मंत्री को विदेशों में हाथ फैलाने के लिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।

त्यागी जी ने कहा है कि हम अपने देश की उर्वरकों की मांग भी नहीं पूरी कर पा रहे हैं। मैं भी यही समझता हूं कि अगर हम केवल हरी खाद तथा गोबर आदि की खाद तैयार करने और उसका प्रचार बढ़ाने की ओर उचित ध्यान दें तो हम केवल इसी से १७५ करोड़ रुपये की बचत कर सकते हैं।

योजना मंत्री ने यह कहा है कि हम देश में सहकारी संस्थायें, विकास समितियां आदि अनेक संस्थायें बना रहे हैं। मेरा यह मत है कि ये संस्थायें हमारे देश में अब तक उचित नैतिक वातावरण नहीं बना पाई हैं। इसके विपरीत इन संस्थाओं के कारण देश का नैतिक स्तर काफी सीमा तक और भी गिर गया है।

हमारी योजना में मवेशी समस्या की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। आज भी हम विदेशों से ८ या ९ करोड़ रुपये का मिल्क पाउडर तथा डिब्बों में जमा हुआ दूध मंगवा रहे हैं। यदि सरकार इस ओर उचित ध्यान देती तो हम इतनी राशि की बचत कर सकते थे।

हम गांवों में कुटीर उद्योगों के बारे में लम्बी चौड़ी बातें बनाते हैं। किन्तु गांवों में इनके नाम पर कातने और कुछ अन्य धन्धों को छोड़ आज तक कोई महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग नहीं स्थापित किया गया है। हमारे देश के गांवों में पशुपालन सबसे बड़ा तथा लाभदायक कुटीर उद्योग सिद्ध हो सकता है। सरकार ने आज तक इसके लिये क्या किया है? हम आज तक गांवों की असली जरूरियात को नहीं समझ पाये। लम्बे-लम्बे भाषणों की बजाये हमें अधिक व्यवहारिक बनने का प्रयास करना चाहिये। हमारी सारी अर्थ व्यवस्था का आधारस्तम्भ कृषि है। हमारा देश एक कृषिप्रधान देश है। यदि कृषि व्यवस्था विफल हो गई तो हमारी सारी योजनायें धरी धराई रह जायेंगी।

द्वितीय योजना को बनाते समय बड़े-बड़े दिग्गज आचार्यों ने यह कहा था कि प्रथम योजना में हमारे देश में विकास कार्यों में काफी प्रगति हो गई है और अब उस के कारण कृषि उत्पादन में अपने आप वृद्धि हो जायेगी। मगर हुआ क्या? अब जब लोगों के सामने सच्ची स्थिति आई तो उन्हों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि किसान लोग उपलब्ध सुविधाओं का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा सके हैं इसलिये उत्पादन नहीं बढ़ सका। मैं कहता हूं कि यह बात सर्वथा ग़ल्त है। सचाई यह है कि उन्हें कभी उन साधनों का उपयोग करने का अवसर ही नहीं दिया गया है।

वस्तुस्थिति यों है । प्रथम योजना के अन्त में यह दावा किया गया है हम ८३ लाख एकड़ अधिक भूमि में सिंचाई की अतिरिक्त सुविधायें दे सकेंगे । किन्तु वास्तव में सरकार केवल ४० लाख एकड़ भूमि के लिये ही सिंचाई की सुविधा दे सकी है । यदि हम अपने उद्देश्य में विश्वास रखते हैं तो हमें लोगों के सामने सही स्थिति रखनी चाहिये ।

खाद्यान्नों की भी यही स्थिति है । १९५६ में सरकार ने देखा कि खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं । तब उसे उत्पादन बढ़ाने की चिन्ता हुई। उस ने १०० लाख टन खाद्यान्न उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया । बाद में उसे बढ़ा कर १६३ लाख टन कर दिया गया । किन्तु खाद्य मंत्रालय ने उसे घटा कर १५५ लाख टन कर दिया । इस तरह सरकार को आज भी नहीं पता लग रहा है कि क्या किसान सिंचाई के साधनों का पूरा फायदा उठा पा रहे हैं अथवा नहीं ? योजना आयोग ने कई समितियां नियुक्त कीं किन्तु आज तक नहीं पता चल पाया कि इस सब का कसूर किस पर है ? चाहे किसी की भी गलती या कसूर हो हमें इस गल्ती को सुधारने का तुरन्त प्रयास करना चाहिये ।

हम अपने देश में प्रति एकड़ पीछे केवल .८६ पौंड खाद का प्रयोग करते हैं । यदि हम प्रति खेत में १ टन खाद और डाल दें तब उस में २ टन और अनाज पैदा हो सकता है । इस प्रकार यदि हम आज २० लाख टन रासायनिक खाद का आयात कर लें तो हम ४० लाख टन अधिक अनाज पैदा कर सकते हैं । हमारे देश को आज कुल ४० लाख टन नाइट्रोजन की आवश्यकता है यदि हम विदेशों से अन्न मंगाने की बजाये यह खाद मंगवा लें तो हमारा खाद्यान्नों पर व्यर्थ में व्यय होने वाला रुपया बच सकता है ।

हमारे क्षेत्र में सोन घाटी परियोजना के अन्तर्गत कई योजनायें शुरू की गई हैं । इन से पहले हमें उस क्षेत्र में नलकूपों से पानी मिलता था । जब से इन योजनाओं की चर्चा चली है नलकूपों से मिलने वाले सिंचाई के पानी की दरें लगातार बढ़ती जा रही हैं । लगातार आन्दोलनों के कारण अभी हाल ही में ये दरें कुछ कम हुई थीं मगर फिर यह कहकर कि सोन नदी पर एक बांध बनाने तथा देहरी-आन-सोन पर एक रेल तथा सड़क का मिला-जुला पुल बनाने के कारण ये दरें फिर बढ़ा दी गई हैं । इस प्रकार जहां एक ओर इन दरों को शतप्रतिशत बढ़ाया जा चुका है अब दूसरी ओर यह सुनने में आया है कि योजना आयोग सोन नदी पर बांध बनाने का काम बन्द करने जा रहा है । यह कहां का इंसाफ है ? मेरा निवेदन है कि आयोग को इस बांध का काम कतई बन्द नहीं करवाना चाहिये तथा इसके अलावा उस इलाके में गंडक नदी पर एक और बांध बांधना चाहिये । ऐसा करने से १७ लाख एकड़ भूमि में आसानीं से सिंचाई हो सकती है ।

†**श्री मी० रू० मसानी** : उपाध्यक्ष महोदय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रभावों का विश्लेषण करने वाले जो दो प्रलेख सभा के सम्मुख प्रस्तुत किये गये हैं वे दोनों हमें वास्तविक स्थिति का ठीक-ठीक ज्ञान कराते हैं । मैं उन दोनों में प्रतिपादित व्यापक सिद्धान्तों से पूर्णतया सहमत हूं । माननीय मंत्री महोदय ने सभा के सामने जिस सचाई तथा निर्भीकता से सारी स्थिति रखी है इसके लिये मैं उन की सराहना करता हूं ।

इन प्रलेखों में नौ बातों का उल्लेख किया गया है । वे बातें ये हैं । घाटे की अर्थ व्यवस्था, जिस-से कि मुद्रास्फीति का दबाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है ; थोक मूल्यों तथा जीवन निर्वाह व्यय में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मी० रू० मसानी]

वृद्धि ; लोगों के रहने-सहने के स्तर का लगातार नीचा बना रहना तथा मध्यम वर्ग के रहने सहने के स्तर में विशेष कठिनाइयों का उत्पन्न होना ; कृषि उत्पादन में कमी ; औद्योगिक उत्पादन की गति में धीमापन आ जाना और औद्योगिक उत्पादन का गिरना ; विदेशी साख का कम होना ; देश के भविष्य को बन्धकों के बन्धनों में डालना और पिछले दो या तीन वर्षों से अत्यधिक कर लगाना ।

योजना के लक्ष्य निर्धारित करते समय यह कहा गया था कि केन्द्र केवल २२५ करोड़ रुपये के और कर लगा सकेगा । इससे अधिक कर लगाने से सारी अर्थ व्यवस्था में असन्तुलन पैदा होने का खतरा है । मगर हुआ क्या ? आज तक केन्द्रीय सरकार ७२५ करोड़ रुपये के और कर लगा चुकी है । निर्धारित सीमा से ५०० करोड़ रुपये अधिक । और इस पर मंत्री महोदय ने यह बताया है कि इन करों से योजना को कोई लाभ नहीं पहुंचा है । मानो योजना की दृष्टि से यह कर कभी लगाये ही नहीं गये । उन का कहना है कि इस राशि का लगभग आधा भाग योजना-वाह्य[1] तथा विकासेतर[2] कार्यों पर लग गया है । इस में से आधा भाग प्रतिरक्षा में चला गया तथा आधा असैनिक व्यय में । हम लोगों से योजना के नाम पर रुपया मांगते हैं और उसे प्रतिरक्षा तथा दैनिक प्रशासकीय कार्यों पर अपव्यय कर देते हैं । क्या यह जनता को धोखा देना नहीं है ?

जनता का धन बड़ी बेरहमी से पानी की तरह बहाया जा रहा है । उदाहरण के लिये हाल ही में जेनेवा में हुई 'एटम फार पीस' कान्फरेंस में यहां से ४७ लोग भेजे गये । उन में अनेक ऐसे लोग थे जोकि वैज्ञानिक नहीं थे । उनके साथ एक एकाउण्टेन्ट तक को भेजा गया । क्या यह फिजूलखर्ची नहीं है ? क्या हम पांच या सात व्यक्ति नहीं भेज सकते थे ?

दोनों प्रतिवेदनों द्वारा हमारे सम्मुख जो चित्र प्रस्तुत किया गया है वह बड़ा खेदजनक चित्र है । जहां तक योजना की उपलब्धियों का प्रश्न है उन का चित्रण बड़ा यथार्थ है । किन्तु जब उन के भविष्य की ओर मुड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम ने अपनी गल्तियों से कुछ नहीं सीखा है? वहां पर हमें यथार्थ का अंशमात्र भी दिखाई नहीं देता । ऐसा विदित होता है कि कोई दिमागी विचारधारा योजना आयोग को ठीक निर्णय पर पहुंचने से मजबूर कर रही है । ऐसा मालूम पड़ता है कि योजना आयोग के मन में कोई आन्तरिक संघर्ष चल रहा है । एक स्थान पर वह कहता है कि "पिछले चार महीनों में बहुत कम धन राशि प्राप्त हुई है" और फिर उसी सांस में बिना कोई कारण बताये यह कहता है "मगर यह आशा है कि अगले महीनों में स्थिति काफी सुधर जाने की आशा है ।" मेरी समझ में नहीं आता कि योजना आयोग किस आधार पर ऐसी आशायें लगाता है ? वह यथार्थ की अवहेलना कर के क्यों व्यर्थ आशायें लगाये जा रहा है ? योजना आयोग यह जानते हुए भी कि कुछ नीतियां गल्त सिद्ध हो रही हैं उन्हें नीतियों का अनुसरण किये जा रहा है और इसपर यह आशा बांध रहा है कि वह अवश्य किसी न किसी दिन किसी जादू की भांति अपने आप फलदायिनी सिद्ध हो जायेंगी ।

आप योजना के ढांचे को ही लीजिये । इसमें ४,८०० करोड़ रुपये व्यय करने का उपबन्ध किया गया था किन्तु दो साल के बाद आज पता चला कि हम अधिक से अधिक ४,२६० करोड़ रुपये

[1]Non-Plan.
[2]Non-Development

ही व्यय कर सकते हैं। योजना मंत्री इस बात को स्वीकार कर के राष्ट्रीय विकास परिषद् में गये। वहां पर उन पर राजनीतिक दबाव पड़ा। तब वह यथार्थ स्थिति को भूल गये और उन्होंने ४,५०० करोड़ रुपया व्यय करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने वहां पर इस बात का ज़रा भी ध्यान नहीं किया कि २४० करोड़ रुपया कहां से आयेगा ? योजना आयोग इससे भी दो कदम आगे बढ़ गया। उसने यह तर्क देकर कि कुछ ऐसे व्यय हैं जिनको हम किसी भी प्रकार से नहीं टाल सकते उद्योग तथा खानों पर १५० करोड़ रुपया और व्यय करने का निश्चय कर लिया है। इस प्रकार कुल मिला कर ३९० करोड़ रुपया ऐसा है जिसके बारे में कुछ नहीं पता कि वह कहां से आयेगा ? इस अन्तर को १०० करोड़ रुपये के अतिरिक्त करों द्वारा पूरा करने का संकेत किया गया है। परन्तु पता नहीं यह कर कहां से वसूल किये जायेंगे। योजना आयोग शायद अब भी समझ रहा है कि लोगों से जितने चाहें कर वसूल किये जा सकते हैं। शायद उसे इस बात का कोई ध्यान नहीं कि अगर बचत करने के लिये कोई प्रलोभन नहीं रहेगा तो लोग बचत करना छोड़ देंगे। इस प्रकार जब लोग बचत करना छोड़ देंगे तब आप कीमतों को कैसे स्थिर रख सकेंगे ? योजना आयोग ऐसी पूर्वधारणाओं पर चल रहा है जोकि कभी भी व्यवहारिक नहीं मानी जा सकतीं। उन की नीति यह है क्योंकि हम ऐसी कल्पनायें कर रहे हैं इसलिये आप को भी ऐसा यकीन करना चाहिये। हमारी योजना का संसार कोरी कल्पना का शेख चिल्ली का संसार बना हुआ है। यह ही कारण है कि हमारे लक्ष्य कभी यथार्थ की कसौटी पर पूरे नहीं उतरते।

हमारा देश आज विध्वंस के तट पर खड़ा है। यदि हमें इतने बड़े पैमाने पर विदेशी सहायता न मिली होती तो कौन जानता है कि हमारी अर्थ व्यवस्था की क्या दशा होती ? हमें ब्रिटेन, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, जापान आदि देशों का आभारी होना चाहिये जिन्होंने कि ऐसे कठिन समय में हमें सहायता दी है। और इन देशों ने हमें किसी दबाव या शर्त के बिना सहायता दी है। कई देश हमारी नीतियों से सहमत नहीं हैं फिर भी उन्होंने हमें सहायता दी है। ये सब बात बड़े गौर करने की बातें हैं। अब हम तीसरी योजना बनाने जा रहे हैं। उसमें भी हम विदेशों से सहायता प्राप्त करने की आशा करते हैं। उसके लिये हमें इन देशों को दिखाना पड़ेगा कि हमने उनके दिये हुए पहले धन का कितनी सावधानी से तथा कितने अच्छे प्रकार से उपयोग किया है। हमें उनके मतों में अपनी आर्थिक व्यवस्था की सुदृढ़ता के बारे में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं उत्पन्न होने देनी चाहिये। इसके लिये जरूरी है कि हम अपनी सारी आर्थिक नीतियों पर फिर से ग़ौर करें। हम देखें कि हमने कहां-कहां पर गल्तियां की हैं। उन गल्तियों को कैसे सुधारा जा सकता है, आदि ?

इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर योजना आयोग को सबसे पहले यह सोचना चाहिये कि अगली योजना का सबसे पहला कदम यह होना चाहिये कि पहली दो योजनाओं के कार्यों को सबसे पहले फलीभूत होने दिया जाय तथा उनके पूरा करने के लिये सबसे पहले उपबन्ध किया जाय ताकि लोग इस समय लगाई जा रही पूंजी के फलों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकें।

हमें केवल भावी पीढ़ियों की ही चिन्ता नहीं करनी चाहिये। हमारा वर्तमान पीढ़ी के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। हमें वर्तमान पीढ़ी के लोगों का बलिदान करके देश की तरक्की करने की योजनायें नहीं बनानी चाहियें। हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या आज जो लोग जीवित हैं उन्हें पर्याप्त भोजन तथा वस्त्र मिल रहे हैं अथवा नहीं ?

[श्री मी० रू० मसानी]

श्रीमान्, योजना के फलों को संगृहीत करने का यह अभिप्राय नहीं कि हम चुपचाप हाथ पर हाथ रख कर बैठ जायें। इस का यह अभिप्राय है कि लोगों को इस काबिल बना दिया जाय कि वे तृतीय योजना में आज कल से भी अधिक कठोर परिश्रम कर सकें। इसका यह अभिप्राय है कि आज विभिन्न कार्यों में लगाई जा रही पूंजी को वास्तविक पदार्थों के रूप में बदला जा सके और उन पदार्थों को लोगों में बांटा जा सके जिससे उन्हें पता लग सके कि हमारे पहली कुर्बानी तथा मेहनत का क्या फल हुआ है और वे और भी दुगने उत्साह से उससे भी ज्यादा कुर्बानी और मेहनत करने के लिये तैयार हो सकें। हमें आज की पूंजी को इन रूपों में बदलना चाहिये जिनका कि जन-साधारण तथा देश की कृषक जनता दैनिक जीवन में उपयोग कर सके।

अब हमें यह सोचना है कि क्या हम इस प्रकार का संग्रहण करना चाहेंगे या वैसे ही अस्पष्ट नीतियां लेकर यथार्थ की कोई चिन्ता न करके अंधाधुन्ध आगे बढ़ने की रट लगाते जायेंगे ? अब अगली योजना के लिये हमारे पास कोई पौंड पावना नहीं बचा है। अब हमें और डालर प्राप्त करने की भी अधिक आशा नहीं करनी चाहिये। क्योंकि १९६० से हमें पहले कर्ज़ चुकाने पड़ेंगे। इस-लिये यह बड़ा आवश्यक है कि तीसरी योजना बनाने से पहले हम पहली दो योजनाओं के फलों को देखें कि वे वास्तव में क्या हैं ?

अब मैं अपने संकल्प के दूसरे भाग को लेता हूं। इस में इस बात पर बल दिया गया है कि अगली योजना में कृषि को प्राथमिकता दी जाय तथा उसका उत्पादन बढ़ाने पर अधिक बल दिया जाय। जब तक लोगों को खाने को नहीं मिलता तब तक देश में किसी भी प्रकार की औद्योगिक क्रान्ति नहीं हो सकती। कृषि पदार्थों का उत्पादन बढ़ जाने से हम दूसरे देशों को अपने निर्यात बढ़ा सकते हैं। इसलिये जब तक हम भूमि से अधिक उत्पादन नहीं करेंगे तब तक हम सही मानों में किसी वस्तु का निर्यात नहीं कर सकते। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन आवश्यकताओं की बुरी तरह अपेक्षा की गई है। हम तीन इस्पात कारखानों की बजाय दो कारखाने बना सकते थे। मगर किसी ने कृषि की ओर ध्यान देने का कष्ट नहीं किया। मैंने कल के अमृत बाज़ार पत्रिका में यह पढ़ा है कि शायद अमेरिका के साथ भारत में चौथा इस्पात का कारखाना खोलने की बातचीत चलाई जा रही है। यदि यह खबर सच है तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस बातचीत को तुरन्त बन्द करवा दें। भारत के मूक किसान पहले ही इस्पात कारखानों के लिये जरूरत से ज्यादा कुर्बानी दे चुके हैं। अब हमें उनकी शोचनीय दशा की ओर ध्यान देना चाहिये।

हमारे संकल्प के तीसरे भाग का यह आशय है कि देश के सभी लोगों को आगे बढ़ने का साहस करन का पूरा अवसर दिया जाना चाहिये। अगर हम देश का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें किसानों को उनका उचित भाग देने का पूरा ध्यान रखना चाहिये। उत्पादन केवल अधिक मशीनों के आयात से या अधिक लोगों को काम पर लगा देने से नहीं बढ़ जाता। बढ़े हुए उत्पादन का यह अर्थ है कि उसमें प्रत्येक व्यक्ति को काम करने में प्रेरणा मिलती रहे। यदि हम लोगों से यह प्रेरणा या प्रलोभन छीन लेंगे तब कभी भी हमारा उत्पादन नहीं बढ़ सकता। हमें किसानों को उनके परि-श्रम का पूरा फल दिलाने का ध्यान रखना चाहिये। आज तक हम कृत्रिम तरीकों से कृषि पदार्थों की कीमतें नीचे रख कर किसान के साथ अन्याय करते रहे हैं। शताब्दियों से किसानों का शोषण होता रहा है और यह शोषण अब तक भी जारी है। हमें अपने देश के किसानों के साथ पूरा न्याय करने का ध्यान करना चाहिये।

मैं खेती की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के विरुद्ध हूं क्योंकि यह केवल कृत्रिम आधार पर निश्चित की जा रही है । जब तक हम अन्य क्षेत्रों में अधिकतम सीमायें नहीं निर्धारित करते हमें किसानों को इस प्रकार की कृत्रिम सीमाओं द्वारा गरीब बनाये रखने का कोई अधिकार नहीं है । इससे गांवों के लोगों का रहन-सहन का स्तर और भी नीचे गिर जायेगा ।

हमने उद्योगों पर भारी कर लगा रखे हैं । उन पर कई प्रकार के नियंत्रण हैं । कई उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बातें उठाई जाती हैं । इस सब का उद्योगों पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता । आप कोयला उद्योग को ही लीजिये । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २२० लाख टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । इसमें से १२० लाख टन कोयला सरकारी उद्योगों को पैदा करना था । किन्तु वे उद्योग अपना निर्धारित कोटा नहीं पैदा कर पाये जबकि प्राईवेट उद्योग ने अपने कोटा से कहीं अधिक उत्पन्न कर दिया है । इसे हम देश का दुर्भाग्य समझें या अहोभाग्य ? मैं समझता हूं अगली योजना में अधिक यथार्थपूर्ण रवैया अपनाया जाना चाहिये । हमें ग़ैर-सरकारी उद्योगों को अधिक प्रयोग करने का अवसर देना चाहिये ।

योजना का यह तात्पर्य नहीं कि हम लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर हंफा दें । हम लोगों की प्राण-दायिनी शक्ति का ह्रास कर दें । प्रजातांत्रिक आयोजन का यह तात्पर्य नहीं कि हम आर्थिक विकास के नाम पर लोगों को और भी निर्धन बना दें । इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम केवल दीर्घकाल में ही प्रगति कर सकते हैं । हमें प्रगति के लिये शीघ्रता नहीं मचानी चाहिये । हमें भावी पीढ़ियों की अपेक्षा वर्तमान पीढ़ी के प्रति अपनी उत्तरदायित्व को अधिक अच्छी तरह से समझना चाहिये ।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव पर बोल चुके हैं उन्होंने योजना के मूल्यांकन के बारे में बड़े महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये हैं । सभी सदस्यों ने आगामी कुछ वर्षों में जो हमारे प्रयत्न होने चाहियें उनका विशेष रूप से ज़िक्र किया है ।

प्रथम योजना को युद्ध के बाद की विकास योजनाओं का समन्वय कहा जा सकता है परन्तु द्वितीय योजना के बारे में हम ऐसा नहीं सोच सकते । योजना को संसद् की दोनों सभाओं का जो सामान्य समर्थन मिला है उसे देखकर कहा जा सकता है कि आयोजकों ने द्वितीय योजना में जो कुछ किया वह ठीक ही किया । मैं यह कह सकता हूं कि योजना के प्रारम्भ में कुछ माननीय सदस्यों ने सावधानी बरतने के बारे में जो थोड़ी सी चेतावनी दी थी, उसको ध्यान में नहीं रखा गया है । आज जो हमारी परिस्थिति है उसको देखते हुए यह जरूरी था और है कि मन्त्रालय अतिसंयम से काम लें । मैं लगभग पांच वर्षों से यहां हूं परन्तु मुझे पांच वर्ष पहले के तथा आज के वातावरण में कोई अन्तर नज़र नहीं आता है ।

मैंने अपनी आज की स्थिति तथा ब्रिटेन की युद्ध के बाद की स्थिति की तुलना की है । जब सरस्ट्रेफोर्ड क्रिप्स के सामने इसी प्रकार की कठिनाई आई थी तब उन्होंने ब्रिटेन की समस्त जनता से सहायता की याचना की थी और जनता ने अतिसंयम से काम लिया था क्योंकि जनता का विचार था कि जो कुछ किया जा रहा है वह उनकी भलाई के लिए किया जा रहा है । इसी भावना के आधार पर वह राष्ट्र अपनी अर्थ-व्यवस्था का पुनर्निर्माण कर पाया था । मैं पूछता हूं कि क्या हमारे देश में भी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दासप्पा]

ऐसा किया जा रहा है । मैं बताना चाहता हूं हमें देश में उसी प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए अन्यथा हमारी योजनाओं का सफल होना बड़ा सन्देहपूर्ण है ।

जैसा कि श्री अशोक मेहता, श्री त्यागी तथा अन्य सदस्यों ने बताया हमारी अर्थ व्यवस्था का सार कृषि है । मैं इससे सहमत हूं । यह बड़े ही खेद की बात है कि देश में कृषि उत्पादों का अभाव हो और हमें खाद्यान्नों का आयात करना पड़े । हमें सिद्धान्तों को छोड़कर व्यावहारिक रूप से कृषि उत्पादों की उपज बढ़ाने की समस्या पर ध्यान देना चाहिए ।

सबसे पहले हमें परियोजनाओं के पानी का पूरा उपयोग उठाना चाहिए । दूसरे छोटी सिंचाई योजनायें बनानी चाहिएं । पुराने मैसूर राज्य में २६,००० तालाब थे जिनका कोई उपयोग नहीं उठाया जा रहा है । मेरा सुझाव है कि इनकी मरम्मत कराके छोटी योजनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे अधिक एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सके ।

दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ वित्त है । अमेरिका, इंगलैण्ड, स्कैंडिनेविया में कृषि मंत्रालय एक बहुत बड़ा मन्त्रालय है । ये मन्त्रालय बड़ी योग्यता से काम करते हैं । अमेरिका में इसने खाद्यान्नों के मूल्य स्थिर किए हैं तथा देश के किसानों के हितों की रक्षा पर ध्यान दिया है । मैं समझता हूं भारत में किसानों की स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । मुझे पता लगा कि रिज़र्व बैंक उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को सहकारी समितियों के द्वारा ऋण दे रहा था परन्तु आयोजकों ने बैंक से कहा कि आप बड़ी समितियों को ऋण न दें, प्रारम्भिक समितियों की सहायता आप कर सकते हैं । मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ । रिज़र्व बैंक के लिए यह बड़ा कठिन है कि छोटी-छोटी हज़ारों समितियों से सम्पर्क स्थापित करें । ठीक तो यह होता कि प्रत्येक राज्य में एक बड़ी समिति से रिज़र्व बैंक का सम्पर्क होता और यह बड़ी समिति छोटी समितियों से सम्पर्क स्थापित करती । मैं आशा करता हूं कि योजना आयोग तथा सरकार मेरी इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे ।

उद्योगों के सम्बन्ध में, मैं श्री मी० रू० मसानी के इस विचार से सहमत हूं कि भविष्य में हमें भारी उद्योगों की स्थापना न करके, जो उद्योग स्थापित हो चुके हैं उनका समन्वय करना चाहिए । आयोजकों का जो विचार चौथा इस्पात संयंत्र बनाने का है उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई योजना द्वितीय योजना काल में प्रारम्भ न करें, अपितु सिंचाई सुविधाओं, उर्वरकों परिवहन आदि के बारे में सोचें और विचार करें जिससे देश की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ।

योजना आयोग ने बड़ी-बड़ी परियोजनायें बनाई हैं परन्तु उत्पादन के समय इनमें गड़बड़ी हो जाती है । शरवती घाटी पर बिजली योजना को लीजिए । इसपर २६ करोड़ रुपये लगेंगे । इसमें द्वितीय योजना काल में १३ करोड़ रुपये लगने पर १,८०,००० किलोवाट बिजली उत्पादित हो सकती है । परन्तु इस बिजली का उत्पादन करने के लिए इस योजना काल में २ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा और खर्च होगी लेकिन सरकार इन दो करोड़ रुपयों को खर्च करना नहीं चाहती, जबकि दुर्गापुर, भिलाई, रूरकेला में हज़ारों रुपया व्यय किया जा रहा है । हमारे प्रदेश को इस बिजली की सख्त जरूरत है । मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की योजनाओं में सरकार को अधिक गम्भीरता से विचार करना चाहिए और किसी योजना के पूरी हो जाने के पश्चात् जनता को उससे लाभ उठाने पर कोई नियन्त्रण नहीं लगाना चाहिये ।

†**पंडित मुनिश्वर दत्त उपाध्याय** (प्रताप गढ़) : मैं समझता हूं कि योजना के पुनर्मूल्यांकन से हमें योजना का सही चित्र मिलता है और ऐसी कोई शिकायत नहीं की जा सकती, कि तथ्यों को छिपाया गया है। इससे हमें पता लग सकता है कि योजना के लिये हमारे क्या संसाधन थे, क्या हमारे लक्ष्य थे और कितना काम हम पूरा कर चुके हैं।

कल माननीय मन्त्री ने बताया था कि हमारे देश में इस समय एक प्रयोगशाला बना हुआ है जहां योजना का महान् प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि जिन अन्य देशों में इस प्रकार की योजनायें बनाई गईं और लागू की गईं वहां अर्थ व्यवस्था बड़ी नियंत्रित थी, जबकि हमारे देश में लोकतंत्रीय पद्धति होने के कारण यह काम बड़ा कठिन था। इसलिये माननीय मंत्री के इस कथन से कि हम कोई साधारण सा काम नहीं कर रहे हैं, मैं पूर्णतया सहमत हूं।

योजना के दो पहल हैं। एक संसाधन तथा दूसरा, लक्ष्य और उनकी पूर्ति। संसाधनों के सम्बन्ध में इतना कहना पर्याप्त होगा कि प्रथम योजना की सफलता के कारण हमने द्वितीय योजना के आंकड़े बहुत ऊंचे अर्थात् ४,८०० करोड़ रुपये कर दिये थे। परन्तु व्यावहारिक अनुभव से पता लगा कि हम ४२६० करोड़ रुपये से आगे नहीं बढ़ सकते। परन्तु अब पुनर्मूल्यांकन के बाद ये खर्चा ४५०० करोड़ रुपये से भी बढ़ा कर ४६५० करोड़ रुपये रख दिया गया है। मैं नहीं जानता कि यह कमी किस प्रकार पूरी की जायेगी। योजना आयोग ने कहा है कि उन्होंने राज्यों को करारोपण के लिए लिखा है। परन्तु कुछ राज्यों ने तो अपनी सामर्थ्य से अधिक करारोपण कर दिए हैं और इसलिए मैं नहीं समझता कि राज्य और करारोपण किस प्रकार कर पायेंगे।

संसाधनों को देखने पर पता लगता है कि लगभग ५० प्रतिशत धनराशि विदेशी सहायता अथवा घाटे की अर्थ व्यवस्था से पूरी की जायेगी। यद्यपि हमें थोड़ी सी विदेशी सहायता मिल गई है परन्तु फिर भी विदेशी सहायता का सहारा लेना ठीक नहीं है। हमारी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और देश की वर्तमान दशा को देखते हुए हम घाटे की अर्थ व्यवस्था का भी सहारा नहीं ले सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि मूल्यांकन में आगे के दो वर्षों के लिये जो आंकड़े दिए गए हैं उनका ठीक होना जरूरी नहीं है। मेरा ख्याल है कि यह धनराशि उपलब्ध नहीं हो सकेगी।

अल्प बचत योजनाओं तथा ऋण के सम्बन्ध में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, यद्यपि एक इसी का सहारा रह जाता है। १९५६–५७ में इनसे आय २०० करोड़ रुपये हो गयी थी परन्तु १९५७–५८ में यह घट कर १२७ करोड़ रुपये रह गयी। १९५८–५९ में यह बढ़ कर २१७ करोड़ रुपये तो अवश्य हो गयी है परन्तु यह तो नहीं कहा जा सकता कि १९५९–६० में यह बढ़ कर २२० करोड़ रु० हो जायेगा। इन आंकड़ों को देखने पर पता लगता है कि संसाधनों की स्थिति अच्छी नहीं है।

लक्ष्य पूर्ति में सबसे महत्वपूर्ण मद कृषि है। माननीय मंत्री ने भी बताया है कि वह उसका ध्यान रखेंगे कि उसमें रुपये की कमी के कारण बाधा न पड़े। कृषि उत्पादन सुधारने में जरूरी चीजें ये हैं : सिंचाई, अच्छा बीज, अच्छी खाद, भूमि विकास आदि। पुनर्मूल्यांकन संबंधी कागजों को देखने से पता लगता है कि बड़ी सिंचाई योजनाओं का जो लक्ष्य था, उससे बहुत कम की पूर्ति हो पाई है। अच्छे बीजों का लक्ष्य ३४ लाख टन का जो पहले दो सालों में १.७ लाख टन हुआ है। भूमि विकास द्वारा उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य ९ लाख

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

टन था जो दो वर्ष में २ लाख टन हुआ है। १९५६–५७ में चावल का उत्पादन २८० लाख टन हुआ परन्तु १९५७–५८ में यह २५० लाख टन रह गया। मैं नहीं जानता कि इन आंकड़ों को देखते हुए हम अपनी योजनाओं को किस प्रकार सफल बना सकते हैं।

मूल्यांकन में उत्पादन के बारे में जो कठिनाइयां बताई गई हैं उनसे जाहिर है कि उत्पादन में कम प्रगति किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण नहीं हुई है, बल्कि योजनाओं को क्रियान्वित करने के गलत तरीकों के कारण हुई है। कहीं सिंचाई सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है, कहीं पह नहरें पूरी तरह से नहीं बनाई गई हैं, कहीं पर खेतों में पानी देने की नालियां नहीं बनाई गई हैं, कहीं उर्वरक का संभरण पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है। इन सब कारणों से ही प्रगति नहीं हुई है। ज़ाहिर है कि इन सब बातों के रहते हुए और क्या परिणाम निकल सकते हैं।

राष्ट्रीय आय का लक्ष्य २५ प्रतिशत रखा गया था, जिसका एक तिहाई कृषि से मिलना था। परन्तु कृषि की हालत यदि ऐसी रही तो हम किस प्रकार आशा कर सकते हैं कि यह लक्ष्य पूरा हो जायेगा।

जहां तक रोज़गार देने का प्रश्न है हमारा लक्ष्य ८० लाख व्यक्तियों को सारे योजना काल में रोज़गार देने का था। परन्तु क्योंकि योजना के संसाधनों में कमी कर दी गई है, इससे काम में भी उतनी ही कमी हो गई है और यह लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सकेगा और बेकारी बढ़ेगी। जैसा कि मैं प्रारंभ में बता चुका हूं, जो पत्र हमें दिये गये हैं उससे हमें सही स्थिति का पता लग जाता है जो कि बड़ी असन्तोषजनक है और हमें इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए।

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि हमारी योजना बहुत अधिक महत्वाकांक्षी है। परन्तु आंकड़े देखें तो पता लगता है कि ऐसी बात नहीं है। जैसा कि 'इकानामिक्स' ने कहा है, कि यदि लोगों को बहुत कम आय में थोड़ी सी वृद्धि के उपाय किये जाने की कोई योजना हो तो उसे महत्वाकांक्षी नहीं कहा जा सकता। फिर देखिये, हमने योजना में ८० लाख व्यक्तियों को रोज़गार दिलाने की व्यवस्था की है। हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष ५० लाख व्यक्ति बढ़ जाते हैं और इस प्रकार पांच वर्ष की अवधि में २५० लाख व्यक्ति बढ़ जायेंगे, इसलिए ८० लाख व्यक्तियों को रोज़गार दिलाना कोई अधिक नहीं है। इसके बाद हमारा खाद्य उत्पादन १५ प्रतिशत बढ़ेगा तथा औद्योगिक उत्पादन ११ प्रतिशत बढ़ेगा। इन सभी आंकड़ों को देखने पर पता लगता है कि हमारी योजना महत्वाकांक्षी नहीं है।

हमने ४,८०० करोड़ रुपये की योजना बनाई जिसमें से ४,००० करोड़ रुपये देश से उगाहे जाने थे तथा ८०० करोड़ रुपये की विदेशी सहायता लेनी थी। इसके अतिरिक्त हमने केन्द्र से २२५ करोड़ रुपये और राज्यों से ४५० करोड़ रुपये करों द्वारा प्राप्त करने का अनुमान लगाया था जब कि हमें इनसे क्रमशः ७२५ करोड़ और ९५० करोड़ रुपये मिलेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

केवल २५० करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण के मामले में ही योजना आयोग की आशा को हम पूरी होते नहीं पाते हैं। और इस सम्बन्ध में हमें मूल्यांकन तथा पुनर्मूल्यांकन संबंधी कागजों में कुछ नहीं बताया गया है।

अब विदेशी सहायता का साधन लीजिए। हमने ८०० करोड़ रुपये की विदेशी सहायता का अनुमान लगाया था जबकि हमें १०३८ करोड़ रुपये मिलेंगे अर्थात् २३८ करोड़ रुपये अधिक मिल रहे हैं। घाटे की अर्थ व्यवस्था के लिए १२०० करोड़ रुपये का लक्ष्य था और इन तीन वर्षों में ९७० करोड़ रुपये की व्यवस्था तो हो चुकी है और शेष दो वर्षों में लक्ष्य पूरा हो ही जायेगा। रेलों के अंशदान को लीजिए रेलों से मिलने वाली राशि का लक्ष्य १५० करोड़ रुपये था परन्तु हमें २५० करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। ऋण और अन्य बचत के द्वारा १२०० करोड़ रुपये मिलने का लक्ष्य था। पिछले दो वर्षों के अनुभव से स्थिति कोई आशाजनक दिखाई नहीं देती। इस वर्ष ज़रूर कुछ ठीक रहा है परन्तु अगले दो वर्षों में हमारा लक्ष्य पूरा होना मुश्किल दिखाई देता है।

इतने हमारे संसाधन पूरे होने पर प्रश्न उठता है कि हमारी योजना की सफलता के लिये क्या कोई कठिनाई है। मेरे विचार से कठिनाई अवश्य है। और उसके निम्नलिखित कारण हैं।

पहला कारण है कि प्रतिरक्षा का व्यय १७२ करोड़ रुपये से बढ़कर २७८ करोड़ रुपये का हो गया है। असैनिक व्यय भी ९४ करोड़ रुपये से बढ़कर २०० करोड़ रुपये हो गया है। इससे पता लगता है कि मुख्य कठिनाई बेकार व्यय के बढ़ जाने के कारण उत्पन्न हुई है। सरकारी निगमों में वित्तीय नियंत्रण न रहने के कारण हमारा धन बहुत बरबाद हुआ है। सब से बड़े खेद की बात यही है कि इन सरकारी निगमों के लेखों को तथा इसके प्रशासन को संसद् तथा लेखापरीक्षक के अधीक्षण से परे रखा गया है जिसमें उन पर निगरानी नहीं रखी जा सकती।

अब लक्ष्य पूर्ति को लीजिये। मैं समझता हूं कि योजनाओं पर जितना धन व्यय किया गया है उसके अनुसार हमारे लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं। प्रथम योजना में हमारा लक्ष्य ८० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने का था जबकि कुल ४० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की गई परन्तु धनराशि उतनी ही खर्च हो गई जितनी का प्राक्कलन किया गया था। द्वितीय योजना में खाद्य उत्पादन का लक्ष्य १५५ लाख टन रखा गया था। परन्तु तीसरे वर्ष की समाप्ति पर ६६ लाख टन उत्पादन हुआ जबकि ९५ करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। सिंचाई केवल ३८ लाख १० हज़ार एकड़ भूमि की की जा सकी है जबकि लक्ष्य १२० लाख एकड़ का था। बिजली का उत्पादन ७ लाख ७० हज़ार किलोवाट हुआ है जबकि २४३ करोड़ रुपया व्यय हो चुका है। कोयले के उत्पादन का भी यही हाल है। इससे पता लग जाता है कि योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जितना धन व्यय होना था उतना धन तो व्यय किया गया परन्तु उससे लक्ष्य बहुत कम पूरे हुए। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

मेरा सुझाव यह है कि हमें अपने देश में बहुत मितव्ययता करनी चाहिए। इससे मेरा मतलब यह है कि योजना में सम्मिलित परियोजनाओं के लिए विशेष व्यवस्था बनाई जानी

[श्री मुरारका]

चाहिए जो व्यय होने वाली धनराशी की जांच कर सके। और इस बात का ध्यान रखे कि काम लक्ष्य के अनुसार चले। उसी प्रकार आयात-निर्यात व्यापार के मामले में भी मैं देखता हूं कि बहुत सी ऐसी चीजों का आयात किया जाता है जिनका आयात आसानी से खत्म किया जा सकता है। यह वस्तुऐं विदेशी रुई, अशोधित तेल आदि हैं। यदि हम बरौनी तेल शोधनशाला की स्थापना उचित समय पर कर देते तो हमें ७० से ८० करोड़ रुपये की बचत हो सकती थी।

योजना के अन्तर्गत खर्च की जाने वाली धनराशी के सम्बन्ध में विश्व बैंक की राय भी यही है कि द्वितीय योजना की विभिन्न परियोजनाओं पर जो खर्च हो रहा है उसकी जांच करने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। उसकी राय है कि केन्द्र ने आर्थिक क्षेत्र में अपने ऊपर एकदम बहुत सी जिम्मेदारियां ले ली है जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर बहुत जोर पड़ रहा है। समवाय बिधि के लागू हो जाने से असैनिक सेवा के अधिकारियों की मांग बढ़ रही है जब कि वरिष्ठ अधिकारियों को सरकारी उपक्रमों में ले लिया गया है। उसका कहना है कि जहां तक उद्योगों में और खनिज क्षेत्र में पैसा लगाने का संबंध है सरकार को नई जिम्मेदारियां नहीं लेनी चाहियें। इसलिए में यही कहना चाहता हूं कि जो कुछ हम व्यय करें उसकी जांच करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे हमारा जो धन बरबाद हो रहा है वह बरबाद न हो।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : मुझे न तो किसी विशेष विचारधारा का प्रचार करना है और न ही कोई बौद्धिक विश्लेषण करना है जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने किया है। मैं तो एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर विचार करूंगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को बहुत ही आशाओं और संभावनाओं से आरम्भ किया गया था, परन्तु दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर आज हमारे समक्ष कुछ समस्यायें उठ खड़ी हो गयी हैं। एक बार मई, १९५८ में स्थिति का निरीक्षण किया गया और दोबारा सितम्बर, १९५८ में निरीक्षण हो रहा है। आखिर योजना के पीछे उद्देश्य क्या है? लोग क्या चाहते हैं? यही न कि अच्छा खाना मिले, अच्छी चीजें उपलब्ध हों और हम अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर सकें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में अधिकतर जोर उद्योगों के प्रोत्साहन पर ही दिया गया था। कृषि विकास की कुछ उपेक्षा की गयी थी। परन्तु अब सरकार ने इस बात का अनुभव किया है कि दोनों का विकास एक साथ करना होगा। इसके बिना योजना के लक्ष्य पूरे नहीं होंगे।

मंत्री महोदय कल कह चुके हैं कि ४५०० करोड़ रु० में से २४० करोड़ रु० की कमी है। १०० करोड़ रुपये के लिए अतिरिक्त कर लगाये जायेंगे, ६० करोड़ कर्जों और छोटी बचतों से प्राप्त किया जायेगा और ८० करोड़ के लिए व्यय में बचत की जायेगी तथा बकाया करों को एकत्रित किया जायेगा। पता नहीं यह कर प्रत्यक्ष होंगे अथवा अप्रत्यक्ष। छोटी बचतों का मामला भी बहुत अधिक आशाजनक नहीं रहा है। खर्चे में कमी की बात

---

†मूल अंग्रेजी में

भी असम्भव ही प्रतीत होती है। इस कारण वर्तमान मिश्रित अर्थव्यवस्था में योजना के लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है।

सरकार की प्रगति के मार्ग में गैर-सरकारी क्षेत्र की ओर से भी रुकावटें पैदा की जा रही हैं। निर्यात कम हो गया है ; उत्पादन की दशा भी खराब है विदेशी मुद्रा की भी कमी है और बेरोजगारी बढ़ रही है इस प्रकार स्थिति खराब हो रही है। लोगों के दिलों में आम निराशा उत्पन्न हो रही है और वे योजना से खिन्न हो रहे हैं। मेरा सुझाव है कि सरकारी क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिये, कार्य प्रणाली का निर्माण लोक तंत्रीय आधार पर किया जाना चाहिये और लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिये उन में उत्साह पैदा किया जाना चाहिये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो पुनरीक्षण हुआ है उसका बड़ा भयावह चित्र हमारे समक्ष आया है। योजना की सफलता के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किया गया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि और उद्योग, दोनों का संतुलित विकास होना चाहिये था।

कृषि उत्पादन की राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थायी समिति ने भी जनवरी १९५८ में पुनरीक्षण किया और उसके अनुसार पिछले वर्षों के मुकाबले में १९५७–५८ में उत्पादन ९.७ प्रतिशत कम रहा। कृषि की सफलता के लिये बहुत सी चीजें अपेक्षित हैं। भारत के पास जल और भूमि के काफी साधन हैं। वास्तव में समस्या यह है कि इन आधारभूत साधनों का किस सीमा तक प्रयोग किया जाता है। अशोक मेहता समिति के अनुसार बड़ी-बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का ६० प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया है, क्योंकि उसके लिये वितरण की कोई व्यवस्था नहीं है। सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करते समय वितरण सम्बन्धी बात को सोचा ही नहीं गया। देश की सामूहिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये सारी बातों को सोचना चाहिये था। दामोदर घाटी निगम की बात हमारे सामने ही है। ११ करोड़ खर्च करके बनवाये हुये कोनार बांध का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस परियोजना से देश को कोई लाभ नहीं पहुंच सकेगा। इसी प्रकर की खबरें अन्य बांधों से भी आ रही हैं। छोटी-छोटी सिंचाई योजनायें राज्यों के हाथ में हैं और वहां राजनीतिक गुटबन्दी का बोलबाला है।

मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जल निस्सारण योजना का निर्माण किया गया था। ४३ लाख इसके लिये दिया गया था। इसे कार्यान्वित करके हम एक लाख एकड़ भूमि की सिंचाई कर सकते थे और प्रति वर्ष १५ लाख मन धान प्राप्त कर सकते थे जिसकी कीमत ३ करोड़ से ऊपर बैठती। परन्तु कुछ स्वार्थों के कारण सरकार ने इसमें परिवर्तन करने की सिफारिश की है जिससे इस परियोजना से पूरे क्षेत्र का लाभ नहीं हो पायेगा। मेरा कहना है कि एक उच्च स्तरीय समिति का निर्माण किया जाये जोकि राज्यों को सौंपी गई सिंचाई परियोजनाओं की देख भाल करे और देखे कि इन योजनाओं को कार्यान्वित किया भी गया है अथवा नहीं। अब सरकार इस काम को सामूदायिक विकास, और राष्ट्रीय विस्तार खण्डों को सौंप रही है। पता नहीं सरकार को इन पर क्यों इतना विश्वास है, और मैं समझता हूं कि यह उसकी बहुत भारी भूल होगी। ये खण्ड भी बहुत बुरी तरह नौकरशाही की भावना के शिकार हो रहे हैं और कहीं भी कुछ काम नहीं हो रहा है। ग्राम उद्योगों के अनुदान भी घटा कर ४.२ प्रतिशत से ३.६ प्रतिशत कर दिये गये हैं। बड़े बड़े उद्योगों के कारण लघु उद्योग पनप नहीं रहे हैं।

औद्योगिक उत्पादन के ह्रास का मंत्री महोदय उल्लेख कर ही चुके हैं। सरकारी क्षेत्र की बड़ी संस्थायें घाटे में चल रही हैं। प्राथमिकता का चुनाव भी गलत ढंग से किया गया है। वास्तविक कठिनाइयों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। हावड़ा के विद्युतीकरण की योजना बनाई जा रही है, हालांकि अधिक आवश्यकता सियालदा की है। कलकत्ता पत्तन को ठीक करने और कार्य को समुचित ढंग से चलाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र के अनुदान कम कर दिये गये हैं। हमारे देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज सेवा को हमेशा प्राथमिकता दी जाती रही है। उसमें भी भारी कमी कर दी गई है। इससे भी लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का काफी अवसर मिल जाता था। आम व्यक्ति को इस योजना का कोई लाभ नहीं हो रहा है और राष्ट्रीय आय की वृद्धि की बात उनकी समझ में नहीं आती। हमारे राज्य में १२ लाख व्यक्ति बेकार हैं, शिक्षा का बुरा हाल है और ७५ प्रतिशत विद्यार्थी किसी न किसी रोग के शिकार हैं। इसके अतिरिक्त १८७ करोड़ की विदेशी विनिमय की कमी ने मामला और बिगाड़ दिया है। मेरा निवेदन है कि इन सब मामलों को ठीक करके लोगों में योजना के लिये उत्साह पैदा किया जाये, अन्यथा इस संकटावस्था में योजना के सफल होने की कोई आशा नहीं।

श्री राम कृष्ण (महेन्द्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन की बाबत जो ऐप्रेजल पेश किया गया है, उससे पता चलता है कि दो साल के अन्दर कितना काम हुआ और बाकी तीन सालों में कितना काम करना है। इससे यह भी पता चलता है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वह इतने नहीं हैं कि जो काम बाकी है उसको पूरा किया जा सके। बल्कि यह बात भी साफ है कि सेकेन्ड फाइव इअर प्लेन में जो टार्गेट्स मुकर्रर किये गये थे उन तमाम को पूरा करने के लिये ४८०० करोड़ रुपया काफी नहीं बल्कि और भी ज्यादा रुपये की जरूरत होगी। इन तमाम चीजों को देखते हुये हमारे सामने सबसे बड़ा मसला यह है कि रिसोर्सेज के सवाल को कैसे हल किया जाय। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी के सामने चन्द तजवीजें पेश करना चाहता हूं।

मेरी सब से पहली तजवीज यह है जैसा कल माननीय मंत्री जी ने अपनी स्पीच में कहा कि स्टेट्स से यह कहा गया है कि वह १४० करोड़ रुपये बजरिये टैक्स इकट्ठा करने की कोशिश करें, मैं इससे मुत्तफिक नहीं, क्योंकि स्टेट्स के अन्दर जो टैक्स लगाये गये हैं, और आम लोगों पर टैक्स का जो बोझ पड़ता है, उसके खिलाफ बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और अगर ज्यादा बोझ डाला गया तो उसके खिलाफ और भी ज्यादा नुक्ता चीनी होगी। इसके लिये मेरी छोटी सी तजवीज है कि जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट्स हैं, सरमायेदार हैं, जिन्होंने सन् १९४७ के बाद बड़े बड़े इंडस्ट्रियल गेन्स किये हैं, उनकी तरफ जो इनकम टैक्स का रुपया बाकी है उसे इकट्ठा किया जाये। अगर उसके इकट्ठा करने में हम कामयाब हो जायें तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह रुपया १४० करोड़ से कहीं ज्यादा होगा। जहां तक उसकी सही इन्फार्मेशन का ताल्लुक है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, के सेक्शन ५४ के तहत यह तमाम बातें नहीं बतलाई जा सकतीं कि उन बड़े बड़े लोगों की तरफ कितना रुपया बाकी है, और जो इन्स्टालमेंट रखे गये हैं, उनको भी पूरा करने की कोशिश नहीं की जाती।

मेरी दूसरी तजवीज यह है कि नये टैक्स लगाने के बजाय जो टैक्स लगाये गये हैं, उनके अन्दर जो चोरी होती है, जो इवेजन होता है, उसको रोकने की कोशिश की जाय। जिसका नतीजा

यह होता है कि जो टैक्स लगाये जाते हैं उनसे जितना रुपया आना चाहिये, उतना नहीं आता। इस के बारे में मैं एक मामूली सी मिसाल हाउस के सामने पेश करना चाहता हूं। तम्बाकू पर जो टैक्स लगाया गया है वह तकरीबन १ रु० फी सेर है। मैं अपने हल्के की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आप किसी भी गांव में जायें, किसी भी किसान से तम्बाकू खरीदना चाहें तो ३५ या ३६ रु० में एक मन तम्बाकू मिल जायेगी। यह एक सीधा सा सवाल है कि अगर एक किसान अपने खेत में दस मन तम्बाकू पैदा करता है और वह ४०० रु० टैक्स का दे दे तो वह कैसे दस मन तम्बाकू ३५० रु० में बेच सकता है? दरअसल यह होता है कि जो आफिसर्स होते हैं वे उन लोगों से मिल जाते हैं और पैदावार दस मन के बजाय दो, तीन मन दिखला दी जाती है। कुछ फायदा अफसर का हो जाता है और कुछ किसान का, और नुक्सान होता है गवर्नमेंट को। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि इस के ऊपर कई बार जोर दिया गया है कि हमारे यहां रिसोर्सेज की बड़ी कमी है। रिसोर्सेज की कमी इसलिये है कि जो हमारा इन्तजाम है, खास तौर पर हमारे इनकम टैक्स का, उसके अन्दर बड़ा भारी नुक्स है। अगर हम इस नुक्स को दूर कर दें, इनकम टैक्स के जो एरियर्स हैं उनको इकट्ठा कर लें, और इनकम टैक्स की चोरी को खत्म कर दें तो मेरा ख्याल है कि न सिर्फ हमारी जरूरत का रुपया ही पूरा होगा बल्कि दूसरे मुल्कों की मदद की जो हमें इतनी जरूरत मालूम होती है वह भी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी।

तीसरी तजवीज मैं यह रखना चाहता हूं कि वेस्टेज को रोका जाय। इस वेस्टेज का मुख्य कारण यह है कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज में कोआपरेशन और कोआर्डिनेशन नहीं है। मुझ से चन्द मिनट पहले मेरे साथी श्री मोरारका ने बतलाया कि हमारा टार्गेट था कि ८ लाख एकड़ जमीन को इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जायें। लेकिन हम सिर्फ ६० लाख एकड़ जमीन को इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, जबकि ऐक्चुअली सिर्फ ४० लाख एकड़ जमीन को पानी मिला। मैं आपसे पूछता हूं कि जिस २० लाख एकड़ जमीन को पानी नहीं मिला उससे देश का कितना नुक्सान हुआ? यही कारण है कि इस देश के अन्दर अनाज की कमी है और हमें बाहर के मुल्कों से करोड़ों रुपयों का अनाज हर साल मंगवाना पड़ता है, जिसका हमारे फारेन एक्सचेंज के ऊपर बहुत असर पड़ता है। मेरा यह ख्याल है कि अगर हिसाब लगाया जाये तो १ साल के अन्दर हम २० लाख एकड़ में इतना अनाज पैदा कर सकते हैं, जिसकी कीमत ५०० किरोड़ रुपया हो। अगर इन तमाम चीजों को ठीक ढंग से किया जाता, अगर उतना ही पानी दिया जाता जितना कि काम में लाया जा सकता था, तो हमारा इतना नुक्सान न होता।

इसके बारे में एक मिसाल और भी देना चाहता हूं। बहुत से एन० ई० एस० ब्लाक्स के अन्दर छोटी छोटी सड़कें बनाई जाती हैं। गांव वालों से कहा जाता है कि आप कच्ची सड़कें तैयार कर दें, फ्री लेबर दें, फ्री जमीन दें, तो गवर्नमेंट की तरफ से पक्की सड़क बना दी जायेगी। भारत सेवक समाज की तरफ से भी इस चीज की कोशिश की जाती है। मैं समझता हूं कि इस तमाम प्रोग्राम का एक ही मकसद है कि लोगों के अन्दर यह जज्बा पैदा किया जाये कि वह देश की तरक्की के लिये, सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन की कामयाबी के लिये काम करें और मेहनत करें। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अगर एक गांव वाले पांच मील लम्बी कच्ची सड़क तैयार करते हैं और उसको पक्की नहीं किया जाता, दो साल के अन्दर वह बरसात की वजह से बह जाती है, तो गांव के लोगों के दिलों पर उसका क्या असर पड़ेगा? माननीय मंत्री जी ने अपनी तकरीर के अन्दर कहा कि वह लोगों के दिलों के अन्दर एक रिवोल्यूशन पैदा करना चाहते हैं, जिससे कि यह सेकेन्ड फाइव इअर

प्लैन कामयाब हो। मैं पूछता हूं कि जिस गांव के लोग रोजाना फ्री लेबर करते हैं, अपनी जमीन गवर्नमेंट को देते हैं, मैं इस किस्म की काफी मिसालें आपके सामने पेश कर सकता हूं, अगर तमाम किया हुआ काम बारिश के कारण खराब हो जाये, पानी के अन्दर बह जाये, तो क्या उस पर काम करने को तैयार हो सकेंगे ? इसलिये मैं खास तौर से अपील करूंगा कि ऐसे ढंग से इन्तजाम किया जाय कि जो तमाम रुपया वेस्ट हो रहा है, वह रोका जा सके। इस हाउस के अन्दर इस बात का भी जिक्र किया गया कि मैन-पावर बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही है, उसका एक यह भी कारण है। यह भी कहा गया कि दूसरे देशों के अन्दर काफी तरक्की हुई। यह ठीक है, जर्मनी की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। जब १५ अगस्त, १९४७ के दिन हमारा देश आजाद हुआ, सब लोग तसलीम करेंगे कि हमारे देश की हालत हर तरीके से जर्मनी से अच्छी थी। लेकिन आज क्या हुआ ? हमारे देश के बड़े बड़े नेता जर्मनी जाते हैं और कर्जे के लिये दरख्वास्त करते हैं। इसका क्या कारण है ? इसका सब से बड़ा कारण यह है कि वहां के लोगों ने देश की तरक्की के लिये कुर्बानी की, मेहनत की। मैंने इसके बारे में एक किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि वहां पर कारखानों के अन्दर जो मजदूर काम करते थे, उन्होंने दस, दस और बारह, बारह घंटे काम किया। लेकिन आज हमारे देश की क्या हालत है ? हर आदमी परेशान नजर आता है। अगर आप यह कहते हैं कि सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन का यह मकसद है कि कितनी लम्बी सड़कें बनाई जायें, कितनी नहरें खोदी जायें, कितने कारखाने खोले जायें, तो मैं इस बात को तसलीम करने के लिये तैयार नहीं। सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन का मकसद यह है कि हम लोगों के अन्दर जजबात कैसे पैदा करें। आज हमारा मकसद है कि हम इनकम की जो डिस्पेरिटीज हैं, वैल्थ की जो डिस्पेरिटीज हैं, उनको कम करें। हमने इन सालों में इसके लिये कितना काम किया है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर ध्यान दिया जायें।

सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन का इस बात से अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता कि देश के अन्दर कितने डैम्स, कारखाने और स्टील प्लांट्स बनाये जायेंगे बल्कि सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन का अदाजा इस बात से लगाया जायेग। कि इनकम और वैल्थ के अन्दर जो आज बड़ा भारी अन्तर नजर आता है उसको हमने कितना कम किया। हमारे प्लान का अन्दाजा इस बात से लगाया जायेगा कि जो अन्डरडेवलप्ड एरिया हैं, बैकवर्ड एरिया हैं, उसकी कितनी तरक्की हुई। मैं चाहता था कि इस मैमोरेंडम के अन्दर इस तरफ भी ध्यान दिया जाता और इन बातों का जिक्र किया जाता लेकिन जहां तक इन चीजों का ताल्लुक है मैं यह कहे बगैर नहीं रहूंगा कि हमें इस बात में जितनी कामयाबी होनी चाहिये थी, नहीं हुई। सेकेन्ड फाइव इअर प्लान का यह भी मकसद था कि मजदूरों को कारखानों के इन्तजमा में हिस्सा दिया जायेगा। मैं माननीय मंत्री से यह बात पूछना चाहता हूं कि तीन साल गुजर चुके, अब तक इसके लिये कितना काम किया ? इसके अन्दर कितनी तरक्की हुई ? मैं यह बात इसलिये कहना चाहता हूं क्योंकि हमारे देश में आज तकरीबन एक करोड़ मजदूर कारखानों के अन्दर काम करते हैं। अगर उनके अन्दर यह जज़बा पैदा हो जाय कि जो कारखाने बनाये जा रहे हैं जो डैम्स बनाये जाते हैं उनका फायदा तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे फ्री २ घंटे और अधिक काम करने को तैयार हो जायेंगे लेकिन वे यह महसूस करते हैं कि हमारी मेहनत की कमाई जो कि हम कारखानों के अन्दर काम करके कमाते हैं, वह तमाम आमदनी बड़े बड़े अफसरान, आई० सी० एस०

लोगों या बड़े बड़े कैपटेलिस्ट्स, कारखानेदार और सरमायेदारों की जेबों में जायेगी तो उससे वह फ्रस्टेटेड होते हैं और काम नहीं करते । उसका देश के प्रोडेक्शन के ऊपर असर पड़ता है । मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल भी अपने ज़ाती तजुर्बे की बिना पर दे सकता हूं क्योंकि खुशक़िस्मती से १५, २० साल से स्टूडेन्ट वर्कर्स और मज़दूरों से मेरा ताल्लुक़ रहा है और मैं भी उन्हीं की तरह से था। हमारे दादरी के अन्दर एक छोटी सी सीमेंट फैक्टरी है और जिसका कि इस हाउस में कई बार ज़िक्र आ चुका है । आज से कोई दस साल पहले वहां के मज़दूरों ने उस कारखाने पर कब्ज़ा कर लिया और १८ रोज़ तक यूनियन के प्रेसीडेंट बतौर मैनेजर के काम करते रहे और जो प्रोडेक्शन उन १८ दिनों के अन्दर उस कारखाने में हुआ उतना प्रोडेक्शन कभी नहीं हुआ । वह प्रोडेक्शन रेकार्ड प्रोडेक्शन रहा है । यह बात मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि इन स्कीमों को इम्पलीमेंट करने के लिये, सरमायेदारों की तरफ से कैप्टिलिस्ट्स की तरफ से जो एलिगेशन लगाया जाता है कि मजदूर ट्रेंड नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कारखानों का काम कैसे चलेगा । मैं इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं । यही इल्ज़ाम अंग्रेज़ लोग हमारे खिलाफ़ लगाया करते थे ।

मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कारखाने का तमाम इन्तज़ाम मज़दूरों के हाथ में दे दिया जाये तो प्रोडेक्शन बढ़ सकता है । आप इसको आज़मा कर देख सकते हैं ।

आज झगड़ा किस बात का है । आज बोनस का महंगाई का और तनख्वाह का झगड़ा है । सरमायेदार तो यह कहता है कि जब मुनाफ़ा नहीं तो मैं यह सब कहां से दूं । मज़दूर कहता है कि मुनाफ़ा बहुत ज्यादा है । यह साबित करने के लिये कि मुनाफ़ा नहीं हो रहा है बैलेंस शीट बदल दी जाती है और हेरा फेरी कर दी जाती है । मैं समझता हूं कि अगर मज़दूर और कारखानेदार एक साथ एक टेबुल पर बैठ कर तमाम चीज़ों का फ़ैसला करें. अगर वे कारखाने का मिल कर इन्तज़ाम करें तो यह तमाम शक व शुबहे दूर हो सकते हैं और हमारा प्रोडेक्शन बढ़ सकता है ।

मुझे पूरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान के मजदूर लोग दुनिया के किसी मजदूर से काम करने में पीछे नहीं हैं । हिन्दुस्तान के मजदूर के अन्दर दुनिया के किसी मज़दूर से देश के लिये कम जज्बा नहीं लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उसको कौनफ़िडेंस में लिया जाय । आज उसको कौनफ़िडेंस में नहीं लिया गया है और उस पर विश्वास नहीं किया जा रहा है और इसीलिये हम देख रहे हैं कि जो हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं उसमें हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं । इसलिये मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि अगर आप इस सेकेंड फाइव इअर प्लान को कामयाब करना चाहते हैं तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी यह कदम उठाइये और तमाम कारखानों का इन्तज़ाम मज़दूरों के हाथों में दे दीजिये । यह काम ऐसोशियेशन या कमेटी बनाने से नहीं चलेगा । एक सीधा सा सवाल है । एक मामूली सा कानून पास कर दिया जाय कि हर कारखाने के अन्दर गवर्नमेंट के नुमाइन्दे, मज़दूरों के नुमाइन्दे और फैक्टरी का जो मैनेजमेंट है उसके नुमाइन्दे मिल कर तमाम चीज़ों का इकट्ठा फ़ैसला करेंगे । इससे बड़ा भारी फ़ायदा होगा ।

आखिर में कुछ शब्द बैकवर्ड और अंडरडेवलप्ड एरिया के बारे में भी कह देना चाहता हूं । मैं जिस हल्के की नुमायन्दगी करता हूं उसका ८० फीसदी ऐरिया बैकवर्ड और अंडरडेवलप्ड है । यहां तो पानी की ज़रूरत का सवाल होता है खेतीबाड़ी करने के लिए लेकिन वहां पर पानी का सवाल लोगों के पीने के लिए है । पिछले दिनों आपको याद होगा कि जब दिल्ली में एक दो दिन के लिए पानी की कमी हो गई थी और उसके कारण दिल्ली वालों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी लेकिन मैं

[श्री राक कृष्ण]

सदन और सरकार का ध्यान उस इलाके की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां कि इस तरह ही हालत हमेशा बनी रहती है। पानी की वहां बहुत तंगी रहती है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि सबसे पहले हमें उन इलाकों की तरक्की की तरफ़ ध्यान देना चाहिए जो कि अंडरडेवलप्ड हैं और उसके लिए मेरी यह तजवीज़ है कि एक कमिशन मुकर्रर किया जाय जो कि उस इलाके के बारे में जांच करे और फिर सेंटर की तरफ से उस इलाके की तरक्की के लिए फंड ऐलाट किया जाये क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को जो रुपया दिया जाता है वह उस अनडेवलप्ड इलाके पर खर्च नहीं किया जाता है। बस मुझे यही कहना था।

†**कुमारी मो० वेद कुमारी** (एलरू) : गत दो वर्षों से बराबर हम कई प्रकार के संकटों का सामना कर रहे हैं। खाद्य संकट, विदेशी विनिमय संकट इत्यादि कई संकट हैं। देश की आंखें इस बात की ओर लगी हैं कि सरकार द्वितीय पंच वर्षीय योजना के व्यय के लिये धन की क्या व्यवस्था करती है। इस सम्बन्ध में दो बातें हैं, एक यह है कि कई मामले ऐसे हैं जिनमें हमारा अनुमान गलत था और कुछ ऐसे हालात थे जिन पर हमारा कोई बस नहीं था। आरम्भ में ही कुछ अर्थ विशेषज्ञों ने यह बात स्पष्टतः कह दी थी कि योजना का निर्माण करते समय आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण प्राविधिक वास्तविकताओं की उपेक्षा की है। योजना को स्वीकृत करने से पूर्व वे बातें बिल्कुल स्पष्ट थीं। यदि उस समय प्रत्येक बात का अच्छी प्रकार परीक्षण कर लिया जाता तो आज की कठिनाइयों का सामना करने की आवश्यकता न पड़ती। प्रथम पंच वर्षीय योजना के अनुभव को दृष्टि में रख कर आयोग को अपने आन्तरिक और बाह्य संसाधनों का अनुमान लगा लेना चाहिये था। परन्तु कुछ नहीं किया गया और अब हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

योजना बनाते समय हमने भारतीय अर्थ व्यवस्था का कुछ ध्यान नहीं रखा। हमने राष्ट्रीय आय को ११ प्रतिशत से बढ़ाकर २५ प्रतिशत करना चाहा, परन्तु वास्तविक आंकड़ों का हमने ध्यान ही नहीं रखा। मूल्यांकन में पांच बातें दी गयी थीं। प्रथम यह कि कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हो। आज की अवस्था के लिये योजना का विस्तार और घाटे की अर्थ व्यवस्था उत्तरदायी नहीं, यह तो हमारी भूलों का परिणाम है। दूसरी बात विदेशी विनिमय की है। मेरे विचार में तो आयोग ने ऐसी बातों की उपेक्षा की जो कि सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रही थी। थोक कीमतों के देशनांक का ही प्रश्न था, यह १०१·५ से बढ़ कर ११७·६ तक पहुंच गया। क्यों? क्या कोई मुद्रास्फीति का भय था? परन्तु रोजगार में कोई वृद्धि नहीं हुई। कपड़ा भी है, परन्तु वहां तो मन्दा ही है। सारा मामला खाद्यान्नों में ही क्यों आ जाता है। हमारी अर्थ व्यवस्था में कृषि उत्पादन का बड़ा महत्व है, जब तक हम इसका पूरा संगठन नहीं करते, भारी उद्योगों को बड़े पैमाने पर विकसित करने से कोई लाभ नहीं होगा। हमने सिंचाई की सुविधायें तो दीं परन्तु इस ओर ध्यान नहीं दिया कि इस क्षमता का पूरा उपयोग हो। इसके लिये हमें किसान को भी शिक्षित करना होगा ताकि वह प्रत्येक सुविधा को पूरी तरह उपयोग कर सके।

सामुदायिक विकास में हम जो कुछ किसान से चाहते थे वह हो नहीं सका। सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में जो सुविधायें हम दे रहे हैं, वे भी गरीबों को उपलब्ध न होकर अमीरों को ही

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राप्त होती हैं। इसलिये इसकी व्यवस्था में भी सुधार करना ही होगा। यह ठीक है कि हम प्राकृतिक विपत्तियों पर काबू नहीं पा सके। परन्तु उसके लिये सरकार ने आज तक किया क्या है? कर लगाते समय यह कह दिया जाता है कि हमें किसान से कुछ तो लेना चाहिये परन्तु वास्तव में हम उनको प्रोत्साहित करने के लिये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज खाद्यान्नों का आयात हमारी अर्थ व्यवस्था का एक प्रमुख अंग बन गया है। सरकार ने शायद ऐसा नहीं सोचा था तभी तो सामुदायिक विकास इतना असन्तुलित चल रहा है, विशेषकर कृषि की दिशा में। घरेलू बचत के मामले में भी हम असफल रहे हैं और अपनी आवश्यकताओं के लिये कुछ भी एकत्रित नहीं कर पाये। इस मामले में भी अर्थ विशेषज्ञों के मत की नितान्त उपेक्षा की गयी।

मैं अब विदेशी सहायता की बात लेती हूं। योजना के अनुसार हमें ८०० करोड़ रु० की विदेशी सहायता लेनी थी। यह बढ़ कर १०३८ करोड़ हो गयी, अब मूल्यांकन में कहा गया है कि १७,०० करोड़ की आवश्यकता है। कम करने के बजाये हम बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मेरा मत है कि यदि हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुभव से कुछ लाभ उठाया होता तो हमें इन कठिनाइयों का सामना न करना पड़ता। रक्षित बैंक का प्रतिवेदन जितना इस बार निराशाजनक था उतना कभी नहीं रहा। प्रतिवेदन में कहा गया है कि १९५७-५८ की आर्थिक स्थिति जितनी गम्भीर है उतनी कभी नहीं रही। औद्योगिक उत्पादन के विकास में भी ह्रास ही हुआ है। हमारे कृषि और उद्योग दोनों अंग ही कमजोर दिखाई देते हैं, और हमारे समक्ष स्थिति बड़ी गम्भीर है।

पांचवां मामला, प्रशासन की योग्यता है। और स्थिति यह है कि आय कर के २८७ करोड़ रुपये अभी तक बकाया हैं। हम सभी स्थानों पर असफल रहे हैं और द्वितीय पंच वर्षीय योजना को पूरा करना कठिन दिखाई दे रहा है। मेरा विनम्र सुझाव है कि विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करके प्रत्येक परियोजना के सम्बन्ध में हमें सविस्तार जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। ताकि हमें पता चल सके, आखिर कठिनाइयां क्या हैं।

†**श्री अं० च० गुह** (बारसाट) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में देश में निराशाजनक वातावरण रहा है। हम योजना की सफलता विदेशी विनिमय अथवा आन्तरिक साधनों की उपलब्धि और खर्च किये जाने वाले धन की मात्रा के प्राप्त होने पर नहीं आंक सकते। हमें तो यह देखना है कि जिन लक्ष्यों को सामने रख कर योजना बनाई गई थी उनमें कहां तक सफलता हुई है। यह लक्ष्य चार थे, एक यह कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि की जाय, ताकि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे। सभी प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय और व्यय और सम्पत्ति की विषमताओं को दूर किया जाय।

अभी तक प्राप्त की गई सफलताओं पर यदि विचार किया जाय तो इन उपरोक्त तीन चीजों में हमें विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि का लक्ष्य १५ प्रतिशत का था। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि हमारी राष्ट्रीय आय का ४० प्रतिशत भाग कृषि से आता है। कृषि की अवस्था अत्यन्त शोचनीय है। इसका उल्लेख तो लगभग सभी माननीय सदस्यों ने किया है। जब यह योजना बनी ही थी तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के पिछले दो

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० चं० गुह]

वर्षों में अच्छी फसल होने के कारण हालात भी काफी अच्छे हो गये थे, इसीलिये तो कृषि की सहायता को इतना महत्व दिया गया था।

इसी के साथ यह भी बहुत ही आवश्यक है कि देश में बड़े बड़े कारखानों और उद्योगों का विकास हो। परन्तु खाद्य के उत्पादन में वृद्धि होना भी बहुत ही आवश्यक है। ऐसा न करने पर देश को विदेशों से खाद्य आयात करने के लिये विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुझे आशा है कि सरकार और योजना आयोग इस अनुभव से अवश्य कुछ लाभ उठायेंगे। बार बार कहने से कुछ लाभ नहीं, परन्तु यह सत्य है कि हम अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर सकें हैं। कृषि के बारे में तो हमारी प्रगति बिल्कुल भी संतोषप्रद नहीं है। उर्वरकों के आयात में कमी कर देना कोई अच्छी नीति नहीं है। उसके उपयोग से हम उससे कहीं अधिक मूल्य के खाद्यान्न के आयात से बच जाते हैं। अतः उर्वरकों का आयात कम करके रुपया बचाना बचत नहीं कहा जा सकता। श्री मसानी ने तो चौथे इस्पात कारखाने की स्थापना पर ही अधिक ज़ोर दिया है परन्तु मैं यह कहूंगा कि हमें उर्वरक का कारखाना लगाने में प्राथमिकता देनी चाहिये।

राष्ट्रीय आय की २५ प्रतिशत वृद्धि की लक्ष्य पूर्ति को सब से प्रथम धक्का कृषि क्षेत्र में लगा। उद्योगों में भी उत्पादन कम हुआ और हम अपने लक्ष्य से काफी दूर रह गये। हम आगे बढ़ने के स्थान पर पीछे हटने लगे हैं, इसलिये इस बात में सन्देह है कि २५ प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य शायद ही पूरा हो सके। उद्योगों के क्षेत्रों में कई एक लघु उद्योग कच्चे माल के अभाव के कारण बर्बाद हो रहे हैं। इनका उत्पादन भी कम हो रहा है। काफी लोग बेकार हो गये हैं। अतः विश्वास से यह नहीं कहा जा सकता कि तीव्र औद्योगीकरण के लक्ष्य में भी हम पूर्णतः सफल होंगेया नहीं। धनाभाव के कारण बहुत से ऐसे काम भी अधूरे रह रहे हैं जिन्हें अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। हमें तीन इस्पात कारखानों के स्थान पर पहले, दो कारखाने लगाने का काम आरम्भ करना चाहिये था, क्योंकि आरम्भ करने के बाद तो फिर उसके लिये धन की व्यवस्था करनी ही पड़ती है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि और कर लगाने के स्थान पर हमें व्यय में ही बचत करनी चाहिये। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी खर्चे कम करके उद्योगों और खानों के विकास कार्य को प्रोत्साहन देना चाहिये।

योजना को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से हमने ५०० करोड़ अतिरिक्त कर देश में लगाया है। परन्तु उसमें से केवल ४५ करोड़ ही योजना पर खर्च होगा, अर्थात् केवल ९ प्रतिशत बाकी ९१ प्रतिशत सामान्य कार्यों पर ही खर्च हो जायेगा। असैनिक व्यय भी बढ़ रहा है, इससे भी १५ करोड़ की अतिरिक्त राशि बन जाती है। १९५७-५८ और १९५८-५९ के बीच यह व्यय ४१३ करोड़ से बढ़ कर ४४८ करोड़ हो गया है अर्थात् ३५ करोड़ का अन्तर पड़ गया है। इस दफ्तरी व्यय की देख भाल की जानी चाहिये और इसे बढ़ने न देना चाहिये। मुझे विश्वास है कि इसमें बचत की काफी गुंजाइश निकल आयेगी। इस प्रकार सैनिक और असैनिक व्ययों में कमी कर उद्योगों और खानों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।

तीसरा लक्ष्य नियोजन क्षमता की वृद्धि और विस्तार का है। इस दिशा में भी स्थिति निराशाजनक ही है। अतः इन तीन लक्ष्यों के दृष्टिकोण से तो योजना की सफलता की कोई आशा दिखाई नहीं देती। इसके साथ ही मुद्रास्फीति के फलस्वरूप जीवन व्यय की अनुक्रमणिका

भी १९५५–५६ के मुकाबले में १४ प्रतिशत बढ़ गयी है। जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते थे उसके लिये समुचित प्रयत्न नहीं किये बचत, और विनियोजन की अवस्था अच्छी थी, बैंकों में रुपया है परन्तु लोग उद्योगों में नहीं लगाना चाहते और उसके लिये कोई प्रयत्न भी नहीं किया जाता। लोगों के इस असहयोग का उत्तरदायित्व सरकारी वित्तीय नीति पर ही है। इस आर्थिक और सामाजिक बुराई की ओर भी योजना आयोग को ध्यान देना चाहिये और यह देखना चाहिये कि लोगों को किस प्रकार ठीक मार्ग पर डाला जा सकता है।

कुछ भिन्न देशों की सामयिक सहायता से हमारी विदेशी विनिमय की कठिनाइयाँ अभी हाल के लिये तो दूर हो गयी है। परन्तु इसके लिये हमें कितनी कीमत देनी पड़ी है यह हमें अनुभव करना चाहिये। हम ने ५१७ करोड़ का कर्जा लिया है और हमें १९६७–६८ तक ७०० करोड़ देना होगा। अर्थात् ४० प्रतिशत अधिक देना होगा। इससे हमारी योजना का व्यय भी इतना ही बढ़ जायेगा। समस्त परियोजनाओं का खर्चा इस कर्जे के कारण ३० अथवा ४० प्रतिशत बढ़ जायेगा। अभी हमें यह आशा भी नहीं करनी चाहिये कि निकट भविष्य में ही हम अपने दो इस्पात कारखानों से तैयार हुआ इस्पात निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकेंगे। मैं तो नहीं समझता कि हम इस्पात मंडी में विदेशों से मुकाबला कर सकेंगे। इन समस्त कठिनाइयों का एक ही हल दीखता है कि निर्यात बढ़ाया जाये। मुझे आशा है कि योजना मंत्री इस ओर ध्यान देंगे और देखेंगे कि निर्यात का समुचित संवर्धन किया जाता है।

रक्षित बैंक के प्रतिवेदन के अनुसार पटसन, रूई, कपड़ा चाय और कच्चे माल का निर्यात भी कम हो रहा है। यह बड़ी निराशाजनक स्थिति है। परन्तु कोई बात नहीं आखिर हम एक लोकतंत्रीय देश की योजना बना रहे हैं और लोकतंत्रात्मक ढंग में योजना की सफलता में बड़ी कठिनाइयां आती हैं। चीन में भी योजना को कार्यान्वित करने में काफी भूलें हुई, हमें निराश न हो कर, भूलों को सुधारना चाहिये।

†**श्री अजीत सिंह सरहदी** (लुधियाना) : माननीय मंत्री ने मूल योजना में काट-छांट करने के कारण बताये हैं। योजना वास्तव में ही एक जीवित वस्तु होती है और इसका अर्थ यही है कि हमें हालात के अनुसार यदि बदलना पड़े तो बदल जाना चाहिये। हमें योजना आयोग को मुबारक बाद देनी चाहिये कि वह अपने लक्ष्यों से पीछे नहीं हटा। परन्तु समय के अनुसार तो हमें परिवर्तन करने ही पड़ेंगे। स्थिति सरकार के वश में न थी कीमतें बढ़ गयी थी, विदेशी विनिमय की स्थिति बहुत खराब हो गयी थी; अतः कुछ काट-छांट करना ही आवश्यक हो गया। मतभेद का प्रश्न केवल यह है कि प्राथमिकता कहां दी जानी थी।

प्रथम योजना में कृषि पर जोर था और द्वितीय योजना में औद्योगीकरण पर। इस कारण द्वितीय पंच वर्षीय योजना में उद्योगों के लिये सब से अधिक धन आवंटित किया गया। सभी प्रकार के कारखानों के महत्व को स्वीकार करते हुये यह मानना ही पड़ेगा कि योजना का वास्तविक आधार कृषि है और यह आवश्यक है कि इसके विकास की ओर ध्यान देकर खाद्य का उत्पादन बढ़ाया जाये। ज्ञापन के प्रष्ठ ३९ पर भी यही बात कही गयी है। मैं निवेदन करूंगा कि अपने लक्ष्य, भावना और विचारों के बावजद हम कृषि उत्पादन और खाद्यान्नों के अधिक उत्पादन पर समुचित जोर नहीं दे सके। मूल योजना में केन्द्र द्वारा कृषि और सामुदायिक विकास के

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री अजित सिंह सरहदी]

लिये ६५ करोड़ रखा गया था। राज्यों ने ५०३ करोड़ रुपया दिया, अर्थात् यह ५६८ करोड़ रुपया फैल गया। वह कुल राशि का ११.८ प्रतिशत था। अच्छा ही है कि इसमें कोई कमी नहीं की गयी बल्कि इसमें कुछ वृद्धि ही होगी और यह राशि ३१ करोड़ के लगभग हो जायेगी। परन्तु मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि कीमतों में १४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे कृषि उत्पादन का महत्व तो स्पष्ट ही है।

मेरा विनम्र निवेदन है कि योजना आयोग और योजना मंत्री को देश की विकसित अर्थ व्यवस्था में कृषि के महत्वपूर्ण स्थान को स्वीकार करना चाहिये। किन्तु दुःख की बात है कि इस बात पर समुचित जोर नहीं दिया गया। अब इसका एक और पहलू भी है वह यह कि १४ प्रतिशत कीमतों को देखते हुये जो कुछ वृद्धि की गयी है वह काफी नहीं है। और कृषि उत्पादन पर जो ज़ोर दिया गया है उसका भी पता नहीं चलता।

हमें याद रखना चाहिये कि हम कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने जा रहे हैं, उसके लिये महात्मा गांधी जी के कथनानुसार ग्रामों से ही काम आरम्भ करना होगा। विकास खंडों के गांवों से ही काम आरम्भ करना चाहिये। औद्योगिक उन्नति भी देश के लिये आवश्यक है, परन्तु कृषि विकास का महत्व भी अधिक है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना ग्राम विकास खंडों के आधार पर की जा सकती है। इस कारण हमारे देश की विकसित हो रही अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण भिन्न होना चाहिये। ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये कृषि विकास के साथ साथ वहां लघु उद्योगों का भी विकास करना होगा।

किन्तु गांवों में लघु उद्योगों की स्थापना के लिये निर्धारित किये गये व्यय में भी कमी कर दी गई है। मूल योजना में इसके लिये २०० करोड़ की व्यवस्था थी। परन्तु इसे १६० करोड़ कर दिया गया है। यह गलत प्रकार का दृष्टिकोण है, हमें ग्रामों को आत्मनिर्भर करने के लिये समुचित साधन लगाने चाहिये। हमें इसके साथ साथ यह भी सोचना चाहिये कि इस्पात कारखानों के विकास में हमें अन्त में लाभ रहेगा।

मेरी दूसरी बात विनियोजन सम्बन्धी विषमता के बारे में है। उद्योगों के विकास में विभिन्न राज्यों में काफी विषमता है। भारी उद्योगों में तो इसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि इसके लिये विशेष प्रकार की स्थितियों का होना आवश्यक हो जाता है। कच्चा माल आदि भी महत्वपूर्ण पहलू है। जिस पर विचार करना पड़ता है। किन्तु इस कमी को लघु उद्योगों में पूरा किया जा सकता है। पंजाब में, विशेष कर लुधियाना में बहुत से लघु उद्योग हैं उन्हें कच्चा माल प्राप्त करने की बहुत कठिनाई रहती है। उसके लिये उनकी सहायता की जानी चाहिये और भारी उद्योगों में जो विषमता है वह इस दिशा में पूरी की जानी चाहिये। कुछ राज्यों में ग्राम उद्योग तथा लघु उद्योग विकसित किये जाने चाहिये पंजाब में गैर सरकारी क्षेत्र में भी कपड़े की मिलों का निर्माण हो सकता है और इसके लिये सहकारी आधार अपनाया जा सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस दिशा में राज्यों में जो विषमता है उसे दूर किया जाना चाहिये।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : (इटावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियोजन या सैकंड फ़ाइव इअर प्लान पर बोलने के पूर्व सब से पहले माननीय मंत्री का स्वागत करता हूं क्योंकि उन्होंने पहली बार द्वितीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के कम से कम कुछ भाग को स्वीकार किया है। यदि सवेरे का भूला हुआ शाम तक घर आ जाय, तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जा सकता है।

दूसरी बात उन्होंने जो कही है, वह यह है कि उन्होंने देश के सभी दलों से सहयोग की अपील प्रार्थना की है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह बात कंठ से निकली है या हृदय से निकली है। अभी नौ दिन भी नहीं हुये—९ तारीख को हमारे माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने खाद्य समस्या और उत्तर प्रदेश में होने वाले अवैधानिक—गैरकानूनी—कामों पर, जो कि संसदीय संस्थाओं में नहीं होने चाहिये, और वहां पर होने वाली अन्य दुर्घटनाओं पर विचार करने के लिये इसी सदन में दो घंटे का समय दिया था। लेकिन हमें दुख है कि आज वह बाहर हैं और इस सदन से ही नहीं, वह हिन्दुस्तान से भी गायब हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से प्रधान मंत्री महोदय ने खाद्य समस्या को सुलझाने के लिये आश्वासन दिया था, उसी तरीके की यह सहयोग की अपील की गई हो? लेकिन इस से पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, डा० सम्पूर्णानन्द जी, यहां पधारे थे, सहयोग की अपील करने से पहले क्या इस विषय में उन से मश्विरा किया गया था? अगर मश्विरा नहीं किया, तो उत्तर प्रदेश की तरफ़ से मैं बताना चाहता हूं कि अगर आज की स्थिति में नियोजन मंत्री महोदय एक मिनिस्टर की हैसियत से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत हैसियत से वहां जायें और सहयोग की बात करें,तो पुलिस और सी० आई० डी० यह समझ कर कि यह कोई सरकार-विरोधी है, उनको भी वहीं पर बन्द कर देगी, जहां पर कि सदन के चार माननीय सदस्य बन्द हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री जी के साथ आप भी जायेंगे?

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : हम तो जाने वाले ही हैं। मैं तो शायद आज के बाद फिर इस सदन में आप के दर्शन भी नहीं कर सकूंगा।

मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि सहयोग की अपील करने से पहले सहयोग का वातावरण बनाना ज़रूरी है। जब तक सहयोग का वातावरण नहीं बनता है, तब तक ये सब अपीलें बेकार जाती हैं, निरर्थक जाती हैं और उनका कोई भी प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा।

उन्होंने एक नई क्रान्ति के लिये भी अपील की है। पता नहीं वह सामाजिक क्रान्ति है, या राजनीतिक क्रान्ति है या केवल नियोजन में सहयोग की क्रान्ति है। क्रान्ति हमेशा शासकीय दल की तरफ से होती है। अगर आप चाहते हैं कि यह नियोजन कामयाब हो, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना सफल हो, तो इसके लिये सब से पहले क्रान्ति केबिनेट की तरफ से और ट्रेजरी बैंचिज—सरकारी बैंचिज—की तरफ़ से होनी चाहिये। अगर उधर से रेवोल्यूशन होगा, क्रान्ति होगी, तो सारा मुल्क आकर्षित होगा और मुल्क के निवासी जो कुछ कर सकेंगे, वह करने के लिये तैयार होंगे।

किसी भी मुल्क के विकास, तरक्की और उन्नति के लिये योजनाबद्ध कार्य आवश्यक है, लेकिन योजना किसके लिये हो, सब से पहले यह निश्चित करना है। अगर योजना बनाई जाय, तो वह मुट्ठी भर लोगों के लिये बनाई जाये, या करोड़ों लोगों के लिये बनाई जाय, सब से पहले इस बात का निश्चय किया जाना चाहिये। अगर यह निश्चित हो जाय कि योजना किसके लिये हो, तो दोबारा यह विचार किया जा सकता है कि योजना हो कैसे। श्रीमन्, योजना की सफलता और असफलता, या किसी भी मुल्क के विकास और उत्थान को जांचने के लिये कुछ पैमाने होते हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि उस मुल्क ने तरक्की की है या नहीं। हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना सफल हुई है या नहीं, उसके अन्तर्गत मुल्क का कुछ विकास हुआ है या नहीं, यह जानने

[श्री अर्जुन सिंह भदौरिया]

के लिये हम को अपने देश की विभिन्न परिस्थितियों को देखना होगा। यह देखना होगा कि अन्न, आवास, आयात और प्रति व्यक्ति औसत आमदनी के विषय में हमारे देश की क्या स्थिति है, उस में कुछ उन्नति हुई है या नहीं ।

अन्त के प्रश्न पर विचार करने पर यह मालूम पड़ता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना नाकामयाब हुई, क्योंकि अगर वह कामयाब होती, तो अन्न की समस्या हल होती, भूख से मरने वालों की संख्या कम होती। आज कुछ लोग तो अन्न से मर रहे हैं और कुछ लोग भूख की ज्वाला से जल जल कर मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि अन्न का सवाल हल हुआ है।

अन्न के बाद अगर आवास के प्रश्न को लिया जाय, तो हमें ज्ञात होता है कि आज भी हमारे मुल्क के करोड़ों इन्सान खुले आसमान के नीचे धरती का बिस्तर लगा कर सोते हैं । आसमान के नीचे फुटपाथ पर लेटने वाले इन्सानों के लिये अगर झोंपड़ियों का भी इन्तज़ाम किया गया होता, तो यह कहा जा सकता था कि योजना कामयाब हुई है ।

जहां तक आयात का प्रश्न है, जो हिन्दुस्तान किसी समय अन्न का भंडार था, उसमें आज गल्ला विदेशों से आ रहा है और उसके साथ ही साथ शृंगार की सामग्री भी इतनी प्रचुर मात्रा में आती है कि हिन्दुस्तान का करोड़ों और अरबों रुपया, जो कि हमारे काम आ सकता था, विदेशों में जा रहा है। अगर आयात कम हुआ होता, बाहर से आने वाली सामग्री की मात्रा कम हुई होती, तो कहा जा सकता था कि मुल्क ने विकास किया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कामयाब हुई। लेकिन आयात के मामले में भी हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना को बिल्कुल ही नाकामयाब समझते हैं।

इसी तरह से अगर हम औसत आमदनी को लें, तो हम पाते हैं कि १९५० में हमारे उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी २१२ रुपये थी, लेकिन आज वह घट कर १९२ रुपये हो गई है। इसी तरह से भारतवर्ष की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी २९२ रुपये थी, लेकिन वह भी घट रही है। पिछले दिनों **दैनिक हिन्दुस्तान** में एक आर्टिकल निकला था और उसके साथ ही इसी सदन में श्री कृष्ण मेनन ने स्वीकार किया था कि हिन्दुस्तान की औसत आमदनी गिरती चली जा रही है। जब औसत आमदनी गिर रही है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है ?

श्री नन्दा : यह किसी मंत्री के संबंध में कुछ कह रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वह किस बात का उल्लेख कर रहे थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य बतलायेंगे कि श्री कृष्ण मेनन ने कब कहा, कहां कहा और ठीक ठीक क्या कहा ?

श्री अर्जुन सह भदौरिया : जिस प्रसंग में कहा गया है और जो कुछ कहा गया है वह उनकी स्पीच में जोकि डिबेट में है, आपके समक्ष उपस्थित किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ हवाला दीजिये कि कौन सी तारीख को कहा।

श्री अर्जुन सह भदौरिया : मैं केवल यह कह रहा हूं कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। जिस तरह से हमारी पंच-वर्षीय योजना बढ़ती चली जा रही है उसी तरह से हमारे देश के अन्दर

रोग भी बढ़ता चला जा रहा है, मर्ज भी बढ़ता चला जा रहा है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि "नीम हकीम खतराये जान" वाली बात है। आज जिन लोगों के हाथों में गरीब ग्रामीण भारत के नियोजन की बात सुपुर्द की गई है, उन लोगों को हिन्दुस्तान के ग्रामों में रहने वाले लोगों के बारे में सब से कम जानकारी है और यदि यह कहा जाए कि जानकारी है ही नहीं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिये आज अगर विकास किया जा रहा है तो यह सब से पहले दिल्ली का विकास और वह भी नई दिल्ली का किया जा रहा है। उसके बाद अगर विकास होता है तो राज्यों में जो छोटी छोटी राजधानियां हैं, उनका होता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि दो चार या पांच सालों में दिल्ली तो पेरिस बन जायेगी लेकिन जो देहातों में रहने वाले करोड़ों लोग हैं, करोड़ों इन्सान हैं, उनके हड्डियों के ढेर इकट्ठे हो जाएंगे। वे लोग तो उजड़ जायेंगे और दिल्ली पेरिस बन जायेगी। दिल्ली में जो लोग निवास करेंगे वे उसी प्रकार का आनन्द और लुत्फ उठायेंगे जिस प्रकार का आनन्द और लुत्फ लोग पेरिस में उठाते हैं।

मेरा निवेदन यह है कि अगर आप सहयोग की अपील करते हैं, सहयोग मांगते हैं, और चाहते हैं कि आपको सहयोग मिले तो जब योजना तैयार हो, तो उसको तैयार करने से पहले ही सहयोग मांगें और अगर उस वक्त सहयोग मांगा जाए तो उस पर विचार किया जा सकता है। प्लान बनाते वक्त तो आप शीर्षासन करेंगें और जब आप के पैरों का खून आपकी आंखो में आ जायेगा तब अगर आप चाहेंगे कि जनता आपके साथ सहयोग करे तो उस वक्त सहयोग कभी नहीं किया जा सकता है। सहयोग कोई माने नहीं रखता है उस सूरत में जबकि प्लान बनाते समय शीर्षासन करने की जरूरत पड़े। इसलिये अगर सरकार चाहती है कि सारी योजना को कामयाबी से चलाया जाए और चाहती है कि देश का मस्तिष्क ऊंचा हो तो इस सारी की सारी बनी हुई योजना को तोड़ा जाना चाहिये और नए सिरे से नई योजना बनाई जानी चाहिये और इसको नई जिन्दगी दी जानी चाहिये और मिल करके यह तय किया जाना चाहिये कि किस तरह से योजना बनाई जाये जिससे "बहुजन हिताय बहुजन सुखाय" वह बन सके, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आदमियों का हित हो, जिसमें अधिक से अधिक लोगों का सहयोग मिले। ऐसी अगर योजना बनाई जाती है तो विरोधी पक्ष के लोग भी योजना को सफल बनाने में आपसे सहयोग कर सकते हैं।

खाद्य के मामले में अन्न के मामले में, जो संकट आज हमारे सामने उपस्थित है, इसको यदि दूर करना है और इस समस्या को हल करना है तो जो गांवों में बसने वाले किसान हैं और जो भारी कर्ज के बोझे से दबे हुये हैं, उनको उस कर्ज से आपको मुक्त करना होगा जिससे वे उत्पादन को बढ़ा सकें और साथ ही साथ उसका उपभोग भी कर सकें। जब वे उत्पादन बढ़ायेंगे और उसका उपभोग भी आप ही करेंगे तो उनको और दूसरे कर्ज की आवश्यकता नहीं होगी।

आज ६५ करोड़ रुपया फर्टिलाइजर्स की खरीद पर, कृत्रिम खाद पर जो कि विदेशों से मंगाई जा रही है खर्च किया जा रहा है। बजाय इसके कि आप इतना रुपया इस पर खर्च करें अगर इसको रोक करके आप गांवों के अन्दर पड़े हुये कूड़े और करकट को इकट्ठा करके उसका कम्पोस्ट खाद बना दें और उस कम्पोस्ट खाद के लिये किसानों को सबसिडी या सहायता दी जाये तो वहां रहने वाले लोगों के अन्दर कुछ प्रेरणा आ सकती है, कुछ उनके अन्दर उत्साह पैदा हो सकता है। ऐसा अगर किया जाये तो विदेशों से खाद मंगाने की या मिलों और कारखानों से खाद खरीदने की जरूरत आपको महसूस नहीं होगी। आपने कहा है कि यह जो ६५ करोड़ रुपया है यह रुपया विदेशों से प्राप्त होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जो कुछ भी आश्वासन अभी आपको इंग्लैंड और अमरीका

[श्री अर्जुन सिंह भदौरिया]

से प्राप्त हो रहे हैं और आज जो बयान हमारे नियोजन मंत्री महोदय ने दिया है, जिसमें कि उन्होंने कुछ असफलता की बात कही है, उसको देखते हुये कहीं ऐसा न हो कि अमरीका वाले तथा दूसरे लोग यह सोच करके कि जो योजना है वह फेल हो रही है इसलिये क्यों कर्ज दिया जाये, वे कर्ज ही न दें। हमको डर मालूम पड़ता है कि जो भी कर्ज़ के आश्वासन मिले हैं कहीं ऐसा न हो कि उनको पूरा ही न किया जाए, विदेशों से जो पूंजि आने वाली है या विदेशों से जो कर्ज़ की राशि आने वाली है वह कहीं रुक न जाये। इस वास्ते मैं चाहूंगा कि आप विदेशों के ऊपर निर्भर रह करके कोई योजना तैयार न करें। हमको अगर योजना को तैयार करना है, तो अपने साधनों के मुताबिक, अपनी शक्ति को देखते हुये ही तैयार करना है। तेते पांच पसारिये, जेती लम्बी सौर। हमको उतने ही पांव पसारने चाहियें जितनी लम्बी चादर हो। लेकिन यहां पर बिल्कुल ही उलटा होता है। सब से पहले यह देखा जाता है कि हमारा खर्चा कितना होगा, विभाग अपने अपने खर्चे को डिपार्टमेंट के पास भेजते हैं और जब सब खर्चे आ जाते हैं तब देखा जाता है कि हमारी आमदनी कितनी होगी। जब पता चलता है कि हमारी आमदनी कम होगी तो बाद में उतना कर्जा लाद दिया जाता है या टैक्स लगा दिये जाते हैं। ऐसा न करके सब से पहले देखा जाये कि हमारी आमदनी कितनी है और जितनी आमदनी हो, उसी के अन्तर्गत रहते हुये हमको खर्च भी करना चाहिये। अगर इस तरह से आप बजटिंग करेंगे, अगर आप आमदनी और खर्चे को देख करके प्लान बनायेंगे और देश को उस तरह से चलायेंगे तो यह बहुत मुम्किन है कि हम थोड़े दिनों के अन्दर उस योजना को जो कि बहुत दिनों से चली आ रही है फिर भी वहीं है, आगे बढ़ा सकें और जो कमी है उसको दूर कर सकें।

खाद की बाबत अब मैं और एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। हमारे मुल्क के अन्दर इंसान से निकलने वाले मलमूत्र की जो शक्ति है वह एक मन अमोनियम सलफेट के बराबर होती है। हमारे मुल्क के ८० प्रति इंसान देहातों में रहते हैं। मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार और विशेषकर हमारे नियोजन मंत्री महोदय वह वैज्ञानिकों से अपील करें तथा कुछ नए वैज्ञानिक इस चीज़ को देखने के लिये नियुक्त करें कि देहातों और शहरों में नष्ट होने वाले मलमूत्र को खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है और किस तरह से उसका पूरा पूरा उपयोग हो सकता है, इस पर विचार करें और उपाय सुझायें। अगर उसका अच्छी तरह से उपयोग किया गया तो मैं आपको बतला सकता हूं कि अन्न का उत्पादन बढ़ सकता है।

कृषि के साथ साथ मैं आबपाशी के संबंध में भी कुछ कहना चाहूंगा। जब तक अच्छी सिंचाई का इंतिजाम नहीं होगा अन्न की पैदावार को बढ़ाया नहीं जा सकता है। अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिये यह जो भाखड़ा नंगल योजना आपने हाथ में ली है और जिसको दस वर्षों से आप बना रहे हैं, तथा जिस पर आप अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं और जहां पर कभी बांध टूटता है, कभी आपको घाटा पड़ता है, कभी वहां चोरी होती है, उसको पकड़ते हैं और इतना होने पर भी तथा इतना रुपया खर्च कर चुकने के बाद भी आप यह नहीं कह सकते कि उसके पूरा होने में अभी कितने वर्ष और लगेंगे, इसके बजाय आप छोटे छोटे कुएं बनवा करके और उन कुओं में रहट लगा कर के हर साल दस लाख कुएं गांव वालों को दें तो आपकी पैदावार कई गुना बढ़ सकती है। एक कुएं से २० एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है। इस हिसाब से अगर आप दस लाख कुएं बनवा दें तो दो करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई आसानी से हो सकती है। अगर इन छोटी छोटी योजनाओं को हाथ में लिया गया होता तो

इन पिछले दस सालों में बीस करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई का इंतिजाम हो गया होता। अब भी समय है कि इस पर गौर किया जाए और इसको अमल में लाया जाए।

योजना के बारे में एक बात मुझे यह कहनी है कि

"अभी और जीता मरीजे मुहब्बत
तबीबो तुम्हारी दवाओं ने मारा"

ये जो आपकी दवायें हैं, ये जो आपकी अदायें हैं, ये सारे हिन्दुस्तान को मारती हुई चली जा रही हैं। इस वास्ते हमको बुनियादी तौर पर विचार करना है कि हिन्दुस्तान को नए ढांचे में ढालने के लिये, हिन्दुस्तान को नए आधार पर बनाने के लिये, हमें किस अर्थ व्यवस्था का सहारा लेना है। ऊपरी तौर पर अगर कोई योजना बनाई जाती है तो वह किसी काम की नहीं हो सकती है। हमने योजाना बनाते समय अमरीका की या दूसरे मुल्कों की नकल की है और इस तरह से नकल करके हमरा काम नहीं चल सकता है। हमको उस योजना को विकेन्द्रित आधार पर बनाना चाहिये था, उसका निर्माण करना चाहिये था और अगर ऐसा किया गया होता तो यह योजना कामयाब हो सकती थी। मेरा निवेदन यह है कि योजना बनाने के पूर्व इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये था कि बेकारी किस तरह से दूर की जा कसती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुतवातिर हमारे मुल्क के अन्दर बेकारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और आज हालत यह है कि हमारे मुल्क के अन्दर लगभग ७ करोड़ इंसान बेकार हैं। इन ७ करोड़ इन्सानों को काम देने के लिये आप बड़ी बड़ी मिलें, शकर मिलें, कपड़ा मिलें, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन बड़ी बड़ी मिलों से ७ करोड़ इन्सानों को काम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम शकर की मिल चलाते हैं तो एक मिल में १ करोड़ रुपया खर्च होता है और उस १ करोड़ रु० को खर्च करने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा १,००० आदमियों को काम दे सकते हैं। इसी तरह से अगर एक कपड़ा मिल बिठाई जाय तो उस में २ करोड़ रु० लगता है लेकिन १,००० आदमियों से ज्यादा को काम नहीं मिल सकता है। आप बड़ी बड़ी मिलें बना कर बेकारी को दूर नहीं कर सकते हैं। इस लिये अगर आप छोटे छोटे उद्योग धंधों को शुरू करें, छोटे छोटे काम चलायें, तो उन से ज्यादा आदमियों को काम दे सकते हैं। इस लिये विकेन्द्रित अर्थनीति पर काम किया जाय तो उस से मुमकिन है कि बेकारी को दूर कर सकें और इस समस्या को सुलझा सकें।

श्री नरदेव स्नातक (अलीगढ़ रक्षित–अनुसूचित–जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में द्वितीय पंच वर्षीय योजना के बारे में कुछ बातें रक्खीं। यदि आप को किसी भी देश के स्टैंडर्ड आफ लिविंग को देखना है, तो सब से पहले आप को यह देखना होगा कि उस देश के रहने वालों का स्तर कैसा है। पहली पंचवर्षीय योजना के अन्दर हम ने जो लक्ष्य रक्खे थे, उनमें हम ने बहुत कुछ कामयाबी प्राप्त की और बहुत सी चीजों में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। परन्तु जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम ने करीब ४८ अरब रुपये के खर्च का अनुमान लगाया था। उसके बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण उस में कुछ कमी कर दी गई और वह ४८ अरब रुपया घटा कर ४५ अरब कर दिया गया। फिर कुछ सरकारी महकमों में आवश्यकता समझी गई, माननीय मंत्री जी ने समझा, योजना आयोग के सदस्यों ने समझा कि कुछ सरकारी महकमों में हमें और काम करना चाहिये। इस लिये धन की राशि बढ़ गई और अब डेढ़ सौ करोड़ और बढ़ा दिया गया। इस तरह से अब द्वितीय पंच वर्षीययोजना में

[श्री नरदेव स्नातक]

कुल मिला कर साढ़े ४६ अरब रुपया रक्खा गया है। यदि इसी तरह से हम कुछ महीनों के बाद या एक साल के बाद अपनी योजना में और वृद्धि करते गये तो मैं समझता हूं कि यह खर्च ५० अरब रुपये तक पहुंच जायेगा। मंत्री महोदय तथा आयोग के अन्य सदस्यों ने यह सोचा कि जो डेढ़ सौ करोड़ रुपये की कमी है उसको पूरा किया जाय और उसके लिये उन्होंने दो तीन सुझाव रक्खे कि उसके अनुसार रुपया लिया जाय। उसके लिये उन्होंने कहा कि ५० करोड़ रु० अल्प बचत योजना से लिया जाय, ३० करोड़ रु० जो सरकार के असम्बद्ध खर्च बढ़ गये हैं उनसे काटा जाय और ६० करोड़ रु० नये टैक्सेशन से वसूल किया जाय। प्लैनिंग कमिशन की ओर से इस तरह के सुझाव रक्खे गये।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि पहले और दूसरे सुझाव तो माने जा सकते हैं, अल्प बचत योजना से और सरकार का जो असम्बद्ध खर्च है, उस में कमी करके तो रुपया वसूल किया जा सकता है, परन्तु तीसरा जो सुझाव है कि रुपया टैक्सेशन से वसूल किया जाय, देश में फैली हुई बेकारी और मन्दी के कारण उस का वसूल करना कठिन होगा। राज्य सरकारों को वैसे ही जो १४ करोड़ रु० जो करों से वसूल करना है, वह वसूल नहीं हो सका है, उस के ऊपर यदि यह ६० करोड़ रुपया और वसूल किया जायगा तो वह सम्भव नहीं हो सकेगा। जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं, ऐसे टैक्स लगाये जाने पर उनके खिलाफ घातक प्रोपैगैन्डा और ऐजिटेशन करने का उनको अवसर मिलेगा। और जो सुझाव मंत्री महोदय ने ६० करोड़ रु० वसूल करने का रक्खा है वह कभी पूर्ण नहीं हो सकेगा। मेरा कहना यह है, और मैं समझता हूं कि अन्य माननीय सदस्य भी मुझ से सहमत होंगे कि जो हमारी अल्प बचत योजना है, उस को ज्यादा क्रियाशील बनाया जाय और इसके साथ ही साथ जो हमारा टैक्स वसूल करने का तरीका है उस को भी ठीक किया जाय। इस में सब से बड़ी बात यह है कि टैक्स वसूल करने के लिये जो लोग गांव में जाते हैं उनकी वसूली का ढंग बहुत खराब है जिससे कि उनको पूरा धन वसूल नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट को चाहिये कि वह अच्छे लोग रक्खे ताकि जो लोग आज गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते उन से ज्यादा से ज्यादा वसूल किया जाय। यदि आप इस तरह से करेंगे तो मैं समझता हूं कि जनता के ऊपर भी बहुत बोझ नहीं पड़ेगा और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जिसके लिये कहा जा रहा है कि वह असफल हो रही है, हमें असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा।

हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कृषि के संबंध में कुछ सुझाव आप के सामने रक्खे, कुछ सदस्यों ने उद्योग धंधों के बारे में सुझाव रक्खे और कुछ ने शिक्षा के बारे में सुझाव रक्खे। आप जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। इस में रहने वाले ८० फी सदी व्यक्ति किसान हैं। इस लिये हमारे यहां कृषि का जो स्तर है, वह बहुत ऊंचा होना चाहिये। आज कृषि के संबंध में भारत सरकार या राज्य सरकारें जो योजनायें बना रही हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि वे केवल पुस्तकों में ही रख दी जाती हैं। आज बड़े बड़े अफसर, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इस लिये कि उन को पैदल न चलना पड़े, किसी एक स्थान पर पहुंच जाते हैं। वे शहरों की थोड़ी बहुत बातें कभी कभी वहां के लोगों को बता भी देते हैं। लेकिन जो हमारे ग्रामों में रहने वाली जनता है वह कृषि के बारे में, जो अफसर कृषि के विशेषज्ञ कहे जाते हैं, उन से कहीं ज्यादा जानती है। लेकिन हमारी सरकार ऐसे लोगों को भेजती है, जिसका फल यह होता है कि हमारी कृषि की जो उन्नति होनी चाहिये वह नहीं हो पाती है। मेरा माननीय मंत्री जी से यह कहना है कि इस पर जो खर्च हो रहा है उसे रोका जाय। भारत चूंकि एक कृषि प्रधान देश है इस लिये उसी में कृषि की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाय जिस से कि

हमारे यहां अन्न का उत्पादन बढ़ सके और जो अरबों रुपया हम बाहर से अन्न मंगाने के लिये खर्च करते हैं उसे बचाया जाय ताकि अपनी द्वितीय पंच वर्षीय योजना के खर्च में जो काट छांट हमें करनी पड़ रही है उस से हम बच सकें। आज हमारी सरकार अन्न के मामले में बहुत परेशान दिखाई पड़ती है और हम विदेशों को अपना पैसा अन्न मंगाने के लिये भेजते हैं। मैं चाहूंगा कि वह समय आये जब कि हमें इस मामले में अपना धन व्यय न करना पड़े। हम अपने देश को कृषि के बारे में ज्यादा से ज्यादा उन्नतिशील बनायें ताकि हम अपने ही पैरों पर खड़े हो सकें। एक ऐसा वक्त था जब कि हम दुनिया को अन्न और खाने की चीज़ों को देते थे, लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमें इन चीजों को दूसरे देशों से मंगाना पड़ रहा है, मैं चाहता हूं कि इस स्थिति का अन्त हो।

दूसरी चीज यह कही गई है कि उद्योग धंधों की उन्नति होनी चाहिये, काटेज इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज की उन्नति के लिये हमें कल कारखाने खोलने चाहियें। यह ठीक है कि आज देश के अन्दर बहुत सी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, कहीं कोई बांध बन रहा है, कहीं नहरें खुद रही हैं, न मालूम कितने तरह के काम हो रहे हैं। लेकिन जरूरत यह है कि राज्यों के अन्दर छोटे छोटे उद्योग धंधों को आरम्भ किया जाय, जिलों के अन्दर और गांवों के अन्दर उन का प्रसार किया जाय। मैं समझता हूं कि इसी तरह से हमारी जनता अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी और आज जो अरबों रुपया खर्च कर के हम बाहर से चीजें मंगाते हैं उनको न मंगा कर अपने ही देश में पैदा कर सकेंगे।

एक बात मुझे और कहनी है और वह यह कि यह तो ठीक है कि आज हमारे बहुत से विभाग खुल गये और बहुत सी चीजें और कार्य हमारे देश के अन्दर चल रहे हैं। मेरा यह कहना है कि यह तो ठीक है कि हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा है और गुलामी के बाद हमको आजादी मिली है और इन १०, ११ वर्षों के दौरान में हमने देश में काफी तरक्की की। उसके साथ साथ हमारी सरकार भी यह चाहती है कि बहुत से उद्योग धंधे और बहुत से कल कारखाने इस देश में खोले और खुल भी गये हैं। मेरा यह कहना है कि इतनी चीजों को और इतने विस्तार को न बढ़ाया जाय जिससे कि उसको समेटने में भी परेशानी हो। थोड़ा थोड़ा करके चीजों को बढ़ाया जाय और जब उसमें पूर्णता प्राप्त हो जाय तब दूसरी दूसरी चीजें जनता के सामने रक्खी जायं। ऐसा न हो कि सैंकड़ों चीजें एक साथ फैला दी जायें और उनको समेटने में परेशानी अनुभव हो। मेरा प्लानिंग कमिशन के मेम्बरों से कहना है कि वह योजनाओं को थोड़े रूप में और एक ऐसे आकर्षक ढंग से रक्खें जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधरे और हमारा जो रहन सहन का स्तर है वह ऊंचा उठे। इसलिये माननीय मंत्री से यह कहना है कि वह इस देश में जो घरेलू छोटे मोटे उद्योग धंधे और कौटेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी तरफ ध्यान दें और उनको प्रोत्साहन दें।

तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है और वह यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप जानते हैं कि हमारा देश किसी जमाने में जगतगुरू कहा जाता था। दुनिया के दूसरे देश वाले यहां पर आते थे और यहां से विज्ञान आदि विषयों की चीजें सीख सीख कर जाते थे। आज दुर्भाग्य का विषय यह है कि हमारे देशवासी दूसरे देशों में शिक्षा के लिये जाते हैं और वहां से बहुत सी चीजें सीख कर अपने देश में आते हैं। मेरा प्लानिंग कमिशन के मेम्बरों से यह कहना है कि वह अपने योजनाओं के अन्दर सब से पहले इस देश की जो संस्कृति है जो यहां की शिक्षा है जो यहां का आदर्श है, उसकी ओर ध्यान दें ताकि उनका विस्तार ज्यादा से ज्यादा इस देश के अन्दर हो जिससे ऐसा न हो कि दूसरे मुल्क वाले यह सोचें कि इन ११ वर्षों के बाद भी देश वहीं का वहीं है जहां कि वह अंग्रेजों के राज्य में था। जो अंग्रेजियत इस देश के अन्दर अंग्रेजों के शासनकाल में फैली, वह अंग्रेजियत आज हम

[श्री नरदेव स्नातक]

देखते हैं कि हालांकि अंग्रेज हिन्दुस्तान से चले गये हैं लेकिन उस अंग्रेजियत का यहां पर खूब बोल-बाला है। ऐसा न हो कि आज हालांकि हम आजाद हो गये हैं लेकिन दूसरे देश वाले हम हिन्दुस्तानियों को गुलाम ही ख्याल करें। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी हमको आजाद समझें।

यह ठीक है कि हमारे देश ने पिछले कई वर्षों में काफी उन्नति की है और उसके कारण दूसरे देशवासी हिन्दुस्तान के रहने वालों को बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। लेकिन जब हम अपने देश के अन्दर निगाह डालते हैं तो हम देखते हैं कि हर काम में जो भी यहां पर शुरू किये जाते हैं, जब तक विदेशी लोग यहां के देशवासियों को उनको सिखाते नहीं, तब तक हमारे लोग उन कामों को करने में असमर्थ रहते हैं। हमें बहुत कुछ उन कामों के लिये विदेशियों पर निर्भर रहना पड़ता है। हमें स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना है ताकि हम अपनी शिक्षा के स्तर को ऊंचा कर सकें अपनी संस्कृति और अपने विचारों का ज्यादा से ज्यादा इस देश के अन्दर प्रचार और विस्तार कर सकें। मंत्री महोदय से मेरा यह कहना है कि शिक्षा के बारे में वह ध्यान दें।

चौथी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि जो हमारे बैकवर्ड क्लासेज और शैडयूल्ड कास्ट्स के भाई हैं आज वे हर तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में वे सवर्ण लोगों की अपेक्षा बहुत पिछड़े हुए हैं और उनका स्टैंडर्ड बहुत नीचे गिर गया है। मैं यह चाहता हूं कि प्रयोग की आयोजना के अन्दर कोई ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिये ताकि जो पिछड़े कहे जाने वाले लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स् के लोग जिनकी कि आबादी देश की कुल जनसंख्या की आधे से ज्यादा है, उनकी हालत सुधारी जाय और ऐसा न हो कि वे वैसे के वैसे ही बैकवर्ड और पिछड़े हुये बने रहें। ऐसा न हो कि आप अपनी योजना के अन्दर अरबों रुपया खर्च करते रहें और वे नेगलेक्टेड लोग फिर भी नेगलेक्टेड रहें और उससे फ्रस्ट्रेट होकर वे बहक जायं और सवर्ण जाति के लोगों का एक अलग दल बन जाय और यह नीचे गिरे हुये अछूत और बैकवर्ड क्लासेज के लोग अपना एक अलग दल बना लें और कहीं वे यह न सोचने लगें कि जब यह सरकार हमारी दशा सुधारने की ओर कोई ध्यान नहीं देती तो फिर हम अपना कोई अलग ब्लाक क्यों न बना लें और उधर सवर्ण लोग अपना एक अलग दल बना लें। मैं समझता हूं कि सरकार की ऐसी मंशा कदापि नहीं है और न ही यहां के देशवासियों की ही ऐसी मंशा हो सकती है। लेकिन मैंने जिस खतरे की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये और इन लोगों की आर्थिक अवस्था में सुधार करना चाहिये और शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना चाहिये और उनके रहन सहन के स्तर को भी उन्नत करना चाहिये। यदि आप इस प्रकार का प्रयत्न करेंगे तो मुझे आशा है कि हमारा देश सच्चे अर्थों में एक स्वतंत्र और उन्नतिशील राष्ट्र कहलाने का अधिकारी होगा। भारत को आजादी मिलने के बाद इधर १०, ११ वर्षों में जो उसने योजनाएं बनाई हैं और जिन पर उसने काम भी किया है वह सराहनीय है और मुझे आशा है कि अगर इसी तरह हम सावधान होकर कार्य करते रहे और काम करने में जुटे रहे तो हमारे देश का स्टैंडर्ड सब दृष्टियों से इतना ऊंचा हो जायगा कि जिससे अन्य देशवासी यह कहेंगे कि वह हिन्दुस्तान जो कि सैंकड़ों वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, वह अब आजादी की सांस ले रहा है और वह हाथ पर हाथ धर कर बैठा हुआ नहीं है वरन् राष्ट्र निर्माण के काम में जुटा हुआ है और दुनियां की उन्नति में अपना भाग अदा कर रहा है। मंत्री महोदय से मेरा यही निवेदन है कि जिन दो, चार बातों की ओर मैंने उनका ध्यान दिलाया है उनकी ओर वे गम्भीरतापूर्वक

ध्यान देंगे और ऐसा करने से मुझे विश्वास है कि जिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना को आप पूरा करना चाहते हैं उसको आप कामयाबी के साथ पूरा कर सकेंगे ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद--बिहार) : इस समय हमारे देश की आवश्यकता यह है कि वर्तमान जीवन स्तर को कायम रखा जाय, यही बात उस दिन वाणिज्य संघ की सभा में भाषण देते हुये प्रधान मंत्री ने भी कही थी। हमें ४००० करोड़ रुपये के विनियोजन वाली योजना चाहिये । वैसे तो योजना का परिमाण ठीक ही था, परन्तु दुर्भाग्यवश हालात के अनुसार उसमें परिवर्तन करना पड़ा ।

मई १९५८ में योजना आयोग ने कहा था कि योजना के लिये २४० करोड़ रुपये और चाहियें। परन्तु उसके बाद ही उन्होंने कहा कि यह कमी ३०० से ३५० करोड़ तक की होगी । पता नहीं यह आयोग कभी ठीक हिसाब भी लगायेगा या नहीं या कि प्रत्येक बार इसी प्रकार निर्णय बदलते जायेंगे। इसी प्रकार इस्पात कारखानों का व्यय भी ३५० का ४९५ करोड़ बन गया है। इसका समाज सेवा संबंधी हो रहे कार्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा । योजना आयोग को बड़ी छानबीन करके अन्तिम निर्णय करना चाहिये । हम आशा करते हैं कि यह पुनरीक्षण अब अन्तिम ही होगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें। स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १५ और १८ भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (हापुड़) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १५ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १८ प्रस्तुत करती हूं ।

इस के पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, १९ सितम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, १८ सितम्बर, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . .	३४३५—५७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३५०	पंजाब के लिये राज्य विद्युत् बोर्ड . .	३४३५—३७
१३५१	पालम हवाई अड्डा . . .	३४३७–३८
१३५४	ग्योनखाली में सहायक पत्तन की स्थापना . .	३४३९–४०
१३५६	राजस्व तथा खंड विकास अधिकारी . .	३४४०–४१
१३५७	सहायक स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण .	३४४१—४३
१३५८	भारतीय रेलों में डकेतियां . .	३४४३—४६
१३५९	टेल्को के रेल इंजन .	३४४६–४७
१३६०	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	३४४७—४९
१३६१	चावल का आयात .	३४४९–५०
१३६२	दिल्ली में बसों की कमी	३४५०–५१
१३६३	दामोदर घाटी परियोजना	३४५१–५२
१३६४	निमतीता और तिलडांगा स्टेशनों के बीच की बी० ए० के० लूप लाइन	३४५२—५४
१३६५	सार्वजनिक टेलीफोनों की मशीनों में डालने के लिये दशमिक प्रणाली के सिक्कों का प्रयोग .	३४५४–५५
१३६७	विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स लिमिटेड, खड्डा .	३४५५—५७
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३४५७—३५१९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३५२	हवाई जहाज में तेल भरने की मशीन (एयर क्राफ्ट रीफ्यूलर) का निर्माण	३४५७
१३५३	दिल्ली में भूमि का कटाव	३४५८
१३५५	हिमाचल प्रदेश में वैद्य	३४५८

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१३६६	रसायनों का जहाज से उतारा जाना	३४५८–५९
१३६८	पत्तन मजदूरों की मजूरी	३४५९
१३६९	लार्ड विलिंगडन––ड्रेजर	३४५९
१३७०	नौटघाट (उत्तर प्रदेश) में पुल	३४५९–६०
१३७१	बैल गाड़ियां	३४६०
१३७२	हिमाचल प्रदेश में डेरी फार्म	३४६०–६१
१३७३	सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड	३४६१
१३७४	रेल मार्ग की मीलों में लम्बाई	३४६१
१३७५	त्रिपुरा को रेलवे लाइन	३४६१–६२
१३७६	दूध उत्पादन	३४६२
१३७७	मनमाड में रेलवे का ऊपरी पुल	३४६२
१३७८	सिलीगुडी और कटिहार के बीच रेलवे लाइन	३४६३
१३७९	जिया-भरेली नदी पर पुल	३४६३
१३८१	राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में वर्षा न होना	३५६४
१३८२	ब्यास नदी पर बांध	३४६४
१३८३	बिहार की खाद्य स्थिति	३४६४–६५
१३८४	हिमाचल प्रदेश में वैद्य और हकीम	३४६५
१३८५	पोत स्वामियों के दायित्वों संबंधी अभिसमय	३४६५
१३८६	रेलवे सुरक्षा दल में भर्ती	३४६५–६६
१३८७	निर्यात के लिये जहाजी स्थान की बॉट	३४६६
१३८८	भंगी बस्ती, नई दिल्ली	३४६६
१३८९	भारवाही पोत के साथ दुर्घटना	३४६७
१३९०	बिहार में बाढ़	३४६७
१३९१	ग्राम्य ऋण	३४६७–६८
१३९२	परिवहन सहकारी संस्थायें	३४६८
१३९३	जहाज के अन्दर छिपकर बैठ कर जाने वाले लोगों के संबंध में अभिसमय	३४६८
१३९४	पश्चिमी बंगाल में खाद्य स्थिति	३४६९
१३९५	उत्तरी गेहूं क्षेत्र	३४६९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

२२६४	विभागीय भोजन व्यवस्था . .	३४६९–७०
२२६५	बम्बई राज्य में नदियों पर पुल का निर्माण .	३४७०
२२६६	मध्य रेलवे में भर्ती किये गये नैमित्तिक श्रमिक	३४७०
२२६७	मध्य रेलवे का सीमा कर	३४७०
२२६८	आंध्र में बीज फार्म	३४७०–७१
२२६९	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना . .	३४७१
२२७०	लुम्डिंग और बदरपुर के बीच सीधी गाड़ी .	३४७१–७२
२२७१	बिना टिकट यात्रा	३४७२–७३
२२७२	राजस्थान में पर्यटन का विकास	३४७३
२२७३	दूध की प्राप्ति	३४७३
२२७४	डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये पहाड़ी भत्ता	३४७४
२२७५	मसुलीपटम-बेजवाडा की छोटी लाइन को बड़ी लाइन बनाना	३४७४
२२७६	राजस्थान में कृषि का विकास	३४७४
२२७७	पश्चिम रेलवे पर स्टेशन .	३४७५
२२७८	उड़ीसा में अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन . .	३४७५
२२७९	सडक तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन मंत्रणा समिति .	३४७५
२२८०	नदी बोर्ड अधिनियम, १९५६, और अन्तर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत नियम .	३४७५–७६
२२८१	राज्यों में छोटे सिंचाई कार्य	३४७६
२२८२	गाड़ियों का देर से आना	३४७६–७७
२२८३	पंजाब में भूमि संरक्षण	३४७७–७८
२२८४	सार्वजनिक टेलीफोनों से हुई हानि	३४७८
२२८५	पंजाब में धान और चावल का मूल्य .	३४७८
२२८६	दिल्ली के गांवों में कीड़ों को नष्ट करना .	३४७९
२२८७	उत्तर रेलवे में सार्वजनिक टेलीफोन . .	३४७९
२२८८	औषध तथा चामत्कारिक उपचार अधिनियम, १९५४ को लागू करना	३४८०
२२८९	सिन्कोना की खेती . .	३४८०–८१
२२९०	लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज, नई दिल्ली .	३४८१
२२९१	त्रिपुरा में भूमि का दिया जाना	३४८१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या		
२२९२	रामगढ़ छावनी स्टेशन और मुरी जंक्शन की आय	३४८१–८२
२२९३	जल विद्युत् योजनायें	३४८२
२२९४	भारतीय कृषि गवेषणा परिषद्	३४८२
२२९५	हिमाचल प्रदेश में वनोषधियां	३४८३
२२९६	हिमाचल प्रदेश में बिजली लगाना	३४८३–८४
२२९७	बिजली की रेल चलाने की योजना	३४८४
२२९८	भारतीय रेलों में पानी पिलाने वाले	३४८४
२२९९	कोटा और रतलाम डिवीजनों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	३४८४–८५
२३००	भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के अधीन कौबाल्ट-६० क्षेत्र	३४८५
२३०१	दक्षिणी राज्यों की विद्युत् व्यवस्था	३४८५–८६
२३०२	स्टीमर कम्पनियों का सम्मेलन	३४८६–८७
२३०३	अधिक साग सब्जियां उगाओ	३४८७
२३०४	यात्रियों के परिवहन के संबंध में अभिसमय	३४८७
२३०५	सहकारिता संबंधी प्रशिक्षण	३४८८
२३०६	डाकघरों में चैक प्रणाली	३४८८
२३०७	केन्द्रीय विपणन संस्था, त्रिपुरा	३४८८–८९
२३०८	परिवार आयोजन	३४८९–९०
२३०९	गाड़ी में चलने वाले टिकट परीक्षक	३४९०
२३१०	इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन द्वारा 'अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों' का वर्गीकरण	३४९०–९१
२३११	खाद्यान्नों का अधिग्रहण	३४९१
२३१२	सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय	३४९१
२३१३	अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद्	३४९१–९२
२३१४	'चिऊरा वृक्ष'	३४९२
२३१५	उत्तर रेलवे में स्टेशनों पर बिजली लगाना	३४९२
२३१६	रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टाल	३४९३
२३१७	खादी	३४९४
२३१८	पंजाब में नई रेलवे लाइनें	३४९४
२३१९	जल संभरण तथा जल निस्सारण योजनायें	३४९४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२३२०	पंजाब में गोशालाओं का विकास	३४९५
२३२१	बिना टिकट यात्रा	३४९५
२३२२	यात्री सुविधायें	३४९५-९६
२३२३	सतर्कता पदाधिकारी	३४९६-९७
२३२४	बिना टिकट फेरी वाले	३४९७-९८
२३२५	दिल्ली में मकानों के नक्शे	३४९८-९९
२३२६	रेलवे कर्मचारियों में तपेदिक के रोगी	३४९९
२३२७	खड़गपुर हाई स्कूल	३४९९
२३२८	उड़ीसा में तपेदिक की रोकथाम	३४९९
२३२९	मेडिकल स्टोर डिपो के कर्मचारी	३५००
२३३०	दत्ता (बोर्ड) बनाने की प्रक्रिया	३५००
२३३१	भूतपूर्व नार्थ वैस्टर्न रेलवे के कर्मचारी	३५००
२३३२	अंक सूची	३५०१
२३३३	ग्राम सहायक	३५०१
२३३४	रेलवे वर्कशाप के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	३५०१
२३३५	महाराष्ट्र में कोंकण रेलवे	३५०१-०२
२३३६	मिरज स्टेशन के निकट पुल का निर्माण	३५०२
२३३७	मद्रास सैन्ट्रल स्टेशन पर रेलवे पार्सलों का जमाव	३५०२
२३३८	गंडक नदी पर पुल	३५०३
२३३९	नवीन सहकारी ऋण समितियां	३५०३-०४
२३४०	रेलवे दुर्घटनायें	३५०४-०५
२३४१	केन्द्रीय चावल समिति	३५०५
२३४२	पंजाब में सिंचाई संबंधी कार्य	३५०५
२३४३	डी-४ थ्रेशर और ग्रेडर	३५०६
२३४४	अमेरिका से गेहूं	३५०६
२३४५	जनरल मैनेजरों का सम्मेलन	३५०६
२३४६	चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारी	३५०६
२३४७	रायपुर-वाल्टेयर रेलवे लाइन में रेलवे सम्पत्ति की चोरी	३५०७
२३४८	यातायात संबंधी अपराध	३५०७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्न के लिखित उत्तर—(क्रमश:)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२३४९	रामावरम् में रेलवे स्टेशन खोलना . . .	३५०७-०८
२३५०	अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये रियायतें	३५०८
२३५१	किलोकडी, दिल्ली में बिजलीघर	३५०८
२३५२	भारत में 'सी' विद्युत् केन्द्र	३५०८-०९
२३५३	पंजाब में मेडिकल कालेज .	३५०९
२३५४	सामुदायिक विकास खंडों में सिंचाई की छोटी योजनायें	३५०९
२३५५	पंजाब में सहकारी चीनी फैक्टरियां	३५१०
२३५६	पंजाब में उचित मूल्य वाली दुकानें	३५१०
२३५७	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के कर्मचारी .	३५१०
२३५८	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के कर्मचारी	३५११
२३५९	परिवहन तथा संचार मंत्रालय के कर्मचारी	३५११
२३६०	कोल्हापुर रेलवे स्टेशन	३५११-१२
२३६१	गन्ना	३५१२-१३
२३६२	गोसदन . . .	३५१३
२३६३	खंडसारी के कारखाने . .	३५१३-१४
२३६४	पूर्व रेलवे के सियालदा डिवीजन की 'लोकल' गाड़ियों में खतरे की जंजीर .	३५१४
२३६५	चोरी छिपे लाई गई घड़ियां .	३५१४
२३६६	अमृतकौर पुरी, दिल्ली, में मकान	३५१४-१५
२३६७	दानेदार चीनी का उत्पादन .	३५१५
२३६८	मथुरा का डाकघर . .	३५१५
२३६९	देहरादून में हवाई अड्डा	३५१६
२३७०	उत्तर प्रदेश में नदियों पर पुल .	३५१६
२३७१	ग्रामीण व पिछड़े इलाकों की सड़कें .	३५१६-१७
२३७२	आसाम में टेलीफोन व्यवस्था .	३५१७
२३७३	मध्य रेलवे की आरी वर्कशाप	३५१७
२३७४	उत्तर रेलवे में सिगनलरों की नौकरियां . . .	३५१८
२३७५	पूर्वोत्तर रेलवे में बड़ाजामदा सैक्टर में अयस्क का परिवहन	३५१८-१९
२३७६	यात्री सुविधायें . .	३५१९

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५२०

मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) मनीपुर खाद्यान्न (यातायात) नियंत्रण आदेश, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या ७५१, दिनांक ३० अगस्त, १९५८ ।

(दो) जी० एस० आर० संख्या ७५८, दिनांक २९ अगस्त, १९५८ जिसमें उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९५८ दिया हुआ है ।

(तीन) जी० एस० आर० संख्या ७८१, दिनांक ४ सितम्बर, १९५८ ।

(चार) जी० एस० आर० संख्या ७८२, दिनांक ४ सितम्बर, १९५८ ।

(पांच) राजस्थान चना (निर्यात निषेध) : नियंत्रण आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या ७८३, दिनांक ४ सितम्बर, १९५८ ।

(छः) जी० एस० आर० संख्या ७८७, दिनांक ७ सितम्बर, १९५८ ।

(२) वायु निगम नियम, १९५४ के नियम ३ के उपनियम (५) के अन्तर्गत निम्न पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वर्ष, १९५८-५९ के राजस्व और व्यय के आयव्ययक सम्बन्धी अनुमानों का सारांश ।

(दो) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वर्ष, १९५६-५७ के वास्तविक पूंजी व्यय, वर्ष १९५७-५८ के आयव्ययक संबंधी अनुमान तथा संशोधित अनुमान और वर्ष १९५८-५९ के आयव्ययक सम्बन्धी अनुमानों का सारांश ।

(तीन) एयर इंडिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन के वर्ष १९५८-५९ के राजस्व और व्यय के आयव्ययक सम्बन्धी अनुमानों का सारांश ।

(चार) एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के वर्ष १९५६-५७ के वास्तविक आंकड़ों, वर्ष १९५७-५८ के आयव्ययक सम्बन्धी अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों और पूंजी के अन्तर्गत वर्ष १९५८-५९ के आयव्ययक सम्बन्धी अनुमानों का सारांश ।

[दैनिक संक्षेपिका]

विषय पृष्ठ

सदस्य की अपराधी ठहराये जाने के बारे में सूचना . . ३५२१

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें गोंडा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से दिनांक १५ सितम्बर, १९५८ का एक पत्र प्राप्त हुआ है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी, सदस्य, लोक-सभा पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा १८८ के अन्तर्गत आरोप में अभियोग चलाया गया और सज़ा दी गई ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव . . ३५२१—६१

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में आगे चर्चा हुई । चर्चा समाप्त नहीं हूई ।

शुक्रवार, १९ सितम्बर, १९५८ के लिए कार्यावलि—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी संभावनाओं के बारे में प्रस्ताव तथा स्थानापन्न प्रस्ता ों पर आगे चर्चा ; और श्री झूलन सिंह के छावनियां (संशोधन) विधेयक, १९५७ (धारा १३ और ६० का संशोधन और धारा १४ का लोप) पर विचार करने और उसे पारित किये जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा तथा गैर-सरकारी सदस्यों के अन्य विधेयकों पर विचार और उनका पारित किया जाना ।